

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन
वर्ष 2021-22 के लिए



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

संघ सरकार
संघ सरकार के लेखे
2023 की प्रतिवेदन संख्या 21
(वित्तीय लेखापरीक्षा)

**भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन
वर्ष 2021-22 के लिए**

**संघ सरकार
संघ सरकार के लेखे
2023 की प्रतिवेदन संख्या 21
(वित्तीय लेखापरीक्षा)**

विषयसूची

विषय	पृष्ठ
प्राक्कथन	iii
कार्यकारी सार	v
अध्याय 1: परिचय	1
अध्याय 2: संघ सरकार के वित्त का अवलोकन	5
अध्याय 3: खातों की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग पद्धतियाँ	39
अध्याय 4: बजटीय प्रबंधन	77
अनुलग्नक	103

प्राक्कथन

मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए इस प्रतिवेदन को भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए संघ सरकार के वित्त लेखों और विनियोग लेखों की नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत मामलें शामिल हैं।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप की गई है।

कार्यकारी सार

संसद में प्रस्तुत संघ सरकार के वार्षिक लेखों में वित्त लेखे और विनियोग लेखे शामिल होते हैं। संघ सरकार के वित्त और विनियोग लेखों की लेखापरीक्षा सीएजी के लेखापरीक्षा मानकों और वित्तीय सत्यापन लेखापरीक्षा नियमावली में वर्णित सिद्धांतों के अनुसार की जाती है। सीएजी ने 21 दिसंबर 2022 को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए संघ के वित्त और विनियोग लेखों को प्रमाणित किया है।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएजी) की इस रिपोर्ट में चार अध्याय हैं, अर्थात् अध्याय 1 संघ सरकार के लेखों और लेखापरीक्षा प्रक्रिया का परिचय देता है; अध्याय 2 में संघ सरकार के वित्तीय निष्पादन का अवलोकन और वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान सरकार की प्राप्तियों और संवितरण की महत्वपूर्ण प्रवृत्ति पर चर्चा शामिल है; अध्याय 3 में लेखों की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग पद्धतियों पर टिप्पणियाँ शामिल हैं; और अध्याय 4 में बजटीय प्रबंधन पर टिप्पणियाँ शामिल हैं।

अध्याय 1: परिचय

संघ सरकार के वित्त लेखे (यूजीएफए), भारत की संचित निधि (सीएफआई), आकस्मिक निधि और लोक लेखा से प्राप्तियों और भुगतानों को दर्शाते हैं। संघ सरकार के विनियोग खाते संसद द्वारा प्राधिकृत आवंटन से व्यय की तुलना करते हैं और प्रत्येक अनुदान/विनियोग के अंतर्गत निर्दिष्ट सीमा से परे दोनों के बीच भिन्नता के लिए स्पष्टीकरण प्रदान करते हैं।

अध्याय 2: संघ सरकार के वित्त का अवलोकन

वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंत में देश का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) स्थिर कीमतों (आधार वर्ष 2011-12) पर ₹1,47,35,515 करोड़ और वर्तमान कीमतों पर ₹2,36,64,637 करोड़ था। दोनों ही मामलों में पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः 8.68 प्रतिशत और 19.51 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

[पैरा 2.1]

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, संघ सरकार के पास सकल ऋण प्राप्तियों (₹82,49,152 करोड़, 55.39 प्रतिशत), सकल गैर-ऋण प्राप्तियों (₹33,74,399 करोड़, 22.67 प्रतिशत) और लोक लेखा में सकल प्राप्तियों (₹32,37,452 करोड़, 21.74 प्रतिशत) के माध्यम से ₹1,48,95,450 करोड़ के कुल संसाधन थे। वर्ष के दौरान, संघ सरकार ने लोक ऋण के भुगतान (₹66,45,468 करोड़, 44.62 प्रतिशत), लोक लेखा पर देनदारियों के निर्वहन (₹30,81,152 करोड़, 20.69 प्रतिशत), व्यय (₹42,38,534 करोड़, 28.46 प्रतिशत) और संघ के करों में राज्यों का हिस्सा

(₹8,98,392 करोड़, 6.03 प्रतिशत) पर ₹1,48,93,046 करोड़ का उपयोग किया। इसके अलावा, वित्त विधेयक, 2021 के माध्यम से भारत की आकस्मिक निधि की वित्तीय सीमा ₹500 करोड़ से बढ़ाकर ₹30,000 करोड़ करने के कारण, ₹29,500 करोड़ (सकल प्राप्तियों का 0.20 प्रतिशत) आकस्मिक निधि में स्थानांतरित कर दिया गया।

₹33,74,399 करोड़ की सकल गैर-ऋण प्राप्तियों में, सकल राजस्व प्राप्तियां (₹33,34,813 करोड़) और गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां (₹39,586 करोड़) शामिल हैं। ₹33,34,813 करोड़ की सकल राजस्व प्राप्तियों में सकल कर प्राप्तियाँ (₹27,09,315 करोड़) और गैर-कर प्राप्तियाँ (₹6,25,498 करोड़) शामिल हैं। इसके अलावा, कर प्राप्तियों के तहत, प्रत्यक्ष करों की राशि ₹13,91,993 करोड़ (51.70 प्रतिशत) और अप्रत्यक्ष करों की राशि ₹13,00,709 करोड़ (48.30 प्रतिशत) थी।

[पैरा 2.3]

वित्तीय वर्ष 2020-21 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान सकल प्राप्तियों में 9.98 प्रतिशत (₹13,51,384 करोड़) की वृद्धि हुई, गैर-ऋण प्राप्तियों में 33.52 प्रतिशत (₹8,47,069 करोड़) की वृद्धि हुई और ऋण प्राप्तियों में 1.06 प्रतिशत (₹86,242 करोड़) की वृद्धि हुई। वित्तीय वर्ष 2017-18 से वित्तीय वर्ष 2021-22 तक पांच वर्षों की अवधि में ऋण प्राप्तियों में 25.86 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

[पैरा 2.3.2]

वित्तीय वर्ष 2021-22 में उपकर संग्रह ₹4,78,680 करोड़ सकल कर राजस्व (₹27,09,315 करोड़) का 17.67 प्रतिशत था।

[पैरा 2.3.3.1 और 2.3.3.2]

वित्तीय वर्ष 2020-21 (₹4,32,406 करोड़) की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल गैर-कर राजस्व (₹6,25,498 करोड़) में 44.66 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

[पैरा 2.3.4]

वित्तीय वर्ष 2020-21 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान सीएफआई से कुल संवितरण में 8.14 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ₹1,39,94,654 करोड़ के कुल संवितरण में से सीएफआई से संवितरण 77.98 प्रतिशत था और शेष 22.02 प्रतिशत लोक लेखा से था। सीएफआई से संवितरण में से, लोक ऋण का भुगतान 60.89 प्रतिशत, कुल व्यय 38.84 प्रतिशत और 0.27 प्रतिशत भारत की आकस्मिक निधि में स्थानांतरित किया गया था।

[पैरा 2.4.1]

वित्तीय वर्ष 2021-22 में संघ सरकार का कुल व्यय ₹42,38,534 करोड़ था, जो राजस्व व्यय (₹34,68,189 करोड़) और पूंजीगत व्यय (₹5,38,140 करोड़) के योगदान से पिछले वर्ष की तुलना में 8.47 प्रतिशत बढ़ गया जबकि पिछले वर्ष (₹2,49,846 करोड़) की तुलना में ऋण और अग्रिम (₹2,32,205 करोड़) कम हुए।

[पैरा 2.4.1 की तालिका 2.16]

पिछले वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021-22 में सामाजिक सेवा क्षेत्र पर व्यय में सर्वाधिक 58.93 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। सामान्य सेवा क्षेत्र पर व्यय में भी वित्तीय वर्ष 2021-22 में पिछले वर्ष की तुलना में 13.63 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। जबकि, वित्तीय वर्ष 2021-22 में आर्थिक सेवा क्षेत्र पर व्यय में पिछले वर्ष के मुकाबले 3.84 प्रतिशत की गिरावट देखी गई।

[पैरा 2.4.2]

₹8,28,253 करोड़ का ब्याज भुगतान राजस्व व्यय (₹34,68,189 करोड़) का सबसे बड़ा एकल घटक था, जो कुल राजस्व व्यय का 23.88 प्रतिशत था, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 14.88 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई।

[पैरा 2.4.3]

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, सब्सिडी पर व्यय (₹5,02,226 करोड़) राजस्व व्यय का 14.48 प्रतिशत था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 33.47 प्रतिशत कम हो गया था।

[पैरा 2.4.3.3]

केन्द्र प्रायोजित योजनाओं से संबंधित राज्यों को अनुदान सहायता पिछले वर्ष की तुलना में काफी बढ़कर ₹2,40,383 करोड़ (15.35 प्रतिशत) हो गयी।

[पैरा 2.4.3.4]

आर्थिक सेवाओं पर अधिक व्यय (₹1,81,600 करोड़) के कारण पूंजीगत व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 में ₹3,42,949 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹5,38,140 करोड़ हो गया, जिसमें 56.92 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

[पैरा 2.4.4]

वित्तीय वर्ष 2017-18 के बाद से कुल देयता में लगातार 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में, लोक ऋण (₹15,96,305 करोड़) में वृद्धि के कारण वित्तीय वर्ष 2020-21 की तुलना में 12.04 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। 31 मार्च 2022 तक केंद्र सरकार की कुल लोक लेखा देयता ₹16,44,216 करोड़ थी।

[पैरा 2.5 और पैरा 2.5.1]

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान राजस्व घाटा (आरडी) और राजकोषीय घाटा (एफडी) अधोमुखी प्रवृत्ति की ओर रहा।

[पैरा 2.6]

अध्याय 3: लेखों की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग पद्धतियाँ

यूजीएफए के विवरण 4 में दर्शाए अनुसार गारंटियों की समीक्षा से गारंटी शुल्क की गैर/कम वसूली, दंडात्मक गारंटी शुल्क की गैर-प्राप्ति, गारंटियों के दस्तावेजीकरण/वार्षिक समीक्षा मुद्दों और निहित गारंटियों पर विचार न करने के मामलों का पता चला।

[पैरा 3.2]

यूजीएफए विवरण 11 की समीक्षा - संघ सरकार द्वारा निवेश के विवरण से पता चलता है कि इक्विटी शेयरों की संख्या और शेयरहोल्डिंग के प्रतिशत और संबंधित संस्थाओं के वार्षिक लेखों के संदर्भ में निवेश से संबंधित जानकारी में मेल नहीं था, बोनस शेयरों का लेखांकन नहीं हुआ, लाभांश के भुगतान में कमी थी, आदि।

[पैरा 3.3]

उचंत शीर्षों में केवल निवल शेष दर्शाया गया था और इन शीर्षों के अंतर्गत क्रेडिट और डेबिट शेष के रूप में अलग से बकाया राशि को दर्शाया नहीं गया है। परिणामस्वरूप उचंत लेखा (सिविल) के तहत शेष राशि में 54.52 प्रतिशत और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी उचंत) के तहत 72.26 प्रतिशत का अंतर था। यदि ये राशियाँ असमायोजित रहती हैं, तो उचंत शीर्षों के अंतर्गत शेष राशि जमा हो जाती है और लेखों में सरकारी प्राप्तियों और व्यय का गलत विवरण प्रस्तुत होगा।

[पैरा 3.4]

वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंत में प्रतिकूल शेष के 67 मामले थे। इसमें से 45 मामले 5 वर्षों से अधिक समय से लंबित थे, जिनमें सबसे पुराना 45 वर्ष पूर्व का मामला था।

[पैरा 3.5]

निर्दिष्ट आरक्षित निधियों में उपकर/उगाही की एकत्रित राशियों के कम/गैर-हस्तांतरण, आरक्षित निधि का उपयोग न करना, कोई भी लेनदेन न होने के कारण आरक्षित निधि का अप्रयुक्त रहना और अनुमोदित लेखांकन प्रक्रिया से विचलन आदि के उदाहरण थे।

[पैरा 3.6]

वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंत में, ₹7,63,693 करोड़ की राशि संघ सरकार द्वारा राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों और अन्य संस्थाओं को दिए गए ऋण और अग्रिम के रूप में बकाया है। इसमें से, ₹68,141 करोड़ की वसूली (मूलधन और ब्याज) बकाया है।

[पैरा 3.7]

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए यूजीएफए में अतिरिक्त जानकारी प्रस्तुत करने के लिए कुल 258 फुटनोट डाले गए थे। हालांकि, इन फुटनोट्स ने स्पष्ट रूप से संघ सरकार के वित्त का सही विवरण प्रस्तुत नहीं किया क्योंकि विसंगतियों को दूर करने के लिए किए गए समायोजन और कार्रवाई की पूरी प्रकृति और निहितार्थ नहीं बताए गए थे। संघ सरकार के वित्त लेखों में प्रदर्शित होने वाले आंकड़ों के संबंध में प्रकटीकरण/अतिरिक्त जानकारी के महत्व को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए यूजीएफए में 'नोट्स टू अकाउंट्स' को शामिल करने की सिफारिश की गई है।

[पैरा 3.8.1]

अध्याय 4: बजटीय प्रबंधन

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 101 मांगों वाले विनियोग खातों ने कुल ₹1,24,36,009 करोड़ के प्रावधानों को मंजूरी दी थी, उस पर ₹7,64,721 करोड़ की कुल बचत के साथ कुल व्यय ₹1,16,71,288 करोड़ था।

[पैरा 4.1.1]

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान संसदीय प्राधिकरण पर ₹1,235.98 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ, जिसमें तीन अनुदान शामिल थे, अर्थात् अनुदान संख्या 39 - पेंशन (₹742.57 करोड़), अनुदान संख्या 6 - उर्वरक विभाग (₹493.38 करोड़) और अनुदान संख्या 18 - रक्षा मंत्रालय (सिविल) (₹0.03 करोड़)।

[पैरा 4.2.1]

सभी अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत कुल बचत ₹7,64,721 करोड़ थी, जो कुल प्राधिकरणों का 6.15 प्रतिशत थी। 70 अनुदानों/विनियोगों के 94 खंडों में ₹100 करोड़ या उससे अधिक की बचत हुई जिसकी कुल राशि ₹7,63,305 करोड़ थी। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹5,000 करोड़ या उससे अधिक की बचत वाले 16 अनुदानों/विनियोगों में से नौ में वित्तीय वर्ष 2019-20 और वित्तीय वर्ष 2020-21 में भी पर्याप्त बचत हुई थी।

[पैरा 4.2.2 और 4.2.2.1]

62 अनुदानों/विनियोगों के 269 मामलों में लघु-शीर्ष/उप-शीर्ष स्तर पर ₹500 करोड़ या उससे अधिक की महत्वपूर्ण बचत और न्यूनतम ₹100 करोड़ पर आवंटन के 25 प्रतिशत से अधिक की बचत देखी गई।

[पैरा 4.2.2.2]

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान उच्च व्यय के पूर्वानुमान के कारण, 22 अनुदानों के अंतर्गत 40 लघु/उप-शीर्षों में, ₹14,155 करोड़ की राशि के पूरक प्रावधान प्राप्त किए गए थे, लेकिन अंतिम व्यय संबंधित लघु/उप-शीर्षों के अंतर्गत मूल प्रावधानों से कम था।

[पैरा 4.3]

बत्तीस (32) विभागों/मंत्रालयों के संबंध में, वित्तीय वर्ष 1975-76 से वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान जारी सहायता अनुदान से संबंधित कुल ₹52,770.14 करोड़ की राशि से संबंधित 42,854 उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) 31 मार्च 2022 तक बकाया थे।

[पैरा 4.16]

1 अध्याय

परिचय

1.1 संघ सरकार के वित्त की संरचना

संघ सरकार के वित्त को तीन भागों में बनाया जाता है:

- क. भारत की समेकित निधि :** इसमें भारत सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, उस सरकार द्वारा ट्रेजरी बिल के माध्यम से जारी सभी ऋण, ऋण या अर्थोपाय अग्रिम और सरकार द्वारा ऋण के पुनर्भुगतान से प्राप्त राशि शामिल है।
- ख. भारत की आकस्मिक निधि :** यह राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में अग्रदाय राशि है, जो वह संसद द्वारा अनुमोदन हेतु लंबित होने पर, तत्काल अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए अग्रिम के रूप में प्रयोग कर सके।
- ग. लोक लेखा :** सरकार की सामान्य प्राप्तियों और व्यय के अलावा भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त अन्य सभी सार्वजनिक धन को लोक लेखा में जमा किया जाएगा। प्राप्तियां और संवितरण जैसे जमा, आरक्षित निधि, प्रेषण आदि जो भारत की संचित निधि का हिस्सा नहीं हैं, को लोक लेखा में शामिल किया जाता है।

1.2 बजटीय प्रक्रिया

भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार, राष्ट्रपति द्वारा वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए संघ की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का एक विवरण, संसद के समक्ष रखा जाता है। अनुच्छेद 113 के अनुसार, अनुदान मांगों/विनियोगों के रूप में विवरण संसद में रखे जाते हैं और इन विवरणों के अनुमोदन के बाद, भारत की संचित निधि में से आवश्यक राशि के विनियोग के लिए अनुच्छेद 114 के तहत विनियोग विधेयक को संसद में पेश किया जाता है। वित्तीय वर्ष की अवधि के दौरान, यदि वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए, अनुच्छेद 114 के प्रावधानों के अनुसार किसी विशेष सेवा के लिए खर्च की जाने वाली निर्धारित राशि, उस वर्ष के प्रयोजनों के लिए अपर्याप्त पाई जाती है, तो अनुच्छेद 115(1)(ए) के तहत अनुमानित राशि वाले अनुदान के लिए संसद के समक्ष अनुपूरक मांग प्रस्तुत की जाती है। अनुच्छेद 115(1)(बी) के तहत अतिरिक्त अनुदान की मांग व्यय किए जाने के बाद और जिससे व्यय संबंधित है, उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद की जाती है। लोक लेखा समिति अतिरिक्त अनुदानों की जांच करती है और संसद को अपनी रिपोर्ट में उनके नियमितीकरण के संबंध में सिफारिशें करती है।

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम 2003 में अधिनियमित किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार को वित्तीय स्थिरता के अनुरूप विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन और मौद्रिक नीति के प्रभावी संचालन में राजकोषीय बाधाओं को दूर करके राजकोषीय प्रबंधन और दीर्घकालिक व्यापक आर्थिक स्थिरता में इन्टरजेनरेशनल इक्विटी सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व सौंपना है।

संघ सरकार के बजट में, इस अधिनियम के तहत आवश्यकतानुसार राजकोषीय नीति विवरण संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं। अधिनियम की धारा 7ए के अनुसार, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा करते हैं और एफआरबीएम अधिनियम के अनुपालन पर सीएजी द्वारा संसद में एक अलग रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

1.3 संघ सरकार के वार्षिक लेखे

संसद में प्रस्तुत संघ सरकार के वार्षिक लेखों में वित्त लेखे और विनियोग लेखे शामिल होते हैं। संघ सरकार के वित्त लेखे (यूजीएफए) समेकित निधि, आकस्मिक निधि और लोक लेखों से प्राप्तियों और भुगतानों को दर्शाते हैं। विनियोग लेखे संसद द्वारा निर्धारित राशि से व्यय की तुलना करते हैं और दोनों के बीच, प्रत्येक अनुदान/विनियोग के अंतर्गत निर्दिष्ट सीमा से अधिक व्यय के अंतर के लिए स्पष्टीकरण प्रदान करते हैं। यह लेखे नकद आधार पर तैयार किए जाते हैं, अर्थात् सरकारी लेखों में लेनदेन, वित्तीय वर्ष के दौरान वास्तविक नकद प्राप्तियों और संवितरण को दर्शाते हैं।

1.3.1 वित्त लेखे

संघ सरकार के वित्त लेखों में समग्र रूप से केंद्र सरकार के लेखे शामिल होते हैं और इसमें सिविल मंत्रालयों/विभागों, रक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय और डाक विभाग के लेनदेन शामिल होते हैं। ये वित्तीय वर्ष के लिए संघ सरकार की प्राप्तियों और व्यय के लेखों के साथ-साथ विभिन्न लेखों में प्रस्तुत वित्तीय परिणामों और जांच के तहत आने वाले अन्य आंकड़ों को प्रस्तुत करते हैं। इन लेखों में राजस्व और पूंजीगत लेखे, लोक ऋण लेखा और अन्य देनदारियां और परिसंपत्तियां शामिल हैं जो लेखों में शेष राशि से निकली हैं।

1.3.2 विनियोग लेखे

विनियोग लेखे संसद द्वारा पारित विनियोग अधिनियम से संलग्न अनुसूचियों में निर्दिष्ट दत्तमत अनुदानों और प्रभारित विनियोगों की राशियों की तुलना में एक वित्तीय वर्ष में सरकार के व्यय को दर्शाते हैं। इन लेखों में विनियोग की एक इकाई से दूसरी इकाई में स्वीकृत प्रावधान के पुनर्विनियोजन, इन विनियोगों के प्रति बचत और व्यय की अधिकता के साथ-साथ पूरक अनुदानों के संबंध में जानकारी होती है। विनियोग

लेखा, संसद और लोक लेखा समिति (पीएसी) के लिए बजट प्रावधानों के प्रति सरकार द्वारा किए गए निष्पादन का पता लगाने में सहायक है।

इसके अलावा, सिविल मंत्रालयों, रक्षा, रेलवे और डाक विभाग के लिए चार विनियोग लेखे हैं। लेखा महानियंत्रक (सीजीए) सिविल मंत्रालयों के लिए विनियोग लेखा तैयार करता है (वित्तीय वर्ष 2021-22, में सिविल मंत्रालयों/विभागों से संबंधित 97 अनुदान थे), जबकि रक्षा मंत्रालय, रेलवे और डाक विभाग अपने संबंधित अनुदानों के विनियोग लेखे तैयार करते हैं। यह संसद द्वारा प्राधिकृत व्यय के प्रावधानों के अनुदान/विनियोग-वार सारांश और उनके प्रति भारत की संचित निधि (सीएफआई) से वास्तविक व्यय की तुलना करते हैं।

1.3.3 लेन-देन का वर्गीकरण

संघ सरकार के लेखों के भाग के रूप में लेनदेन कार्यात्मक लेखांकन वर्गीकरण के अनुसार दर्ज किए जाते हैं।

तालिका 1.1: लेन-देन के लेखांकन का वर्गीकरण

लेन-देन का प्रकार	वर्गीकरण
कार्य - शिक्षा, स्वास्थ्य आदि।	अनुदान के अंतर्गत मुख्य शीर्ष (4 अंक)
उप-कार्य	उप मुख्य शीर्ष (2 अंक)
कार्यक्रम	लघु शीर्ष (3 अंक)
योजना	उप-शीर्ष (2 अंक)
उप-योजना	विस्तृत शीर्ष (2 अंक)
लेन-देन की प्रकृति	वस्तु शीर्ष - वेतन, लघु कार्य आदि (2 अंक)

इस प्रकार, प्रत्येक लेन-देन ऊपर के अनुसार 15 अंकों में दर्ज हो जाता है।

1.4 लेखे तैयार करना

1.4.1 वित्त लेखे तैयार करना

वित्त लेखों में दो भाग होते हैं - भाग I और भाग II। भाग I में राजस्व, पूंजी, गारंटी, ऋण, जमा, उचंत और प्रेषण लेनदेन और आकस्मिक निधि के संबंध में पांच संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किए गए हैं, जबकि भाग II में अन्य संबंधित विवरणों के साथ इन लेनदेन के संबंध में 11 विस्तृत विवरण हैं।

उपर्युक्त 16 विवरणों के निर्माण खंड प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में प्रत्येक प्रधान लेखा कार्यालय द्वारा तैयार किए गए 'केंद्रीय लेनदेन का विवरण' (एससीटी) हैं, जो

मार्च के अनुपूरक लेनदेन सहित वर्ष के दौरान सभी लेनदेन के प्रगतिशील प्रभाव को दर्शाते हैं। केंद्रीय लेनदेन के विवरण लघु शीर्ष-वार तैयार किए जाते हैं।

सीजीए, विभिन्न नियंत्रकों से प्राप्त सभी एससीटी के डेटा को संकलित करता है, जर्नल प्रविष्टियों के माध्यम से लेखों में सुधार करता है और इस प्रकार, संघ सरकार के वित्त लेखे तैयार किए जाते हैं।

1.4.2 विनियोग लेखे तैयार करना

प्रत्येक अनुदान के लिए विनियोग लेखा संबंधित प्रधान लेखा कार्यालय द्वारा कई चरणों में तैयार किया जाता है। चरण I विनियोग लेखों में केवल प्रावधान होते हैं। व्यय के आंकड़े और बचत/अतिरिक्त चरण II में शामिल किए जाते हैं। चरण III, चरण II लेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा के आधार पर परिवर्तन, यदि कोई हो, को शामिल करने के बाद चरण II लेखों का अद्यतन है। पीएसी की सिफारिशों और सीएजी की सलाह के आधार पर, विनियोग लेखों को संसद में प्रस्तुत करने के लिए सीजीए द्वारा समेकित किया जाता है। समेकित लेखों में लोक लेखा समिति द्वारा अनुशंसित वित्तीय सीमा के आधार पर संबंधित अनुदानों/विनियोग में महत्वपूर्ण अंतर (बचत/अतिरिक्त) शामिल होते हैं।

1.5 संघ सरकार के लेखों की लेखापरीक्षा

संघ सरकार के वित्त और विनियोग लेखों की लेखापरीक्षा सीएजी के लेखापरीक्षा मानकों और वित्तीय सत्यापन लेखापरीक्षा नियमावली में वर्णित सिद्धांतों के अनुसार आयोजित की जाती है। सीएजी ने 21 दिसंबर 2022 को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए संघ सरकार के वित्त और विनियोग लेखों(सिविल) को प्रमाणित किया है।

1.5.1 संघ सरकार के लेखों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

अध्याय 1 में संघ सरकार के लेखों और लेखापरीक्षा प्रक्रिया का परिचय दिया गया है; **अध्याय 2** संघ सरकार के वित्त का अवलोकन प्रदान करता है; **अध्याय 3** में लेखों की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग पद्धतियों पर टिप्पणियां शामिल हैं; और **अध्याय 4** में बजटीय प्रबंधन पर टिप्पणियां हैं।



2 अध्याय

संघ सरकार के
वित्त का अवलोकन

2.1 भारत का सकल घरेलू उत्पाद

सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) एक निश्चित अवधि में देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को मापता है। सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि देश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, क्योंकि यह एक निश्चित अवधि में देश के आर्थिक विकास के स्तर में परिवर्तन की सीमा को दर्शाता है। पिछले पांच वर्षों के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद की प्रवृत्ति इस प्रकार है।

तालिका 2.1: स्थिर और वर्तमान कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

सकल घरेलू उत्पाद	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
स्थिर कीमतों पर	1,31,44,582	1,39,92,914	1,45,15,958	1,35,58,473	1,47,35,515
पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशतता में अंतर	6.80	6.45	3.74	-6.60	8.68
वर्तमान कीमतों पर	1,70,90,042	1,88,99,668	2,00,74,856	1,98,00,914	2,36,64,637
पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशतता में अंतर	11.03	10.59	6.22	-1.36	19.51

स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) की 31 जनवरी 2022 और 06 जनवरी 2023 की प्रेस विज्ञप्तियां

तालिका 2.1 से देखा जा सकता है, वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंत में देश की जीडीपी स्थिर कीमतों (आधार वर्ष 2011-12) पर ₹1,47,35,515 करोड़ थी और वर्तमान कीमतों पर ₹2,36,64,637 करोड़ थी। दोनों ही मामलों में क्रमशः 8.68 प्रतिशत और 19.51 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान स्थिर कीमतों पर 6.60 प्रतिशत और वर्तमान कीमतों पर 1.36 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि के प्रति है। इस रिपोर्ट में वर्तमान कीमतों पर जीडीपी को ध्यान में रखते हुए प्रतिशतता और अनुपात निकाला गया है।

2.2 संघ सरकार के वित्त का स्नैपशॉट - बीई और आरई के साथ तुलना

यह भाग वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए संघ सरकार के वित्त लेखों के अनुसार व्यय के साथ-साथ बजट अनुमान (बीई) और संशोधित अनुमान (आरई) चरण दोनों पर बजट

संघ सरकार के वित्त वर्ष 2021-22 के लेखों पर
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

प्राप्तियों और संवितरण को दर्शाता है। प्रमुख राजकोषीय संकेतकों के लिए नियोजित और वास्तविक मूल्यों का भी वर्णन किया गया है। यह विवरण तालिका 2.2 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 2.2: संघ सरकार के वित्त का स्नैपशॉट - बीई और आरई के साथ तुलना
(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	पिछले वर्ष के वास्तविक (2020-21)	बजट अनुमान (बीई) ^ए (2021-22)	संशोधित अनुमान (आरई) ^ए (2021-22)	वित्तीय वर्ष 2021-22 के वास्तविक	वित्तीय वर्ष 2021-22 के वास्तविक में अंतर		
						वित्तीय वर्ष 2021-22 के बीई से	वित्तीय वर्ष 2021-22 के आरई से	वित्तीय वर्ष 2020-21 के वास्तविक से
1	राजस्व प्राप्तियां	18,64,513	21,05,708	23,53,562	24,36,421	15.71%	3.52%	30.67%
	कर राजस्व ^{बी}	14,32,107	15,51,497	17,71,275	18,10,923	16.72%	2.24%	26.45%
	गैर-कर राजस्व ^{सी}	4,32,406	5,54,211	5,82,287	6,25,498	12.86%	7.42%	44.66%
2	विविध पूंजीगत प्राप्तियां	37,897	1,75,000	78,000	14,638	- 91.64%	- 81.23%	- 61.37%
3	ऋण और अग्रिम की वसूली	29,923	64,375	32,600	24,948	- 61.25%	- 23.47%	- 16.63%
4	कुल गैर-ऋण प्राप्तियां (1+2+3)	19,32,333	23,45,083	24,64,162	24,76,007	5.58%	0.48%	28.14%
5	लोक ऋण की प्राप्ति	81,62,910	83,87,778	77,71,542	82,49,152	- 1.65%	6.15%	1.06%
6	सीएफआई में कुल प्राप्तियां (4+5)	1,00,95,243	1,07,32,861	1,02,35,704	1,07,25,159	- 0.07%	4.78%	6.24%
7	भारत की आकस्मिक निधि	0	29,500	29,500	29,500	-	-	-
8	लोक लेखा प्राप्तियां ^{डी}	28,48,879	-	-	32,37,452	-	-	13.64%
9	कुल प्राप्तियां (6+7+8)	1,29,44,122	-	-	1,39,92,111	-	-	8.10%
10	राजस्व व्यय	33,14,852	32,46,412	34,42,693	34,68,189	6.83%	0.74%	4.63%
11	पूंजीगत व्यय	3,42,949	5,34,862	5,66,098	5,38,140	0.61%	- 4.94%	56.92%
12	ऋण और अग्रिम	2,49,846	1,64,830	2,75,414	2,32,205	40.88%	- 15.69%	- 7.06%
13	कुल व्यय (10+11+12)	39,07,647	39,46,104	42,84,205	42,38,534	7.41%	- 1.07%	8.47%
14	लोक ऋण का भुगतान	61,84,635	69,44,152	60,62,578	66,45,468	- 4.30%	9.61%	7.45%

**संघ सरकार के वित्त वर्ष 2021-22 के लेखों पर
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन**

क्रम सं.	विवरण	पिछले वर्ष के वास्तविक (2020-21)	बजट अनुमान (बीई) ^ए (2021-22)	संशोधित अनुमान (आरई) ^ए (2021-22)	वित्तीय वर्ष 2021-22 के वास्तविक	वित्तीय वर्ष 2021-22 के वास्तविक में अंतर		
						वित्तीय वर्ष 2021-22 के बीई से	वित्तीय वर्ष 2021-22 के आरई से	वित्तीय वर्ष 2020-21 के वास्तविक से
15	आकस्मिक निधि में अंतरण	0	29,500	29,500	29,500	-	-	-
16	सीएफआई से कुल संवितरण (13+14+15)	1,00,92,282	1,09,19,756	1,03,76,283	1,09,13,502	- 0.06%	5.18%	8.14%
17	लोक लेखा संवितरण ^{बी}	28,44,653	-	-	30,81,152	-	-	8.31%
18	कुल संवितरण (16+17)	1,29,36,935	-	-	1,39,94,654	-	-	8.18%
ए. बीई और आरई के आंकड़े वित्तीय वर्ष 2022-23 के वार्षिक वित्तीय विवरणों से लिए गए हैं।								
बी. संविधान के अनुच्छेद 270 के तहत इसमें राज्यों को ₹8,98,392 करोड़ (सकल कर प्राप्तियां- ₹27,09,315 करोड़) के कर और शुल्क शामिल नहीं हैं।								
सी. इसमें ₹1,306 करोड़ का सहायता अनुदान और अंशदान शामिल है।								
डी. उंचत और विविध और प्रेषण के संबंध में, एएफएस में कोई बीई/आरई आंकड़ा नहीं दिखाया गया है।								

स्रोत: वित्तीय वर्ष 2020-21 और वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए यूजीएफए और वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण।

तालिका 2.2 से देखा जा सकता है, वित्तीय वर्ष 2020-21 (क्रमशः ₹14,32,107 करोड़ और ₹4,32,406 करोड़) की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021-22 में कर राजस्व और गैर-कर राजस्व क्रमशः ₹18,10,923 करोड़ और ₹6,25,498 करोड़ से काफी अधिक थे, जबकि विविध पूंजीगत प्राप्तियां (₹14,638 करोड़) वित्तीय वर्ष 2020-21 (₹37,897 करोड़) की तुलना में काफी कम थी। वित्तीय वर्ष 2021-22 में संघ सरकार का कुल व्यय ₹42,38,534 करोड़ था, जो राजस्व व्यय (₹34,68,189 करोड़) और पूंजीगत व्यय (₹5,38,140 करोड़) के कारण पिछले वर्ष की तुलना में 8.47 प्रतिशत बढ़ गया जबकि ऋण और अग्रिम (₹2,32,205 करोड़) पिछले वर्ष (₹2,49,846 करोड़) की तुलना में कम हुए। परिणामस्वरूप, गैर-ऋण प्राप्तियां वित्तीय वर्ष 2020-21 में 49.45 प्रतिशत की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल व्यय का 58.42 प्रतिशत थीं, जिससे सरकारी व्यय के वित्तपोषण के लिए गैर-ऋण प्राप्तियों पर निर्भरता बढ़ी।

2.3 निधि का स्रोत और उपयोग

संघ सरकार द्वारा जुटाए गए संसाधन तीन श्रेणियों¹ के अंतर्गत आते हैं - ऋण प्राप्तियां, गैर-ऋण प्राप्तियां और लोक लेखों में प्राप्तियां। इनमें से, ऋण और गैर-ऋण प्राप्तियां भारत के समेकित निधि (सीएफआई) में जाती हैं। गैर-ऋण प्राप्तियों को आगे राजस्व प्राप्तियों और गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में वर्गीकृत किया जाता है। राजस्व

¹ इसमें भारत की आकस्मिक निधि (₹29,500 करोड़) में प्राप्त राशि शामिल नहीं है।

प्राप्तियों में कर राजस्व, गैर-कर राजस्व और बाहरी एजेंसियों से सहायता अनुदान शामिल हैं, जबकि गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में विनिवेश से प्राप्ति और ऋण व अग्रिम की वसूली शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, संघ सरकार के पास कुल ₹1,48,95,450 करोड़ के संसाधन थे, जिन्हें विभिन्न उद्देश्यों² के लिए निम्नानुसार उपयोग किया गया था।

तालिका 2.3: वित्तीय वर्ष 2021-22 में निधियों का स्रोत

(₹ करोड़ में)

1	प्रारम्भिक नकदी शेष	4,947
2	ऋण प्राप्तियां*	82,49,152
3	सकल गैर-ऋण प्राप्तियां**	33,74,399
	क. सकल राजस्व प्राप्तियां	33,34,813
	ख. पूंजीगत प्राप्तियां	14,638
	ग. ऋण और अग्रिम की वसूली	24,948
4	लोक लेखों में सकल प्राप्तियां	32,37,452
5	आकस्मिक निधि	29,500
	कुल	1,48,95,450

* वर्ष 2021-22 के दौरान संघ सरकार की ऋण प्राप्तियां ₹82,49,152 करोड़ थी और वर्ष के दौरान ऋण का भुगतान ₹66,45,468 करोड़ था। वर्ष के दौरान संघ सरकार की शुद्ध ऋण प्राप्तियां ₹16,03,683 करोड़ थीं।

** सकल राजस्व प्राप्तियों में राज्यों को नियत ₹8,98,392 करोड़ के कर और शुल्क शामिल हैं।

तालिका 2.4: वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना

राजस्व प्राप्तियां	<ul style="list-style-type: none"> ✓ सकल राजस्व प्राप्तियों में 35.59 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि शुद्ध राजस्व प्राप्तियों में 30.67 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ✓ सकल कर प्राप्तियों में 33.65 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि शुद्ध कर प्राप्तियों में 26.45 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ✓ गैर-कर प्राप्तियां (अनुदान सहायता और अंशदान सहित) में 44.66 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ✓ जबकि सकल राजस्व प्राप्तियां सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में 12.42 प्रतिशत से बढ़कर 14.09 प्रतिशत हो गई, शुद्ध राजस्व
--------------------	---

² इस खंड में प्रयुक्त आंकड़े सकल राशियाँ हैं, जो तालिका 2.2 में दी गई राशियों से भिन्न हो सकती हैं, जो शुद्ध आंकड़ों पर आधारित हैं।

संघ सरकार के वित्त वर्ष 2021-22 के लेखों पर
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

	प्राप्तियां 9.42 प्रतिशत से 10.30 प्रतिशत बढ़ गईं।
गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां	<ul style="list-style-type: none"> ✓ गैर - ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में 41.63 प्रतिशत की कमी आई। ✓ विविध पूंजीगत प्राप्तियों में 61.37 प्रतिशत की कमी आई। ✓ ऋण और अग्रिम की वसूली में 16.63 प्रतिशत की कमी आई।
ऋण प्राप्तियां	✓ ऋण प्राप्तियों में 1.06 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
लोक लेखा प्राप्तियां	✓ लोक लेखा प्राप्तियों में 13.64 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

जुटाए गए संसाधनों का उपयोग ऋण की अदायगी, सरकार के व्यय, लोक लेखों में देनदारियों का निर्वहन और आकस्मिक निधि में अंतरण के लिए किया जाता है। वित्त विधेयक, 2021 के माध्यम से भारत की आकस्मिक निधि की वित्तीय सीमा को ₹500 करोड़ से बढ़ाकर ₹30,000 करोड़ कर दिया गया। वर्ष के दौरान, संघ सरकार ने निम्नानुसार विभिन्न उद्देश्यों के लिए ₹1,48,93,046 करोड़ का उपयोग किया, और ₹2,404 करोड़ का अंतिम नकद शेष बचा।

तालिका 2.5: निधियों का अनुप्रयोग

(₹ करोड़ में)

1	ऋण का भुगतान	66,45,468
2	लोक लेखों पर देनदारियों का निर्वहन	30,81,152
3	वास्तविक व्यय	42,38,534
	क. राजस्व व्यय	34,68,189
	ख. पूंजीगत व्यय	5,38,140
	ग. ऋण और अग्रिम	2,32,205
4	संघ सरकार के करों में राज्यों की हिस्सेदारी	8,98,392
5	आकस्मिक निधि में अंतरण	29,500
6	अंतिम नकद शेष	2,404
निधियों का कुल अनुप्रयोग		1,48,95,450

तालिका 2.6: वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना

राजस्व व्यय	✓ राजस्व व्यय में 4.63 प्रतिशत की वृद्धि हुई।			
	सामान्य सेवाएं	सामाजिक सेवाएं	आर्थिक सेवाएं	अनुदान सहायता
	14.28 प्रतिशत ↑	55.52 प्रतिशत ↑	13.00 प्रतिशत ↓	6.36 प्रतिशत ↑
पूंजीगत व्यय	✓ पूंजीगत व्यय में 56.92 प्रतिशत की वृद्धि हुई।			
	सामान्य सेवाएं		सामाजिक सेवाएं	आर्थिक सेवाएं
	7.77 प्रतिशत ↑		32.69 प्रतिशत ↑	94.39 प्रतिशत ↑
ऋण चुकौती	✓ ऋण के भुगतान में 7.45 प्रतिशत की वृद्धि हुई।			
लोक लेखा संवितरण	✓ लोक लेखा संवितरण में 8.31 प्रतिशत की वृद्धि हुई।			

वित्तीय वर्ष 2021-22 में राजस्व व्यय में 4.63 प्रतिशत की वृद्धि हुई और पूंजीगत व्यय में 56.92 प्रतिशत की वृद्धि हुई। व्यय में क्षेत्रवार वृद्धि/कमी ऊपर दर्शाई गई है।

₹33,74,399 करोड़ की सकल गैर-ऋण प्राप्तियों में सकल राजस्व प्राप्तियां (₹33,34,813 करोड़) और गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां (₹39,586 करोड़) शामिल हैं। ₹33,34,813 करोड़ की सकल राजस्व प्राप्तियों में सकल कर प्राप्तियों (₹27,09,315 करोड़ ³) और गैर-कर प्राप्तियों (₹6,25,498 करोड़ ⁴) को मिलाकर कुल संसाधनों का 22.39 प्रतिशत हुआ। कर प्राप्तियों के तहत, प्रत्यक्ष कर ₹13,91,993 करोड़ (51.70 प्रतिशत) और अप्रत्यक्ष कर ₹13,00,709 करोड़ (48.30 प्रतिशत) है। गैर-कर राजस्व प्राप्तियों के प्रमुख घटकों में रेलवे राजस्व (₹1,91,367 करोड़), लाभांश और लाभ (₹1,60,653 करोड़), अन्य संचार सेवाएँ (₹85,828 करोड़), ब्याज प्राप्तियाँ (₹46,178 करोड़), पुलिस (₹27,665 करोड़), विविध सामान्य सेवाएं (₹24,929 करोड़) और पेट्रोलियम (₹20,037 करोड़) शामिल हैं।

ऋण प्राप्तियां (₹82,49,152 करोड़), वर्ष की कुल सकल प्राप्तियों में 55.39 प्रतिशत योगदान दिया। ₹39,586 करोड़ की गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में विविध पूंजीगत प्राप्तियां (₹14,638 करोड़) और ऋण व अग्रिम की वसूली (₹24,948 करोड़) शामिल हैं। विविध पूंजीगत प्राप्तियों में विनिवेश से ₹8,432 करोड़ शामिल हैं। लोक लेखा प्राप्तियों से 21.74 प्रतिशत संसाधन जुटाए गए।

³ इस आंकड़े में राज्यों को नियत कर और शुल्क (₹8,98,392 करोड़) शामिल हैं, जिन्हें तालिका 2.2 में शामिल नहीं किया गया था।

⁴ ₹1,306 करोड़ की राशि की बाहरी सहायता अनुदान और अंशदान शामिल है।

2.3.1 संसाधन जुटाने की प्रवृत्ति

तालिका 2.7 वित्तीय वर्ष 2017-18 से वित्तीय वर्ष 2021-22 की अवधि में संसाधन जुटाने की प्रवृत्ति को दर्शाती है।

तालिका 2.7: संसाधन जुटाने की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

अवधि	सकल राजस्व प्राप्तियां*	गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां	ऋण प्राप्तियां	लोक लेखा में सकल प्राप्तियां	सकल प्राप्तियां
2017-18	23,64,148	1,70,687	65,54,002	14,34,393	1,05,23,230
	22.47%	1.62%	62.28%	13.63%	
2018-19	25,67,917	1,25,236	67,58,482	17,45,217	1,11,96,852
	22.93%	1.12%	60.36%	15.59%	
2019-20	25,98,760	68,996	73,01,387	21,36,115	1,21,05,258
	21.47%	0.57%	60.32%	17.65%	
2020-21	24,59,510	67,820	81,62,910	28,48,879	1,35,39,119
	18.17%	0.50%	60.29%	21.04%	
2021-22	33,34,813	39,586	82,49,152	32,37,452	1,48,90,503**
	22.40%	0.27%	55.39%	21.74%	

नोट: प्रतिशत में आंकड़े सकल प्राप्तियों के अनुपात के रूप में दर्शाये गए हैं।
** इसमें आकस्मिक निधि में अंतरण ₹29,500 करोड़ (सकल प्राप्तियों का 0.20 प्रतिशत) शामिल है।

जीडीपी के प्रतिशत के रूप में					
अवधि	सकल राजस्व प्राप्तियां	गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां	ऋण प्राप्तियां	लोक लेखा में सकल प्राप्तियां	सकल प्राप्तियां
2017-18	13.83%	1.00%	38.35%	8.39%	61.58%
2018-19	13.59%	0.66%	35.76%	9.23%	59.24%
2019-20	12.95%	0.34%	36.37%	10.64%	60.30%
2020-21	12.42%	0.34%	41.22%	14.39%	68.38%
2021-22	14.09%	0.17%	34.86%	13.68%	62.92%

*राज्यों को नियत कर और शुल्क के आंकड़े शामिल हैं (चालू वर्ष के लिए ₹8,98,392 करोड़)। केंद्र को शुद्ध राजस्व प्राप्तियां चालू वर्ष में ₹24,36,421 करोड़ थीं, जैसा कि तालिका 2.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.7 से देखा जा सकता है, वित्तीय वर्ष 2017-18 से वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान सकल प्राप्तियों में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई दी, जिसमें वित्तीय वर्ष 2020-21 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 9.98 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। यह वृद्धि सकल राजस्व प्राप्तियों और लोक लेखा में सकल प्राप्तियों में पर्याप्त वृद्धि के कारण थी। वित्तीय वर्ष 2020-21 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियों में 41.63 प्रतिशत की कमी आई है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 से वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, सकल राजस्व प्राप्तियों में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में 12.42 प्रतिशत से लेकर 14.09 प्रतिशत तक उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति दिखाई दी। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान सकल प्राप्तियां, वित्तीय वर्ष 2020-21 के 68.38 प्रतिशत की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद का 62.92 प्रतिशत थीं।

2.3.2 वित्तीय वर्ष 2020-21 से तुलना

वित्तीय वर्ष 2020-21 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान सकल प्राप्तियों में 9.98 प्रतिशत (₹13,51,384 करोड़) की वृद्धि हुई, गैर-ऋण प्राप्तियों में 33.52 प्रतिशत (₹8,47,069 करोड़) की वृद्धि हुई और ऋण प्राप्तियों में 1.06 प्रतिशत (₹86,242 करोड़) की वृद्धि हुई। वित्तीय वर्ष 2017-18 से वित्तीय वर्ष 2021-22 तक पांच वर्षों की अवधि में ऋण प्राप्तियों में 25.86 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

गैर-ऋण प्राप्तियों में महत्वपूर्ण वृद्धि निम्नलिखित के कारण हुई:

- निगम कर से ₹1,65,649 करोड़ (59.59 प्रतिशत), निगम कर के अलावा अन्य आय पर कर से ₹1,23,845 करोड़ (43.25 प्रतिशत) और सीजीएसटी से ₹58,501 करोड़ (20.90 प्रतिशत) की वृद्धि से निवल कर राजस्व में ₹3,78,816 करोड़ (26.45 प्रतिशत) की उल्लेखनीय वृद्धि हुई।
- सहायता अनुदान और बाहरी एजेंसियों से योगदान सहित गैर-कर राजस्व में ₹1,93,092 करोड़ (44.66 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, जिसमें से लाभांश और लाभ से प्राप्तियों में ₹63,765 करोड़ (65.81 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, भारतीय रेल ₹50,583 करोड़ (35.93 प्रतिशत), अन्य संचार सेवाओं द्वारा ₹40,327 करोड़ (88.63 प्रतिशत), पुलिस द्वारा ₹20,345 करोड़ (277.95 प्रतिशत) और पेट्रोलियम से ₹13,374 करोड़ (200.75 प्रतिशत)। लाभांश और लाभ के तहत प्राप्तियां मुख्य रूप से भारतीय रिजर्व बैंक (₹41,994 करोड़) से अधिशेष लाभ के हिस्से की उच्च प्राप्तियों और सार्वजनिक उपक्रमों से लाभांश (₹19,623 करोड़) के कारण बढ़ीं।
- वित्तीय वर्ष 2020-21 की तुलना में गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां ₹28,234 करोड़ कम थीं। कमी के कारणों में विनिवेश से 71.63 प्रतिशत कम आय और ऋण और अग्रिम की वसूली में 16.63 प्रतिशत की कमी शामिल है।

2.3.3 राजस्व प्राप्तियां

राजस्व प्राप्तियाँ, जिनमें कर और गैर-कर प्राप्तियाँ शामिल हैं, वित्तीय संसाधनों के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। राजस्व प्राप्तियों के घटकों की चर्चा आगे की गई है।

तालिका 2.8 राजस्व प्राप्तियां, सकल और शुद्ध दोनों के संबंध में संघ सरकार के वित्त का अवलोकन प्रस्तुत करती हैं।

तालिका 2.8: राजस्व प्राप्तियां: सकल और शुद्ध

(₹ करोड़ में)

अवधि	सकल कर राजस्व	राज्यों की हिस्सेदारी	शुद्ध कर राजस्व	गैर-कर राजस्व#	शुद्ध राजस्व प्राप्तियां	सकल राजस्व प्राप्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)= (2)+(5)
2017-18	19,19,183	6,73,005	12,46,178	4,44,965	16,91,143	23,64,148
	81.18%			18.82%		
2018-19	20,80,465	7,61,454	13,19,011	4,87,451	18,06,462	25,67,916
	81.02%			18.98%		
2019-20	20,10,059	6,50,677	13,59,382	5,88,701	19,48,083	25,98,760
	77.35%			22.65%		
2020-21	20,27,104	5,94,997	14,32,107	4,32,406	18,64,513	24,59,510
	82.42%			17.58%		
2021-22	27,09,315	8,98,392	18,10,923	6,25,498	24,36,421	33,34,813
	81.24%			18.76%		

नोट: आंकड़े प्रतिशत में सकल राजस्व प्राप्तियों के अनुपात के रूप में दर्शाए गए हैं।
सहायता अनुदान और बाहरी एजेंसियों से योगदान शामिल है।

तालिका 2.8 से देखा जा सकता है, सकल कर राजस्व की वृद्धि दर वित्तीय वर्ष 2017-18 में 11.84 प्रतिशत से घटकर वित्तीय वर्ष 2018-19 में 8.40 प्रतिशत हो गई, इसके बाद वित्तीय वर्ष 2019-20 में 3.38 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि हुई। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 0.85 प्रतिशत की मामूली वृद्धि के बाद वित्तीय वर्ष 2021-22 में 33.65 प्रतिशत की काफी वृद्धि देखी गई। राज्यों के हिस्से के संबंध में, लगातार दो वर्षों में नकारात्मक वृद्धि (वित्तीय वर्ष 2019-20 में -14.55 प्रतिशत और वित्तीय वर्ष 2020-21 में -8.56 प्रतिशत) के बाद, वित्तीय वर्ष 2021-22 में, पिछले पांच वर्षों के दौरान 50.99 प्रतिशत की उच्चतम वृद्धि देखी गयी।

वित्तीय वर्ष 2017-18 से वित्तीय वर्ष 2021-22 तक सरकार के गैर-कर राजस्व में उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति देखी गई, जबकि वित्तीय वर्ष 2021-22 में 44.66 प्रतिशत की पर्याप्त वृद्धि देखी गई।

2.3.3.1 राजस्व कर

कर राजस्व में दो घटक होते हैं - प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। निगम कर, निगम कर के अलावा अन्य आय पर कर, आदि प्रत्यक्ष कर का हिस्सा हैं, और वस्तु और सेवा कर (जीएसटी), सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क, आदि अप्रत्यक्ष कर का हिस्सा हैं। तालिका 2.9 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर राजस्व के घटकों के साथ-साथ उनकी वार्षिक वृद्धि दर को दर्शाती है।

तालिका 2.9: कर राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

अवधि	सकल कर राजस्व	निगम कर	आयकर	सीमा शुल्क	उत्पाद शुल्क	जीएसटी*	अन्य
2018-19	20,80,465	6,63,572	4,61,652	1,17,813	2,30,993	5,84,338	22,097
2019-20	20,10,059	5,56,876	4,80,348	1,09,283	2,39,452	6,01,784	22,316
2020-21	20,27,104	4,57,719	4,70,633	1,34,750	3,89,667	5,51,542	22,793
2021-22	27,09,315	7,12,037	6,73,414	1,99,728	3,90,808	7,02,105	31,223
जीडीपी के प्रतिशत के रूप में							
अवधि	सकल कर राजस्व	निगम कर	आयकर	सीमा शुल्क	उत्पाद शुल्क	जीएसटी	अन्य
2018-19	11.01%	3.51%	2.44%	0.62%	1.22%	3.09%	0.12%
2019-20	10.01%	2.77%	2.39%	0.54%	1.19%	3.00%	0.11%
2020-21	10.24%	2.31%	2.38%	0.68%	1.97%	2.79%	0.12%
2021-22	11.45%	3.01%	2.85%	0.84%	1.65%	2.97%	0.13%

*जीएसटी के आंकड़ों में सीजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी और जीएसटी मुआवजा उपकर शामिल हैं।

नोट: जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। तालिका 2.9 में पूरे वर्ष की तुलना के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 से आगे का विश्लेषण किया गया है।


वित्तीय वर्ष 2020-21 की तुलना में, वित्तीय वर्ष 2021-22 में सकल कर राजस्व में वृद्धि देखी गई, जो निगम कर में 55.56 प्रतिशत, सीमा शुल्क में 48.22 प्रतिशत और आयकर में 43.09 प्रतिशत की वृद्धि के कारण हुई। सकल कर राजस्व वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 10.24 प्रतिशत की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान जीडीपी का 11.45 प्रतिशत था।

इसके अलावा, उपकर संग्रह ₹4,78,680 करोड़ था, जो वित्तीय वर्ष 2021-22 में सकल कर राजस्व (₹27,09,315 करोड़) का 17.67 प्रतिशत था, जैसा कि तालिका 2.10 में दिखाया गया है। प्रमुख उपकरणों में आयकर और निगम कर पर स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर, कुछ वस्तुओं पर जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर, जैसे कि तंबाकू की वस्तुएं, मोटर

वाहन आदि, डीजल और पेट्रोल पर सड़क उपकर और आयातित वस्तुओं पर सामाजिक कल्याण अधिभार शामिल हैं।

तालिका 2.10: विभिन्न कर राजस्व के हिस्से के रूप में उपकर संग्रह

(₹ करोड़ में)



स्रोत: वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए यूजीएफए की विवरण संख्या 8

2.3.3.2 उपकर संग्रह

उपकर विशिष्ट उद्देश्य के लिए निधि जुटाने के लिए सरकार द्वारा लगाया गया एक अतिरिक्त कर है। उपकर संग्रह शुरू में सीएफआई में जमा किया जाता है। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) जुलाई 2017 से लागू किया गया है। जीएसटी में केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, मूल्य वर्धित कर, प्रवेश कर, चुंगी, आदि जैसे कर और कृषि कल्याण उपकर, स्वच्छ भारत उपकर, स्वच्छ ऊर्जा उपकर और चाय, चीनी और जूट पर उपकर आदि जैसे उपकर शामिल हैं। भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 से कृषि अवसंरचना और विकास उपकर नाम से एक नया उपकर लगाया गया।

संघ सरकार ने वर्ष 2017-18 से सीमा शुल्क पर शिक्षा उपकर के स्थान पर सामाजिक कल्याण अधिभार और प्रत्यक्ष कर पर प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा उपकर के स्थान पर स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर जैसे नए उपकर लगाते हुए वस्तु और सेवा पर विभिन्न उपकरों को समाप्त कर दिया है।

इसके अलावा, आयातित वस्तुओं पर प्राथमिक शिक्षा उपकर, आयातित वस्तुओं पर माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा उपकर, कच्चे पेट्रोलियम तेल पर उपकर, मोटर स्पिरिट पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (सड़क उपकर), हाई स्पीड डीजल तेल (सड़क उपकर) पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, मोटर स्पिरिट पर विशेष अतिरिक्त शुल्क, विशिष्ट आयातित और उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं पर सड़क और अवसंरचना उपकर, तंबाकू और तंबाकू उत्पादों और कच्चे पेट्रोलियम तेल पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क, यूनिवर्सल एक्सेस लेवी और सामाजिक कल्याण अधिभार, आदि लगाया जाना जारी है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभिन्न उपकरणों का कुल संग्रह ₹4,78,680 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2020-21 की तुलना में 19.69 प्रतिशत की वृद्धि) और उनकी वृद्धि दर तालिका 2.11 में दर्शाई गई है।

तालिका 2.11: उपकर संग्रह

(₹ करोड़ में)

अवधि	जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर*	समाज कल्याण अधिभार	कच्चे तेल पर उपकर	सड़क उपकर	यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिंगेशन (यूसओ)	कृषि अवसंरचना और विकास उपकर	अन्य	कुल
2017-18	62,612	31,656	1,222	13,579	84,038	7,019	0	22,182	2,22,308
2018-19	95,081	41,310	8,871	17,814	1,10,854	6,912	0	2,121	2,82,963
2019-20	95,553	39,241	8,796	14,062	1,22,440	7,962	0	5,901	2,93,955
2020-21	85,192	35,895	13,447	10,894	2,35,783	9,471	0	9,267	3,99,949
2021-22	1,04,769	52,750	16,945	19,354	1,95,987	10,376	76,951	1,548	4,78,680

* एमएच 0037, 0038 और 0044 के तहत प्राथमिक शिक्षा उपकर (₹15.44 करोड़) और माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा उपकर (₹2.50 करोड़) शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष 2020-21 की तुलना में, वित्तीय वर्ष 2021-22 में उपकर संग्रह में वृद्धि जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर में देखी गई, जो वस्तु एवं सेवा की घरेलू आपूर्ति पर उच्च संग्रह के कारण थी। इसी तरह वित्तीय वर्ष 2021-22 में स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर, सामाजिक कल्याण अधिभार, कच्चे तेल पर उपकर और यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिंगेशन में उपकर संग्रह में वृद्धि देखी गई। कृषि अवसंरचना और विकास उपकर कृषि अवसंरचना और अन्य विकास व्यय के वित्तपोषण के प्रयोजनों के लिए वित्त अधिनियम, 2021 के माध्यम से सीमा शुल्क और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के रूप में लगाया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021-22 में सड़क उपकर में कमी 'सड़क और अवसंरचना उपकर' और 'हाई-स्पीड डीजल ऑयल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क' के तहत कम संग्रह के कारण थी। 'अन्य' के मामले में, ₹7,719 करोड़ की कमी मुख्य रूप से 'निर्यात पर उपकर' के तहत 84.19 प्रतिशत कम संग्रह के कारण हुई।

2.3.4 गैर-कर राजस्व

गैर-कर राजस्व में ब्याज प्राप्तियां, न्यायपालिका से आय, पुलिस, मुद्रा और सिक्काढलाई, लाभांश और लाभ, रेलवे, डाक और विभागीय उपक्रमों और अन्य द्वारा एकत्र किए गए उपयोगकर्ता शुल्क आदि शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल गैर-कर राजस्व में 44.66 प्रतिशत की वृद्धि हुई। गैर-कर राजस्व की संरचना तालिका 2.12 में दी गई है।

तालिका 2.12: गैर-कर राजस्व की संरचना

(₹ करोड़ में)

अवधि	कुल गैर-कर राजस्व#	सकल राजस्व प्राप्तियों के % के रूप में	ब्याज प्राप्तियां	लाभांश और लाभ	सामाजिक सेवाएं	आर्थिक सेवाएं	अन्य
2017-18	4,44,965	18.82%	45,732	91,367	3,081	2,58,592	46,193
2018-19	4,87,451	18.98%	27,166	1,13,427	3,167	2,94,445	49,246
2019-20	5,88,701	22.65%	56,964	1,86,142	3,507	2,94,717	47,371
2020-21	4,32,406	17.58%	59,540	96,889	3,878	2,29,491	42,608
2021-22	6,25,498	18.76%	46,178	1,60,653	4,901	3,46,372	**67,394

इसमें बाहरी एजेंसियों से सहायता अनुदान और अंशदान शामिल हैं।

** वित्तीय सेवाएं (₹193 करोड़), सामान्य सेवाएं (₹65,895 करोड़) और सहायता अनुदान और अंशदान (₹1,306 करोड़)।

स्रोत: वित्तीय वर्ष 2017-18 से वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वित्त लेखे।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में गैर-कर राजस्व का सबसे बड़ा हिस्सा आर्थिक सेवाओं (55.38 प्रतिशत) से आया, लाभांश और लाभ का हिस्सा 25.68 प्रतिशत था, जबकि ब्याज प्राप्तियों का हिस्सा 7.38 प्रतिशत था। वित्तीय वर्ष 2020-21 की तुलना में, वित्तीय वर्ष 2021-22 में सकल गैर-कर राजस्व में ₹1,93,092 करोड़ की पर्याप्त वृद्धि मुख्य रूप से आर्थिक सेवाओं में ₹1,16,881 करोड़, लाभांश और लाभ में ₹63,764 करोड़ और अन्य ₹24,786 करोड़ की वृद्धि के कारण थी। यह वृद्धि ब्याज प्राप्तियों में ₹13,362 करोड़ की कमी से आंशिक रूप से समायोजित हुई।

पिछले वित्तीय वर्ष (2020-21) की तुलना में सार्वजनिक उपक्रमों से ₹19,623 करोड़ के लाभांश की उच्च प्राप्तियों और ₹41,994 करोड़ के भारतीय रिजर्व बैंक से अधिशेष लाभ के हिस्से के कारण लाभांश और लाभ से प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 65.81 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान ब्याज प्राप्तियों में, 22.44 प्रतिशत (₹13,362 करोड़) की नकारात्मक वृद्धि देखी गई जो मुख्य रूप से ₹18,655 करोड़ के बाजार ऋण पर

कम प्रीमियम के कारण थी, जिसे ₹5,533 करोड़ के नकद शेष के निवेश से उच्च ब्याज द्वारा आंशिक रूप से समायोजित किया गया था।

पिछले वर्ष की तुलना में सामाजिक सेवा के अंतर्गत प्राप्तियों में, 26.38 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई, जो ₹516 करोड़ के चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य और ₹266 करोड़ के आवास के लिए उच्च प्राप्तियों के कारण हुई।

इसके अलावा, आर्थिक सेवाओं से प्राप्तियां, जो गैर-कर राजस्व के आधे से अधिक के लिए जिम्मेदार हैं, में निम्नलिखित प्रमुख घटक थे जैसा कि तालिका 2.13 में दिखाया गया है।

तालिका 2.13: आर्थिक सेवाओं से प्राप्तियों के प्रमुख घटक

(₹ करोड़ में)

अवधि	भारतीय रेल- वाणिज्यिक लाइनें	डाक प्राप्तियाँ	अन्य संचार सेवाएं	अन्य	कुल आर्थिक सेवाएं
2017-18	1,76,779	12,833	32,066	36,914	2,58,592
2018-19	1,87,738	13,196	40,816	52,695	2,94,445
2019-20	1,72,021	13,558	69,846	39,292	2,94,717
2020-21	1,38,264	10,632	45,501	35,094	2,29,491
2021-22	1,88,688	10,861	85,828	60,995	3,46,372

तालिका 2.13 से, यह देखा जा सकता है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 की तुलना में चालू वर्ष के दौरान आर्थिक सेवाओं की प्राप्तियों में ₹1,16,881 करोड़ (50.93 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, संघ सरकार ने 98 संस्थाओं से ₹1,60,653 करोड़ का लाभांश/अधिशेष प्राप्त किया, जबकि वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 89 संस्थाओं से ₹96,889 करोड़ प्राप्त हुए, जैसा कि तालिका 2.14 में दिखाया गया है।

तालिका 2.14: लाभांश और लाभ की संरचना

(₹ करोड़ में)

अवधि	आरबीआई से अधिशेष लाभ का हिस्सा	सार्वजनिक उपक्रमों से लाभांश	राष्ट्रीयकृत बैंकों से लाभ का हिस्सा	अन्य से लाभांश	कुल लाभांश और लाभ
2017-18	40,659	46,495	1,826	2,387	91,367
2018-19	68,000	43,049	108	2,270	1,13,427
2019-20	1,47,988	35,509	0	2,645	1,86,142
2020-21	57,128	39,497	0	264	96,889
2021-22	99,122	59,120	2,231	180	1,60,653

प्राप्त लाभांश और लाभ में, आरबीआई से प्राप्त अधिशेष का हिस्सा (₹99,122 करोड़) अकेले इस मद के तहत कुल प्राप्तियों का 61.70 प्रतिशत था। लाभांश देने वाली अन्य प्रमुख संस्थाओं में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (₹7,814 करोड़), कोल इंडिया लिमिटेड (₹7,132 करोड़), ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (₹6,916 करोड़), पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (₹5,551 करोड़), इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (₹5,091 करोड़), नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (₹3,543 करोड़), राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड (₹2,626 करोड़), हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड (₹2,246 करोड़), राष्ट्रीयकृत बैंक (₹2,231 करोड़), स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (₹2,228 करोड़) और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (₹2,056 करोड़) शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से लाभांश का हिस्सा ₹39,497 करोड़ (गैर-कर राजस्व का 9.13 प्रतिशत) से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹59,120 करोड़ (गैर-कर राजस्व का 9.45 प्रतिशत) हो गया, जो मुख्य रूप से तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (₹5,586 करोड़), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (₹5,401 करोड़), पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (₹2,048 करोड़), कोल इंडिया लिमिटेड (₹2,038) करोड़, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (₹1,960 करोड़) और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड (₹1,073 करोड़) से उच्च लाभांश के कारण था।

2.3.5 नकद शेष राशि के निवेश पर ब्याज प्राप्ति

31 मार्च 2022 के अंत में संघ सरकार के पास ₹35,352 करोड़ का नकद शेष निवेश था और वर्ष के दौरान नकद शेष राशि के निवेश के लिए ब्याज आय के रूप में ₹11,814 करोड़ प्राप्त हुए। इसी प्रकार, वित्तीय वर्ष 2020-21 में, नकद शेष निवेश और नकद शेष के निवेश के लिए ब्याज आय क्रमशः ₹2,32,572 करोड़ और ₹6,281 करोड़ था।

2.3.6 गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्ति

गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्ति में विविध पूंजीगत प्राप्ति और ऋण और अग्रिम की वसूली शामिल हैं। इसमें मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (पीएसई) के विनिवेश से प्राप्त लाभ शामिल होता है।

तालिका 2.15: गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां

(₹ करोड़ में)

अवधि	विविध पूंजीगत प्राप्तियां		ऋण और अग्रिम की वसूली	कुल गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां
	विनिवेश से प्राप्त लाभ	अन्य		
2017-18	88,970	11,078	70,639	1,70,687
2018-19	72,620	22,359	30,257	1,25,236
2019-20	48,234	2,115	18,647	68,996
2020-21	29,720	8,177	29,923	67,820
2021-22	8,432	6,206	24,948	39,586

सरकार ने पीएसयू में अपनी इक्विटी के विनिवेश से वित्तीय वर्ष 2020-21 में ₹29,720 करोड़ की तुलना में वर्ष के दौरान ₹8,432 करोड़ प्राप्त किए। यह प्राप्तियां मुख्य रूप से राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड (₹3,654 करोड़), आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड (₹720 करोड़), हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (₹742 करोड़) की बिक्री; एयर इंडिया के रणनीतिक विनिवेश (₹2,700 करोड़); स्टॉक एक्सचेंज (₹219 करोड़) के माध्यम से इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (अब आरआईएल) के शेयरों की बिक्री और मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड (₹394 करोड़) के शेयरों की वापस खरीद के प्रस्ताव थीं।

2.4 संवितरण

2.4.1 संवितरण की प्रवृत्ति

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, वित्तीय वर्ष 2020-21 की तुलना में सीएफआई से कुल संवितरण में 8.14 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ₹1,39,94,654 करोड़ के कुल संवितरण में, सीएफआई से संवितरण 77.98 प्रतिशत था और शेष 22.02 प्रतिशत लोक लेखा से था जैसा कि तालिका 2.16 में वर्णित है।

तालिका 2.16: संवितरण की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
राजस्व व्यय (आरई)	21,40,085 (25.42)	22,61,571 (25.76)	26,15,320 (27.90)	33,14,852 (32.85)	34,68,189 (31.78)
पूंजीगत व्यय (सीई)	3,25,116 (3.86)	3,99,523 (4.55)	3,87,744 (4.14)	3,42,949 (3.40)	5,38,140 (4.93)
ऋण और अग्रिम (एलए)	82,136 (0.97)	54,667 (0.62)	45,141 (0.48)	2,49,846 (2.47)	2,32,205 (2.13)
कुल व्यय (आरई+सीई+एलए)	25,47,337	27,15,761	30,48,205	39,07,647	42,38,534
लोक ऋण की अदायगी	58,72,604 (69.75)	60,64,945 (69.07)	63,26,549 (67.48)	61,84,635 (61.28)	66,45,468 (60.89)


	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
आकस्मिक निधि में अंतरण	-	-	-	-	29,500 (0.27)
सीएफआई से संवितरण	84,19,941	87,80,706	93,74,754	1,00,92,282	1,09,13,502
लोक लेखा से संवितरण	14,34,375	16,53,371	20,84,799	28,44,653	30,81,152
कुल संवितरण	98,54,316	1,04,34,077	1,14,59,553	1,29,36,935	1,39,94,654

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े सीएफआई से संवितरण के प्रतिशत के रूप में दिखाते हैं।

तालिका 2.16 से, यह देखा जा सकता है कि सीएफआई से संवितरणों में से, लोक ऋण का भुगतान 60.89 प्रतिशत था और कुल व्यय 38.84 प्रतिशत था। वित्त विधेयक, 2021 के माध्यम से भारत की आकस्मिक निधि की वित्तीय सीमा ₹500 करोड़ से बढ़ाकर ₹30,000 करोड़ करने के कारण वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान ₹29,500 करोड़ (0.27 प्रतिशत) आकस्मिक निधि में हस्तांतरित किए गए। सीएफआई संवितरण के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण भुगतान पिछले पांच वर्षों में 69.75 प्रतिशत से घटकर 60.89 प्रतिशत हो गई। वित्तीय वर्ष 2017-18 से वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान राजस्व व्यय का हिस्सा बढ़ रहा था, लेकिन वित्तीय वर्ष 2020-21 में 32.85 प्रतिशत से थोड़ा कम होकर वित्तीय वर्ष 2021-22 में 31.78 प्रतिशत हो गया।

इसके अलावा, **तालिका 2.17** सीएफआई से कुल संवितरण में लोक ऋण और ब्याज भुगतान के हिस्से को दर्शाता है।


तालिका 2.17: सीएफआई में लोक ऋण और ब्याज भुगतान का हिस्सा



इस प्रकार, वित्तीय वर्ष 2017-18 से वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान सीएफआई से कुल संवितरण में ऋण और ब्याज भुगतान से संबंधित संवितरण का हिस्सा घटती प्रवृत्ति दर्शाता है, जिसके बाद वित्तीय वर्ष 2020-21 में काफी गिरावट आई है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 68.42 प्रतिशत से थोड़ा बढ़कर वित्तीय वर्ष 2021-22 में यह 68.48 प्रतिशत हो गया।

इसके अलावा, **तालिका 2.18** सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में व्यय की प्रवृत्ति को दर्शाता है।

तालिका 2.18: सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में व्यय



इस प्रकार, जैसा कि तालिका 2.18 से देखा जा सकता है, सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल व्यय घट गया (वित्तीय वर्ष 2020-21 में 19.73 प्रतिशत से वित्तीय वर्ष 2021-22 में 17.91 प्रतिशत), और राजस्व व्यय भी सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में घट गया (वित्तीय वर्ष 2020-21 में 16.74 प्रतिशत से वित्तीय वर्ष 2021-22 में 14.66 प्रतिशत) जबकि जीडीपी के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय में वित्तीय वर्ष 2020-21 में 1.73 प्रतिशत से वित्तीय वर्ष 2021-22 में 2.27 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

2.4.2 क्षेत्रीय व्यय

संघ सरकार के लेखों में, व्यय को विभिन्न मुख्य शीर्षों के तहत लेखाबद्ध किया जाता है, जो बदले में, चार क्षेत्रों में समूहित होते हैं, नामतः 'सामान्य सेवाएं', 'सामाजिक सेवाएं', 'आर्थिक सेवाएं' और 'सहायता-अनुदान और अंशदान'।

तालिका 2.19 क्षेत्रीय व्यय (राजस्व और पूंजीगत व्यय दोनों) का विवरण प्रस्तुत करती है।

तालिका 2.19: संघ सरकार का क्षेत्रीय व्यय

(₹ करोड़ में)

क्षेत्रीय व्यय		2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
सामान्य सेवाएं	राजस्व व्यय	10,10,124	11,02,022	12,12,505	12,96,967	14,82,119
	पूंजीगत व्यय	1,06,529	1,13,089	1,24,994	1,42,949	1,54,053
	ऋण और अग्रिम	0	0	0	0	0
	उप कुल	11,16,653	12,15,111	13,37,499	14,39,916	16,36,172
	वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (%)	8.88	8.82	10.07	7.66	13.63
	जीडीपी के % के रूप में	6.53	6.43	6.66	7.27	6.91

संघ सरकार के वित्त वर्ष 2021-22 के लेखों पर
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

क्षेत्रीय व्यय		2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
सामाजिक सेवाएं	राजस्व व्यय	1,01,337	1,07,414	1,35,769	1,71,271	2,66,367
	पूंजीगत व्यय	9,771	9,823	9,899	7,611	10,099
	ऋण और अग्रिम	10,561	11,924	14,449	6,992	18,942
	उप कुल	1,21,669	1,29,161	1,60,117	1,85,874	2,95,408
	वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (%)	4.87	6.16	23.97	16.09	58.93
	जीडीपी के % के रूप में	0.71	0.68	0.80	0.94	1.25
आर्थिक सेवाएं	राजस्व व्यय	6,47,099	6,69,423	7,36,314	12,61,988	10,97,901
	पूंजीगत व्यय	2,08,816	2,76,611	2,52,851	1,92,388	3,73,988
	ऋण और अग्रिम	53,018	18,132	4,839	93,364	16,381
	उप कुल	9,08,933	9,64,166	9,94,004	15,47,740	14,88,270
	वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (%)	14.95	6.08	3.09	55.71	-3.84
	जीडीपी के % के रूप में	5.32	5.10	4.95	7.82	6.29
अनुदान सहायता और योगदान	राजस्व व्यय	3,81,526	3,82,712	5,30,731	5,84,627	6,21,802
	उप कुल	3,81,526	3,82,712	5,30,731	5,84,627	6,21,802
	वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (%)	31.11	0.31	38.68	10.16	6.36
	जीडीपी के % के रूप में	2.23	2.02	2.64	2.95	2.63
कुल योग		25,28,781	26,91,150	30,22,351	37,58,157	40,41,652
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (%)		13.74	6.42	12.31	24.35	7.54

स्रोत: वित्तीय वर्ष 2017-18 से वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए यूजीएफए।

नोट: क्षेत्रीय वर्गीकरण में विदेशी सरकारों (₹444 करोड़), राज्य सरकारों (₹1,85,136 करोड़), केंद्रशासित प्रदेशों (₹11,135 करोड़) और सरकारी कर्मचारियों (₹167 करोड़) को दिए गए ऋण शामिल नहीं हैं।

तालिका 2.19 से देखा जा सकता है, वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, आवास (₹40,646 करोड़), चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य (₹37,222 करोड़), जल आपूर्ति और स्वच्छता (₹36,436 करोड़) और श्रम, रोजगार व कौशल विकास (₹11,015 करोड़) पर उच्च व्यय के कारण सामाजिक सेवाओं में 58.93 प्रतिशत की उच्चतम वृद्धि देखी गई।

13.63 प्रतिशत की दूसरी उच्चतम वृद्धि सामान्य सेवाओं पर व्यय में देखी गई, जो ब्याज भुगतान (₹1,11,075 करोड़), सीमा शुल्क (₹49,841 करोड़), रक्षा सेवाओं - सेना (₹16,547 करोड़) और पुलिस (₹11,590 करोड़) पर व्यय में वृद्धि के कारण थी।

पिछले वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021-22 में सहायता अनुदान और अंशदान में 6.36 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई, जो राज्य सरकारों को ₹38,799 करोड़ की सहायता अनुदान में वृद्धि के कारण थी।

इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2020-21 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021-22 में आर्थिक सेवाओं पर व्यय में ₹59,470 करोड़ (3.84 प्रतिशत की कमी) की गिरावट देखी गई। यह मुख्य रूप से खाद्य, भंडार और भंडारण पर व्यय में ₹2,52,535 करोड़ और पेट्रोलियम पर ₹33,884 करोड़ की कमी के कारण हुआ। व्यय में यह कमी भारतीय रेलवे (₹1,55,500 करोड़), नागरिक उड्डयन पर पूंजीगत परिव्यय (₹62,386 करोड़),

सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय (₹24,819 करोड़) और उद्योग (₹22,357 करोड़) पर व्यय में वृद्धि द्वारा आंशिक रूप से समायोजित हुई।

2.4.3 राजस्व व्यय का विश्लेषण

सरकार, सरकारी विभागों के सामान्य दिन-प्रतिदिन के संचालन के लिए, विभिन्न सेवाओं, वेतन, अपने ऋण पर ब्याज के भुगतान, पेंशन, सब्सिडी आदि के लिए राजस्व व्यय करती है। संघ सरकार के लिए राज्य सरकारों और अन्य को दिए गए सभी अनुदान भी राजस्व व्यय की श्रेणी में आते हैं।

राजस्व मदों में, ब्याज भुगतान, वेतन और पेंशन भुगतान प्रतिबद्ध व्यय हैं।

तालिका 2.20: राजस्व व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)

अवधि	राजस्व व्यय	वेतन#	ब्याज भुगतान	पेंशन**	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान	अन्य##
2017-18	21,40,085	1,93,503 (9.04)	5,43,707 (25.41)	1,45,745 (6.81)	3,76,502 (17.59)	8,80,628 (41.15)
2018-19	22,61,571	2,18,022 (9.64)	5,95,552 (26.33)	1,60,212 (7.08)	3,75,997 (16.63)	9,11,788 (40.32)
2019-20	26,15,320	2,27,627 (8.70)	6,55,371 (25.06)	1,83,955 (7.03)	5,22,911 (19.99)	10,25,456 (39.21)
2020-21	33,14,852	3,33,816 (10.07)	7,20,984 (21.75)	2,08,473 (6.29)	5,76,881 (17.40)	14,74,698 (44.49)
2021-22	34,68,189	2,48,520 (7.17)	8,28,253 (23.88)	1,98,946 (5.74)	6,16,141 (17.77)	15,76,329 (45.44)

स्रोत: वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए व्यय प्रोफाइल का विवरण 22; ** एमएच -2071 के तहत सिविल और रक्षा पेंशन शामिल हैं और पोस्ट और रेलवे पेंशन शामिल नहीं हैं, ## अन्य में रक्षा, रेलवे, विविध सामान्य सेवाओं आदि पर व्यय शामिल है।

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े राजस्व व्यय का प्रतिशत दर्शाते हैं।

तालिका 2.20 दर्शाती है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, ब्याज भुगतान राजस्व व्यय का सबसे बड़ा एकल घटक था (अन्य को छोड़कर) जो कुल राजस्व व्यय का 23.88 प्रतिशत था और इसने वित्तीय वर्ष 2021-22 में उच्चतम विकास दर (14.88 प्रतिशत) भी दिखाया। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2021-22 में राजस्व व्यय के वेतन और पेंशन को छोड़कर हर घटक में सकारात्मक वृद्धि हुई।

2.4.3.1 ब्याज भुगतान

इस शीर्ष में लोक ऋण (आंतरिक और बाहरी दोनों) पर ब्याज के भुगतान और सरकार की अन्य ब्याज-युक्त देनदारियों का प्रावधान है, जिसमें बीमा और पेंशन निधि, भविष्य

निधि, आरक्षित निधि, जमा और विभिन्न कंपनियों और निगमों को जारी विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज शामिल है। इसमें ऋण की कमी या परिहार पर व्यय भी शामिल है।

तालिका 2.21: राजस्व व्यय का ब्याज भुगतान

अवधि	ब्याज भुगतान (आईपी)	राजस्व प्राप्ति (आरआर)	राजस्व व्यय (आरई)	कुल व्यय (टीई)	आईपी की वृद्धि	आरआर में आईपी का हिस्सा	आरई में आईपी का हिस्सा	टीई में आईपी का हिस्सा
	(₹ करोड़ में)				(प्रतिशत में)			
2017-18	5,43,707	16,91,143	21,40,085	25,47,337	7.77	32.15	25.41	21.34
2018-19	5,95,552	18,06,462	22,61,571	27,15,761	9.54	32.97	26.33	21.93
2019-20	6,55,371	19,48,083	26,15,320	30,48,205	10.04	33.64	25.06	21.50
2020-21	7,20,984	18,64,513	33,14,852	39,07,647	10.01	38.67	21.75	18.45
2021-22	8,28,253	24,36,421	34,68,189	42,38,534	14.88	33.99	23.88	19.54

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान ब्याज भुगतान में अन्य बातों के साथ-साथ आंतरिक ऋण पर ब्याज भुगतान (₹7,52,200 करोड़, 90.82 प्रतिशत), छोटी बचत और भविष्य निधि पर ब्याज, आदि (₹47,096 करोड़), बाहरी ऋण पर ब्याज भुगतान (₹7,053 करोड़), आरक्षित निधि पर ब्याज (₹546 करोड़), अन्य दायित्वों पर ब्याज (₹16,117 करोड़) और ऋण में कमी या परिहार के लिए विनियोग (₹5,241 करोड़) शामिल थे।

वित्तीय वर्ष 2018-19 से वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान ब्याज भुगतान में वृद्धि की प्रवृत्ति का कारण वित्तीय वर्ष 2018-19 से वित्तीय वर्ष 2021-22 तक आंतरिक ऋण पर ब्याज की देनदारी में निरंतर वृद्धि, वित्तीय वर्ष 2017-18 से वित्तीय वर्ष 2019-20 तक के दौरान बाहरी ऋण पर ब्याज में वृद्धि और वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान ऋण में कमी या परिहार के लिए विनियोग में वृद्धि है।

2.4.3.2 पेंशन भुगतान

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ पर किया गया कुल व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 में ₹2,66,668 करोड़ से 1.96 प्रतिशत घटकर ₹2,61,442 करोड़ हो गया, जैसा कि तालिका 2.22 में दिखाया गया है।

तालिका 2.22: पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ पर व्यय

(₹ करोड़ में)

अवधि	रक्षा	सिविल	रेलवे	डाक	कुल
2017-18	92,000 (46.11)	53,745 (26.94)	45,275 (22.69)	8,511 (4.27)	1,99,531
2018-19	1,01,775 (47.20)	58,437 (27.10)	46,718 (21.66)	8,706 (4.04)	2,15,636
2019-20	1,17,810 (48.57)	66,144 (27.27)	49,188 (20.28)	9,419 (3.88)	2,42,561
2020-21	1,28,066 (48.02)	80,407 (30.15)	48,435 (18.16)	9,760 (3.66)	2,66,668
2021-22	1,16,800 (44.68)	82,146 (31.42)	51,935 (19.86)	10,561 (4.04)	2,61,442

स्रोत: सिविल और रक्षा पेंशन के लिए, आंकड़े वित्त लेखे (मुख्य शीर्ष 2071) से हैं। रेलवे और पोस्ट के लिए, आंकड़े उनके विनियोग लेखों से हैं।

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ पर कुल व्यय का अनुपात दर्शाते हैं।

2.4.3.3 सब्सिडी

सब्सिडी, राजस्व व्यय का 14.48 प्रतिशत थी। तालिका 2.23 सरकार द्वारा बजट के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सब्सिडी का विवरण प्रस्तुत करती है।

तालिका 2.23: संघ सरकार के बजट में सब्सिडी

(₹ करोड़ में)

अवधि	खाद्य	उर्वरक* (यूरिया)	उर्वरक # (विनियंत्रित)	पेट्रोलियम सब्सिडी	अन्य**	कुल सब्सिडी	राजस्व व्यय के % के रूप में सब्सिडी
2017-18	1,00,282 (-8.98)	64,756 (26.34)	22,244 (47.74)	24,460 (-11.18)	34,334 (19.31)	2,46,076 (5.70)	11.50
2018-19	1,01,327 (1.04)	46,514 (-28.17)	24,090 (8.30)	24,837 (1.54)	28,210 (-17.84)	2,24,978 (-8.57)	9.95
2019-20	1,08,688 (7.26)	54,755 (17.72)	26,369 (9.46)	38,529 (55.13)	33,963 (20.39)	2,62,304 (16.59)	10.03
2020-21	5,41,330 (398.06)	90,549 (65.37)	37,372 (41.73)	36,755 (-4.60)	48,930 (44.07)	7,54,936 (187.81)	22.77
2021-22	2,88,969 (-46.62)	1,00,988 (11.53)	52,770 (41.20)	3,421 (-90.69)	56,078 (14.61)	5,02,226 (-33.47)	14.48

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े वार्षिक वृद्धि का प्रतिशत दर्शाते हैं।

*देशी और आयातित उर्वरकों (यूरिया) पर दी जाने वाली सब्सिडी को दर्शाता है।

विनियंत्रित उर्वरकों के लिए दी गई सब्सिडी को दर्शाता है। वित्तीय वर्ष 2011-12 से यह पोषक तत्व आधारित सब्सिडी है।

**अन्य में ब्याज सब्सिडी, मूल्य समर्थन योजना के तहत कपास निगम द्वारा कपास की खरीद, कृषि मंत्रालय में बाजार हस्तक्षेप योजना और मूल्य समर्थन योजना (एमआईएस-पीएसएस), वित्तीय वर्ष 2018-19 से वित्तीय वर्ष 2019-20 सीजन तक चीनी मिलों को सहायता योजना, मूल्य स्थिरीकरण कोष, आदि शामिल हैं।

इस शीर्ष के तहत व्यय का बड़ा हिस्सा खाद्य और उर्वरक सब्सिडी के लिए था जिसे प्रमुख सब्सिडी के तहत वर्गीकृत किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 की तुलना में, वित्तीय वर्ष 2021-22 में सब्सिडी पर कुल व्यय में 33.47 प्रतिशत की गिरावट आई है, जिसका मुख्य कारण खाद्य सब्सिडी पर व्यय में 46.62 प्रतिशत की काफी कमी है, जो कि भारतीय खाद्य निगम को दी जाने वाली सब्सिडी में कमी के कारण था।।

कुल मिलाकर, राजस्व व्यय में सब्सिडी पर व्यय का हिस्सा वित्तीय वर्ष 2017-18 के 11.50 प्रतिशत से घटकर वित्तीय वर्ष 2018-19 में 9.95 प्रतिशत हो गया। वित्तीय वर्ष 2019-20 में 10.03 प्रतिशत से वित्तीय वर्ष 2020-21 में 22.77 प्रतिशत की पर्याप्त वृद्धि हुई थी, जो खाद्य सब्सिडी में ₹2,52,361 करोड़ और पेट्रोलियम सब्सिडी में ₹33,334 करोड़ की कमी के कारण वित्तीय वर्ष 2021-22 में घटकर 14.48 प्रतिशत हो गई।

2.4.3.4 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता अनुदान

तालिका 2.24: राज्यों और विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

अवधि	राज्यों को सहायता अनुदान				विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता अनुदान		
	केंद्र प्रायोजित योजनाएं	वित्त आयोग अनुदान	अन्य	राज्यों को कुल सहायता अनुदान	केंद्र प्रायोजित योजनाएं	अन्य	केंद्र शासित प्रदेशों को कुल सहायता अनुदान
2017-18	1,96,088	92,244	84,410	3,72,742	1,014	2,746	3,760
2018-19	2,03,151	93,703	71,318	3,68,172	792	7,033	7,825
2019-20	2,08,543	1,23,710	1,62,722	4,94,975	3,577	24,359	27,936
2020-21	2,08,395	1,84,062	1,33,757	5,26,214	7,886	42,781	50,667
2021-22	2,40,383	2,07,435	1,17,195	5,65,013	5,724	45,404	51,128

तालिका 2.24 से देखा जा सकता है कि, वित्तीय वर्ष 2017-18 से वित्तीय वर्ष 2020-21 तक केंद्र प्रायोजित योजनाओं से संबंधित सहायता अनुदान स्थिर रहा। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, यह वित्तीय वर्ष 2020-21 में ₹2,08,395 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹2,40,383 करोड़ हो गया (15.35 प्रतिशत की वृद्धि)। पिछले पांच वर्षों के दौरान, वित्त आयोग अनुदान वित्तीय वर्ष 2017-18 में ₹92,244 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹2,07,435 करोड़ हो गया। वित्तीय वर्ष 2020-21 की तुलना में, वित्तीय वर्ष 2021-22 में मुख्य रूप से 'हस्तांतरण के बाद राजस्व घाटा अनुदान' में ₹44,112 करोड़ की वृद्धि के कारण वित्त आयोग अनुदान में 12.70 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

2.4.4 पूंजीगत व्यय

वित्तीय वर्ष 2021-22 में, संघ सरकार द्वारा किया गया पूंजीगत व्यय ₹5,38,140 करोड़ था। तालिका 2.25 पिछले पांच वर्षों में पूंजीगत व्यय की प्रवृत्ति को दर्शाती है।

तालिका 2.25: पूंजीगत व्यय की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

अवधि	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
सामान्य सेवाएं	1,06,529	1,13,089	1,24,994	1,42,949	1,54,053
रक्षा सेवाएं	90,445	95,231	1,11,092	1,34,305	1,37,987
अन्य	16,084	17,858	13,902	8,644	16,066
सामाजिक सेवाएं	9,771	9,823	9,899	7,611	10,099
जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास	5,113	3,795	4,688	3,059	6,078
अन्य	4,658	6,028	5,211	4,552	4,021
आर्थिक सेवाएं	2,08,816	2,76,611	2,52,851	1,92,389	3,73,988
परिवहन	99,882	1,27,281	1,39,481	1,22,734	2,97,767
सामान्य आर्थिक सेवाएं*	87,684	1,23,845	81,116	46,837	40,937
अन्य	21,250	25,485	32,254	22,818	35,284
कुल	3,25,116	3,99,523	3,87,744	3,42,949	5,38,140
*सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थानों, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों आदि में निवेश।					

तालिका 2.25 से देखा जा सकता है कि, पूंजीगत व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 में ₹3,42,949 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹5,38,140 करोड़ हो गया (56.92 प्रतिशत की वृद्धि)। इस वृद्धि का मुख्य घटक आर्थिक सेवाओं (₹1,81,600 करोड़) पर उच्च व्यय था, जो भारतीय रेलवे (₹87,345 करोड़), नागरिक उड्डयन (₹62,386 करोड़) और सड़कों और पुलों (₹24,819 करोड़) पर पूंजीगत व्यय में वृद्धि के कारण था।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय में 32.69 प्रतिशत की वृद्धि मुख्य रूप से शहरी विकास पर अधिक पूंजीगत व्यय के कारण हुई। सामान्य सेवाओं में 7.77 प्रतिशत की वृद्धि मुख्य रूप से रक्षा सेवाओं, मुद्रा, सिक्का निर्माण और टकसाल और पुलिस पर अधिक पूंजीगत व्यय के कारण थीं।

2.4.4.1 निवेश

वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंत में सांविधिक निगमों, कंपनियों, बैंकों, अंतर्राष्ट्रीय निकायों, सहकारी समितियों आदि में संघ सरकार का कुल निवेश ₹14,11,857 करोड़ था, जो वित्तीय वर्ष 2020-21 की तुलना में ₹1,69,117 करोड़ की वृद्धि दर्शाता है।

तालिका 2.26: निवेश पर रिटर्न

(₹ करोड़ में)

अवधि	सांविधिक निगमों/कंपनियों/बैंकों/ अंतर्राष्ट्रीय निकायों आदि में संघ का कुल निवेश	वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश और लाभ*	निवेश पर रिटर्न	निवेश पर रिटर्न (आरबीआई से अधिशेष हस्तांतरण को छोड़कर)
2020-21	12,42,740	96,889	7.80%	3.20%
2021-22	14,11,857	1,60,653	11.38%	4.36%

* लाभांश और लाभ की तालिका 2.14 में चर्चा की गई है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, प्रमुख निवेश एयर इंडिया एसेट होल्डिंग लिमिटेड (₹62,365 करोड़), भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (₹57,055 करोड़), नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट को पूंजीगत सहायता (₹20,000 करोड़), डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (₹12,544 करोड़) और नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (₹12,250 करोड़) में किया गया।

इसके अलावा, पिछले पांच वर्षों में संघ सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों में ₹2,86,043 करोड़ का निवेश किया, जैसा कि तालिका 2.27 में दिखाया गया है।

तालिका 2.27: राष्ट्रीयकृत बैंकों को जारी की गई प्रतिभूतियां और निवेश

(₹ करोड़ में)

अवधि	वर्ष के अंत में राष्ट्रीयकृत बैंकों में संघ सरकार का कुल निवेश	वर्ष के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों में संघ सरकार का निवेश	वर्ष के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों को जारी प्रतिभूतियां
2017-18	2,20,521	90,000	80,000
2018-19	3,26,507	1,06,000	1,10,500
2019-20	3,91,946	65,443	75,848
2020-21	4,11,946	20,000	20,000
2021-22	4,17,546	4,600	4,600
कुल		2,86,043	2,90,948

यद्यपि, राष्ट्रीयकृत बैंकों में कुल निवेश ₹5,600 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2020-21 में ₹4,11,946 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹4,17,546 करोड़ हो गया), हालाँकि, वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, संघ सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों में ₹4,600 करोड़ का निवेश किया था और भारतीय महिला बैंक में ₹1,000 करोड़ के शेष निवेश का राष्ट्रीयकृत बैंकों में विलय कर दिया गया था।

पिछले पांच वर्षों के दौरान, ₹2,86,043 करोड़ के निवेश के प्रति, बैंकों को जारी की गई प्रतिभूतियाँ ₹2,90,948 करोड़ थीं।

2.5 संघ सरकार की देयताएँ

यूजीएफए की विवरण संख्या 2 संघ सरकार के ऋण की स्थिति का सारांश प्रदान करती है। तालिका 2.28 में यूजीएफए के अनुसार संघ सरकार की बकाया देनदारियों पर चर्चा की गई है।

तालिका 2.28: संघ सरकार की बकाया देयताएँ

(₹ करोड़ में)

अवधि	लोक ऋण		लोक लेखा देयताएँ		संघ सरकार की देयताएँ (यूजीएफए के अनुसार)
	आंतरिक ऋण	31.03.2022 को वर्तमान कीमतों पर बाहरी ऋण	लघु बचत, भविष्य निधि आदि	आरक्षित निधि और जमाराशी	
2017-18	64,01,275	4,45,282	13,94,422	2,52,758	84,93,737
2018-19	70,74,941	4,74,439	15,09,506	3,02,510	93,61,396
2019-20	80,20,490	5,44,394	15,74,289	3,04,444	1,04,43,617
2020-21	99,09,543	6,14,829	14,27,324	3,33,948	1,22,85,644
2021-22	1,14,62,343	6,58,334	12,24,452	4,19,765	1,37,64,894

वित्तीय वर्ष 2017-18 के बाद से कुल देयता में लगातार 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई। वित्तीय वर्ष 2021-22 में, लोक ऋण (₹15,96,305 करोड़) में वृद्धि के कारण वित्तीय वर्ष 2020-21 की तुलना में 12.04 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

2.5.1 लोक लेखा देयताएँ

संघ सरकार की लोक लेखा देयताएँ, उधारकर्ता के बजाय एक बैंकर या एक ट्रस्टी के रूप में होती हैं। इनमें लघु बचत (भविष्य निधि, बीमा निधि), आरक्षित निधि और जमा शामिल हैं। यह सभी देयताएँ या तो उनके भुगतान के संदर्भ में या निर्दिष्ट व्यय करने के लिए सरकार के दायित्व हैं। इन लेन-देनों को यूजीएफए के विवरण 13, 14 और 16 में संक्षेपित किया गया है।


जैसा कि तालिका 2.29 में दर्शाया गया है, 31 मार्च 2022 तक संघ सरकार की कुल लोक लेखा देयताएँ ₹16,44,216 करोड़ थीं।

कुल लोक लेखा देयताओं में से, ₹5,36,722 करोड़ राष्ट्रीय लघु बचत कोष (एनएसएसएफ) के लेखों में थे, जिसमें विशेष राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश (₹3,90,930 करोड़), सरकारी उपक्रम (₹85,570 करोड़), संचित घाटा (₹41,143 करोड़), क्रेडिट शेष (₹19,079 करोड़), राज्य भविष्य निधि में ₹2,57,260 करोड़, विशेष जमा और खातों में ₹3,18,253 करोड़, आरक्षित निधि और जमा में ₹4,19,765 करोड़,

डाकघर बीमा निधि के खाते में ₹1,07,767 करोड़ और अन्य देयताओं⁵ में ₹4,449 करोड़ शामिल हैं।

तालिका 2.29: वित्तीय वर्ष 2021-22 में लोक लेखा देयताएं

(₹ करोड़ में)



राष्ट्रीय लघु बचत कोष में बचत जमा जैसे डाकघर बचत खाता, डाकघर आवर्ती जमा, डाकघर सावधि जमा, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, सुकन्या समृद्धि खाते, बचत प्रमाणपत्र जैसे डाकघर प्रमाण पत्र, और सार्वजनिक भविष्य निधि शामिल हैं। विशेष जमा और खातों में कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा विशेष जमा, कर्मचारी भविष्य निधि योजना, भारतीय खाद्य निगम को जारी विशेष प्रतिभूतियां, उर्वरक कंपनियों को विशेष बांड आदि शामिल हैं।

इसके अलावा, तालिका 2.30 एनएसएसएफ निधियों से किए गए निवेश और संचित घाटे (आय और व्यय का शुद्ध) की प्रवृत्ति को दर्शाती है।

तालिका 2.30: एनएसएसएफ का निवेश

(₹ करोड़ में)

अवधि	कुल जमा	निवेश	संचित घाटा
2017-18	12,89,604	11,53,164	1,07,638
2018-19	15,01,608	13,51,761	1,13,652
2019-20	17,81,883	16,55,903	1,09,462
2020-21	20,87,447	18,73,794	78,524
2021-22	24,20,643	23,60,421	41,143

⁵ ट्रस्ट और दान, बीमा और पेंशन निधि और अन्य जमा और खातों के कारण देयताएँ।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंत में, एनएसएसएफ के तहत कुल जमा राशि ₹24,20,643 करोड़ थी, जिसके प्रति कुल निवेश ₹23,60,421 करोड़ था, ₹60,222 करोड़ की गैर-निवेशित राशि शेष थी। हालांकि, ₹41,143 करोड़ के संचित घाटे को समायोजित करने के बाद, बिना निवेश वाली जमा राशि ₹19,079 करोड़ हो गई। संचित घाटा, जो वित्तीय वर्ष 2017-18 में ₹1,07,638 करोड़ था, वित्तीय वर्ष 2021-22 में घटकर ₹41,143 करोड़ हो गया है।

2.5.2 आरक्षित निधि

संघ सरकार के लोक लेखों में आरक्षित निधि को ब्याज सहित और ब्याज रहित के रूप में वर्गीकृत किया गया है। लोक लेखों में 54 आरक्षित निधियों में से 19 ब्याज सहित हैं और 35 ब्याज रहित हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान ब्याज सहित आरक्षित निधियों के संबंध में ₹546 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया गया। वर्ष के दौरान 54 आरक्षित निधियों में से 11 का संचालन नहीं किया गया। यूजीएफ में, उपकर, लेवी और शुल्क जो विशिष्ट उद्देश्यों के लिए एकत्र किए जाते हैं के संग्रह और उपयोग के लेखांकन के लिए आरक्षित निधि होती है।

2.5.2.1 आरक्षित निधि में और आरक्षित निधि से अंतरण का विश्लेषण

संविधान का अनुच्छेद 266 भारत सरकार की ओर से प्राप्त होने वाली निधि के रूप में लोक लेखा को परिभाषित करता है। आरक्षित निधि में सरकार द्वारा रखा गया धन लोक लेखा का हिस्सा है और विशिष्ट वस्तुओं जैसे सड़क विकास, भविष्य निधि, प्राथमिक शिक्षा आदि पर व्यय निर्धारित आरक्षित निधि के माध्यम से किया जाता है। यह निधि सरकार से संबंधित नहीं हैं और जिन्होंने जमा किया है, उनको अथवा संबंधित देयता को वापस करना होगा। ऐसे भुगतान के लिए संसदीय प्राधिकरण की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, जब संसद के अनुमोदन से संचित निधि से धन निकाला जाता है और किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए व्यय के लिए लोक लेखा में रखा जाता है, तो इसे संसद में मत के लिए प्रस्तुत किया जाता है।

नौ प्रमुख आरक्षित निधि⁶ थीं, जिनके लिए भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में आरक्षित निधि में अंतरण एवं उससे व्यय के लिए बजट प्रावधान किया था। नौ में से, आरई की तुलना में छह आरक्षित निधि⁷ में, ₹67,388 करोड़ का कम अंतरण किया गया था।


⁶ केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना फंड (सीआरआईएफ), जीएसटी मुआवजा फंड, माध्यमिक और उच्च शिक्षा कोष, राष्ट्रीय राजमार्ग निधि का मुद्रीकरण, राष्ट्रीय निवेश कोष, निर्भया फंड, प्रारंभिक शिक्षा कोष, सार्वभौमिक सेवा दायित्व कोष और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि

⁷ सीआरआईएफ, जीएसटी मुआवजा फंड और यूएसओ फंड में कम अंतरण नहीं हुआ।

आगे यह देखा गया कि बजटीय आंकड़ों (आरई) के मुकाबले नौ आरक्षित निधि में से आठ (यूएसओएफ को छोड़कर) में ₹95,670 करोड़ का कम उपयोग किया गया था। इसके अलावा, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष और प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि का भी निर्माण नहीं किया गया था और स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर के संग्रह से स्थानांतरित किए जाने वाले ₹46,499 करोड़ के बजट का अंतरण/उपयोग नहीं किया जा सका।

तालिका 2.31: आरक्षित निधि से किए गए व्यय की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)



तालिका 2.31 से यह देखा जाता है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 से वित्तीय वर्ष 2021-22 की अवधि के दौरान आरक्षित निधि से प्राप्तियों और संवितरण में लगभग 2.05 गुना की वृद्धि हुई है।

2.5.3 लोक ऋण प्रबंधन

यूजीएफए का विवरण 14 आंतरिक और बाहरी ऋण की विस्तृत स्थिति देता है जो एक साथ संघ सरकार के लोक ऋण का गठन करते हैं और सीएफआई में सुरक्षित हैं। आंतरिक ऋण में मुख्य रूप से बाजार ऋण, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को जारी प्रतिभूतियां, ट्रेजरी बिल और एनएसएसएफ, डाक जीवन बीमा (पीएलआई) और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को जारी विशेष संघ सरकार प्रतिभूतियां शामिल हैं। बाहरी ऋण विदेशी सरकारों और बहुपक्षीय निकायों से प्राप्त ऋण को दर्शाता है।

2.5.3.1 आंतरिक ऋण


तालिका 2.32 आंतरिक ऋण के घटकों को प्रस्तुत करती है, जैसे संबंधित वित्तीय वर्षों के अंत में बाजार ऋण, ट्रेजरी बिल, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को जारी की गई प्रतिभूतियां, मुआवजा और अन्य बांड।

तालिका 2.32: आंतरिक ऋण - संरचना और प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

अवधि	बाजार ऋण	ट्रेजरी बिल*	जारी प्रतिभूतियां			क्षतिपूर्ति और अन्य बांड	अन्य	कुल आंतरिक ऋण
			अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान	राष्ट्रीय लघु बचत कोष	डाक जीवन बीमा			
2017-18	50,70,744 (79.21)	5,36,321 (8.38)	1,04,370 (1.63)	4,83,919 (7.56)	20,894 (0.33)	44,531 (0.70)	1,40,496 (2.19)	64,01,275
2018-19	55,00,141 (77.74)	5,43,218 (7.68)	1,06,523 (1.51)	6,08,919 (8.61)	20,894 (0.30)	46,854 (0.66)	2,48,392 (3.51)	70,74,941
2019-20	59,86,127 (74.64)	6,13,321 (7.65)	1,01,909 (1.27)	8,48,919 (10.58)	20,894 (0.26)	53,212 (0.66)	3,96,108 (4.94)	80,20,490
2020-21	71,35,144 (72.00)	8,96,526 (9.05)	1,00,301 (1.01)	13,32,652 (13.45)	20,894 (0.21)	72,893 (0.74)	3,51,133 (3.54)	99,09,543
2021-22	80,26,725 (70.03)	9,73,964 (8.50)	1,01,329 (0.88)	18,83,921 (16.44)	20,894 (0.18)	85,630 (0.75)	3,69,880 (3.23)	1,14,62,343

* 31 मार्च 2022 को बकाया, ये एक वर्ष से कम के हैं।




कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल आंतरिक ऋण का प्रतिशत दर्शाते हैं। 'अन्य' में विशेष प्रतिभूतियों के बदले जारी बाजार प्रतिभूतियां, स्वर्ण मुद्राकरण योजना, सॉवरेन स्वर्ण बांड, बैंकों को जारी विशेष प्रतिभूतियां आदि शामिल हैं।

जैसा कि तालिका 2.32 में देखा जा सकता है, बाजार ऋण प्राथमिक घटक थे, जो वित्तीय वर्ष 2021-22 में आंतरिक ऋण का 70.03 प्रतिशत था। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2017-18 से वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान इसका अनुपात लगातार 79.21 से घटकर 70.03 प्रतिशत हो गया। वित्तीय वर्ष 2020-21 की तुलना में ट्रेजरी बिल, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान, पीएलआई और अन्य ऐसे घटक थे जिनमें चालू वर्ष में आंतरिक ऋण के अनुपात में कमी देखी गई। दूसरी ओर, आंतरिक ऋण के अनुपात के रूप में, एनएसएसएफ ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में 13.45 प्रतिशत से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2021-22 में 16.44 प्रतिशत की वृद्धि देखी। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2020-21 की तुलना में संघ सरकार का कुल आंतरिक ऋण 15.67 प्रतिशत बढ़ा है। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में, बाजार ऋण, जो वित्तीय वर्ष 2012-13 से वित्तीय वर्ष 2019-20

के दौरान 29-31 प्रतिशत के आसपास था, वित्तीय वर्ष 2020-21 में बढ़कर 36.03 प्रतिशत हो गया और फिर वित्तीय वर्ष 2021-22 में घटकर 33.92 प्रतिशत हो गया।

31 दिसंबर 2028 तक मोचन के लिए बकाया बाजार ऋण ₹29,15,872 करोड़ (बकाया बाजार ऋण का 36.33 प्रतिशत) है, जैसा कि तालिका 2.33 में दिखाया गया है।

तालिका 2.33: बाजार ऋण का पूर्णतः विवरण




वर्ष 2022 में, 40 वर्ष की सबसे लंबी पूर्णतः अवधि के साथ अनुबंधित दिनांकित प्रतिभूतियां थीं।

2.5.3.2 बाहरी ऋण

तालिका 2.34 ऐतिहासिक विनिमय दरों और वर्तमान विनिमय दरों पर पिछले पांच वर्षों के लिए संघ सरकार के बाहरी ऋण को प्रस्तुत करता है।

तालिका 2.34: बाहरी ऋण की प्रवृत्ति



जैसा कि तालिका 2.34 से देखा जा सकता है, वित्तीय वर्ष 2020-21 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 13.10 प्रतिशत की ऐतिहासिक दर पर (मुद्रा दर जब ऋण शुरू में अनुबंधित किया गया था) और वर्तमान दर पर 7.08 प्रतिशत (31 मार्च 2022 को इसी मुद्रा के लिए लागू) बाहरी ऋण की कुल राशि में वृद्धि देखी गई। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, प्रमुख बाहरी ऋण में ₹21,458 करोड़ का 'जापान सरकार से ऋण', ₹21,394 करोड़ का 'एशियाई विकास बैंक से ऋण' और ₹19,411 करोड़ का 'पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक से ऋण' शामिल था। तालिका 2.35 पिछले पांच वर्षों के लिए लोक ऋण प्राप्ति और भुगतान को दर्शाती है।

तालिका 2.35: लोक ऋण प्राप्ति और भुगतान

(₹ करोड़ में)

अवधि	आंतरिक ऋण का भुगतान और सर्विसिंग		बाहरी ऋण का भुगतान और सर्विसिंग		लोक ऋण का कुल भुगतान और सर्विसिंग	लोक ऋण की कुल प्राप्ति	कॉलम 6 से कॉलम 7 का प्रतिशतता
	मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज	(2+3+4+5)		
1	2	3	4	5	6	7	8
2017-18	58,45,919	4,87,527	26,685	5,951	63,66,082	65,54,002	97.13
2018-19	60,34,206	5,33,265	30,739	8,150	66,06,360	67,58,482	97.75
2019-20	62,92,658	5,78,186	33,891	9,420	69,14,155	73,01,387	94.70
2020-21	61,49,920	6,44,829	34,715	8,204	68,37,668	81,62,910	83.77
2021-22	66,09,686	7,52,200	35,782	7,053	74,04,721	82,49,152	89.76

तालिका 2.35 से, देखा जा सकता है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 से वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, लोक ऋण का भुगतान और सर्विसिंग कुल लोक ऋण प्राप्ति के 83 से 98 प्रतिशत के बीच रेंज रहा।

2.6 राजकोषीय मानदंड

एफआरबीएम अधिनियम, 2003 के अनुसार, राजस्व घाटा का अर्थ राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्ति के बीच का अंतर है। बजट एक सार (बीएजी) 2023-24 के अनुसार, वर्ष 2021-22 के लिए राजस्व घाटा (आरडी) 10,31,021 करोड़ था। वित्तीय वर्ष 2020-21 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021-22 में राजस्व घाटा (आरडी) गिरावट की ओर है। इसके अलावा, एफआरबीएम अधिनियम 2003 के अनुसार, राजकोषीय घाटा का मतलब एक वित्तीय वर्ष के दौरान भारत की समेकित निधि से, निधि में कुल प्राप्ति (ऋण प्राप्ति को छोड़कर) से ऋण के पुनर्भुगतान को छोड़कर कुल संवितरण की अधिकता है।

बजट एक सार (बीएजी) (बजट 2023-24) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटा (एफडी) ₹15,84,521 करोड़ था, जिसमें यूजीएफए में कुछ लेन-देन के कारण होने वाला व्यय जैसे जीएसटी मुआवजा में कमी के एवज में राज्यों को बैंक टू बैंक ऋण (₹1,59,000 करोड़) राज्य सरकारों की परियोजनाओं के लिए बाहरी सहायता (₹14,735 करोड़) और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को जारी प्रतिभूतियां (₹3,641 करोड़) और अन्य (₹630 करोड़) को शामिल नहीं किया गया। वित्तीय वर्ष 2020-21 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021-22 में राजकोषीय घाटा (एफडी) में गिरावट की प्रवृत्ति रही।

3

अध्याय

खातों की गुणवत्ता
और वित्तीय
रिपोर्टिंग पद्धतियाँ

3.1 परिचय

संघ सरकार के वित्त लेखा (यू जी एफ ए) में 16 विवरण हैं जो वर्ष के लिए संघ की प्राप्तियों और संवितरण के लेखों को प्रस्तुत करते हैं तथा राजस्व और पूंजीगत लेखों और लोक ऋण, देनदारियों और परिसंपत्तियों के लेखों द्वारा बताये गये वित्तीय परिणाम हैं।

यह अध्याय यू जी एफ ए में पूर्णता, पारदर्शिता, सटीकता और प्रकटीकरण के मुद्दों के संदर्भ में वित्तीय जानकारी की प्रस्तुति पर चर्चा करता है। संघ सरकार के लेखाओं पर पिछले सी ए जी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में दर्शाए जाने के बावजूद कुछ मुद्दे बने हुए हैं।

3.2 गारंटी

संविधान के अनुच्छेद 292 के तहत, भारत सरकार (जीओआई) ऐसी सीमाओं के भीतर गारंटी दे सकती है, यदि कोई हो, जैसा कि संसद कानून के द्वारा निर्धारण कर सकती है। सितंबर 2010 में लाई गई मौजूदा गारंटी नीति में केन्द्रीय पीएसयू/संस्थाओं द्वारा विभिन्न प्रकार के उधारों के लिए गारंटी का प्रावधान है।

वित्त लेखों के विवरण 4 में गारंटी की अधिकतम राशि शामिल है जिसके लिए सरकार ने करार किए थे और वर्ष के अंत में बकाया राशि की गारंटी दी। यह बयान सरकार द्वारा सरकारी कम्पनियों/निगमों, रेलवे, केन्द्र शासित क्षेत्रों, राज्य सरकारों स्थानीय निकायों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों, सहकारी संस्थानों आदि की ओर से (i) उधार की अदायगी और उस पर ब्याज का भुगतान, (ii) शेयर पूंजी का पुनर्भुगतान तथा न्यूनतम लाभांश का भुगतान, (iii) क्रेडिट आधार आदि पर सामग्री व उपकरण की आपूर्तियों के लिए करार के प्रति भुगतान आदि के लिये 31 मार्च 2022 तक संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटी की स्थिति दर्शाता है। इन गारंटियों से भारत की समेकित निधि पर आकस्मिक देयता का निर्माण होता है।

संबंधित मंत्रालय में रखे गये रिकॉर्ड के संदर्भ में वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में भारत सरकार द्वारा दी गई गारंटियों की संवीक्षा से निम्नलिखित का पता चला।

3.2.1 गारंटी शुल्क से संबंधित मुद्दे

जीएफआर 2017 का नियम 279 निर्धारित करता है कि गारंटी शुल्क की दरें बजट प्रभाग, आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए), एमओएफ के द्वारा अधिसूचित की जाएंगी। गारंटी शुल्क गारंटी देने से पहले लगाया जाना चाहिए और उसके बाद हर वर्ष पहली अप्रैल को लगाया जाना चाहिए। गारंटी शुल्क की दर गारंटी वर्ष के प्रारंभ में बकाया राशि पर लागू की जानी है।

गारंटी शुल्क के संग्रह के साथ-साथ जुर्माना लगाने के संदर्भ में, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए संघ सरकार के वित्त लेखों के विवरण 4 की समीक्षा से निम्नलिखित का पता चला।

क. गारंटी शुल्क की गैर/कम वसूली

अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान फार्मास्यूटिकल्स विभाग के तहत इंडियन ड्रग फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल) से ₹91.94 करोड़ का गारंटी शुल्क प्राप्त था, हालांकि कंपनी के रूप में आईडीपीएल से कोई गारंटी शुल्क प्राप्त नहीं हुआ था क्योंकि कंपनी खराब स्थिति में थी।

मामला फार्मास्यूटिकल्स विभाग को भेजा गया था और जवाब (मई 2023) में कहा गया था कि आईडीपीएल बंद होने की प्रक्रिया में है और ₹91.94 करोड़ की बकाया गारंटी शुल्क का भुगतान करने में असमर्थ है।

ख. गारंटी शुल्क की देर से प्राप्ति के लिए जुर्माना शुल्क प्राप्त न करना

सितंबर 2010 में जारी गारंटी नीति के गारंटी शुल्क लगाने से संबंधित नियम जीएफआर 2017 के नियम 279(3) और 248(2) में कहा गया है कि जहां गारंटी शुल्क का भुगतान देय तिथि पर नहीं किया जाता है, वहाँ चूक की अवधि के लिए सामान्य दरों से दोगुना शुल्क लगाया जाना चाहिए। रिकॉर्ड की नमूना जांच से पता चला कि निम्नलिखित मामलों में गारंटी शुल्क का भुगतान देय तिथि (01 अप्रैल 2021) के बाद किया गया था लेकिन संस्थाओं से जुर्माना गारंटी शुल्क प्राप्त नहीं हुआ था, जैसा कि तालिका 3.1 में वर्णित है।

तालिका 3.1: देय तिथि के बाद गारंटी शुल्क की प्राप्ति के लिए विलंबित शुल्क

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	संस्था का नाम	प्राप्ति की तिथि	शुल्क प्राप्त हुआ	विलम्ब के लिए शुल्क
1	भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (आईआरडीडीए) (नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय)	06 अप्रैल 2021	97.22	1.33
2	भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) (नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय)	30 अप्रैल 2021	17.42	1.38
3	पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) (नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय)	29 मई 2021	1.62	(0.26+0.81) = 1.07
4	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (एचओसीएल) (रसायन और पेट्रोकेमिकल विभाग)	-----	--	8.50
	कुल		116.26	12.28

इसके अलावा, पीएनबी (क्रम संख्या 3) के मामले में वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान ₹1.62 करोड़ के गारंटी शुल्क के भुगतान में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए ₹0.81 करोड़ भी शामिल किये गये हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 में वित्तीय वर्ष 2020-21 से संबंधित गारंटी शुल्क ₹0.81 करोड़ के भुगतान में देरी के कारण, पूरे वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए पीएनबी से समतुल्य राशि का अतिरिक्त गारंटी शुल्क देय हो गया। रसायन और पेट्रोकेमिकल विभाग (क्रम संख्या 4) के संबंध में, भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2013-14 में ₹250 करोड़ की गारंटी जारी की थी जिसे वित्तीय वर्ष 2017-18 में भुनाया गया था। इस संबंध में, कंपनी ने एमओएफ (सितंबर 2020) से ₹8.50 करोड़ के जुर्माना गारंटी शुल्क की छूट के लिए अनुरोध किया था। मामला विभाग को भेजा गया था (सितंबर 2022) और जवाब में यह कहा गया था (अक्टूबर 2022) कि आर्थिक मामलों का विभाग (एमओएफ) गारंटी शुल्क की छूट के प्रस्ताव से सहमत नहीं था और एचओसीएल को जुर्माना गारंटी का भुगतान किशतों में करने की सलाह भी दी थी। इस प्रकार, गारंटी शुल्क के भुगतान में देरी के कारण ₹12.28 करोड़ के गारंटी शुल्क की प्राप्ति नहीं हुई थी। मामला मंत्रालय/विभाग को भेजा गया था और उत्तर प्रतीक्षित था।

3.2.2 प्रलेखीकरण और गारंटियों की वार्षिक समीक्षा

जीएफआर 2017 के नियम 281 (1) में प्रावधान है कि मंत्रालय/विभागों के वित्तीय सलाहकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी गारंटियों की हर वर्ष समीक्षा की जाए और हर वर्ष 30 अप्रैल तक बजट प्रभाग, वित्त मंत्रालय को समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

इसके अलावा जीएफआर 2017 का नियम 281(2) और (3) और सितंबर 2010 में जारी गारंटी नीति के नियम 249 के अनुसार, संबंधित मंत्रालय को फार्म जीएफआर 25 में गारंटी का एक रजिस्टर रखना चाहिए ताकि (i) गारंटी का रिकॉर्ड रखा जा सके; (ii) गारंटियों के संबंध में समय-समय पर अपेक्षित सूचना रखी जाये; (iii) वार्षिक समीक्षाओं का रिकॉर्ड यह देखने के लिए रखा जाए कि ये नियमित रूप से किए जाते हैं, रखें; और (iv) डीईए,एमओएफ के बजट प्रभाग को हर वर्ष विधिवत अद्यतन फॉर्म जीएफआर 25 में निहित डेटा भेजें।

हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) के संबंध में न तो गारंटियों की समीक्षा नियमित रूप से की गई और न ही संबंधित विभाग के प्रधान लेखा कार्यालयों द्वारा फॉर्म जीएफआर 25 में गारंटी के रजिस्टर जैसे रिकार्ड बनाए रखे गए थे।

इस कारण, डीएफएस के संबंध में लेखापरीक्षा में यूजीएफए के विवरण 4 में सूचित सरकारी गारंटियों में वृद्धि और विलोपन के आंकड़ों की सटीकता सुनिश्चित नहीं की जा सकी। इसके अलावा, विवरण 4 में दिखाई गई गारंटियों और सीपीएसई द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड में भिन्नता देखी गई, जैसा कि तालिका 3.2 में दिखाया गया है।

तालिका 3.2: विवरण 4 और सीपीएसई रिकॉर्ड की गारंटी में अंतर

(₹ करोड़ में)

गारंटी की श्रेणी	विभाग द्वारा दिखाया गया शेष (गारंटियों की संख्या)	सीपीएसई/संस्थाओं के अनुसार शेष (गारंटियों की संख्या)	अंतर राशि में/(गारंटियों की संख्या)
श्रेणी -III (अथ शेष)	1,78,127.49(221)	1,89,309.59(61)	-1,11,82.10/(160)
श्रेणी -III (जमा शेष)	1,88,798.89 (216)	1,88,798.89 (55)	0/(161)

अगस्त 2022 में मामलों की सूचना वित्तीय सेवा विभाग को दी गयी थी और उत्तर प्रतीक्षित हैं।

3.2.3 नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के संबंध में निहित गारंटी शामिल नहीं की गई

वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएम), एमओएफ द्वारा भारत सरकार (जीओआई) की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में स्थापित नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) को कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 28 मार्च 2014 में शामिल किया गया था। एनसीजीटीसी को ट्रस्टी के रूप में कार्य करना था और भारत सरकार द्वारा उस उद्देश्य के लिए स्थापित या स्थापित किए जाने वाले विभिन्न क्रेडिट गारंटी फंड, ट्रस्ट या अन्य संस्थाओं का संचालन करना था।

एनसीजीटीसी के ट्रस्टीशिप प्रबंधन के तहत नौ क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड हैं अर्थात् (i) कौशल विकास के लिए क्रेडिट गारंटी फंड (सीजीएफएसडी), (ii) शैक्षिक ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी फंड (सीजीएफईएल), (iii) फैक्ट्रिंग के लिए क्रेडिट गारंटी फंड (सीजीएफएफ), (iv) माइक्रो यूनिट्स के लिए क्रेडिट गारंटी फंड (सीजीएफएमयू), (v) स्टैंड अप इंडिया के लिए क्रेडिट गारंटी फंड (सीजीएफएसआई), (vi) आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस), (vii) कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए ऋण गारंटी योजना (एलजीएससीएस), (viii) सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना और (ix) कोविड प्रभावित पर्यटन सेवा क्षेत्र के लिए ऋण गारंटी योजना (एलजीएससीएटीएसएस)।

एनसीजीटीसी ने अपना प्रचालन शुरू होने के बाद से ऋणदाता संस्थानों द्वारा ₹5,33,889.38 करोड़ की संस्वीकृतियों को शामिल करते हुए कुल 2,37,70,443 गारंटी जारी की थी और 31 मार्च 2022 तक बकाया गारंटी ₹ 3,80,252.61 करोड़ थी। चूंकि एनसीजीटीसी 100 प्रतिशत सरकारी स्वामित्व वाली संस्था है, एनसीजीटीसी द्वारा दी गई गारंटियों से अभिप्राय अंतर्निहित सरकारी गारंटी हैं और इसे यूजीएफ में दिखाया जाना चाहिए।

मामला डीएफएस को भेजा गया था (सितंबर 2022) और उत्तर प्रतीक्षित था।

3.3 विभिन्न संस्थाओं में सरकारी निवेश

संघ सरकार वित्तीय लेखा का विवरण 11 सांविधिक निगमों, कंपनियों, अन्य संयुक्त स्टॉक कंपनियों - सहकारी बैंक और सोसायटी आदि में संघ सरकार के निवेश, विनिवेश, शेयरों के प्रकार, शेयर का अंकित मूल्य, सरकारी हिस्सेदारी की प्रतिशतता और लाभांश आदि को दर्शाता है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के यूजीएफ के विवरण संख्या 11 की संवीक्षा में, संबंधित संस्थाओं की वार्षिक रिपोर्ट के संदर्भ में, निम्नलिखित विसंगतियां देखी गईं।

3.3.1 इक्विटी शेयर और होल्डिंग्स की प्रतिशतता की जानकारी में एकरूपता न होना (विसंगतियां)

संस्थाओं की वार्षिक रिपोर्ट के साथ विवरण 11 के सूक्ष्म सत्यापन से इक्विटी शेयरों की संख्या और शेयरधारित की प्रतिशतता के बीच अंतर के 15 उदाहरणों का पता चला, जैसा कि तालिका 3.3 में वर्णित है।

तालिका 3.3: इक्विटी शेयर और प्रतिशतता होल्डिंग का विवरण

मंत्रालय/विभाग (विवरण 11 में क्रम संख्या)	संस्था	विवरण संख्या 11 के अनुसार		संस्था की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार	
		इक्विटी शेयरों की संख्या	% होल्डिंग	इक्विटी शेयरों की संख्या	% होल्डिंग
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (क्रम संख्या 161,162 और 295)	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	9,01,01,648	-	28,84,58,584	-
	गेल	57,33,32,882	-	228,45,90,082	-
	ऑयल इंडिया लिमिटेड, असम	59,74,50,314	-	61,43,76,660	-
रक्षा मंत्रालय (क्रम संख्या 70 और 74)	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बंगलुरु	114,16,42,457	-	124,59,73,978	-
	मंझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड	15,18,90,000	100.00	17,10,90,983	84.82
विद्युत मंत्रालय (क्रम संख्या 84 से 86)	नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	399,67,26,967	-	495,53,46,251	-
	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	268,58,72,408	-	358,11,63,210	-
वित्त मंत्रालय- वित्तीय सेवा विभाग (क्रम संख्या 91,305 और 308)	जर्नल इंशोरेंस कंपनी लिमिटेड	75,25,00,000	-	150,50,00,000	-
	न्यू इंडिया इंशोरेंस कंपनी लिमिटेड	30,40,00,000	76.00	140,80,00,000	85.44
	ओरिएंटल इंशोरेंस कंपनी लिमिटेड	457,00,00,000	-	462,00,00,000	-
रसायन और पेट्रो- रसायन विभाग (क्रम संख्या 31 और 34)	कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकलस लिमिटेड	4,43,180	-	7,98,180	-
	हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	3,94,81,500	100.00	3,94,81,500	58.78
राज्य सहकारी बैंक/अन्य बैंक (क्रम संख्या 334)	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	505,70,00,000	52.71	488,98,71,903	45.48

मंत्रालय/विभाग (विवरण 11 में क्रम संख्या)	संस्था	विवरण संख्या 11 के अनुसार		संस्था की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार	
		इक्विटी शेयरों की संख्या	% होल्डिंग	इक्विटी शेयरों की संख्या	% होल्डिंग
आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (क्रम संख्या 230)	आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड	179,78,41,253	89.81	163,76,77,479	81.81
संचार मंत्रालय (क्रम संख्या 64)	टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड	7,44,46,885	26.12	00.00	00.00

मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (क्रम संख्या 74) और टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड (क्रम संख्या 64) के विवरण संख्या 11 के संबंध में, वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान भारत सरकार की इक्विटी के विनिवेश के संबंध में विसंगतियों को 2022 की सीएजी रिपोर्ट संख्या 31 में बताया गया था। हालांकि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लेखों में भी विसंगतियों को ठीक नहीं किया गया है। इसके अलावा, विवरण संख्या 11 के क्र.सं.34,70,84,161,162 और 334 के संबंध में सूचना में एकरूपता न होने के बारे में भी 2022 की सीएजी लेखापरीक्षा रिपोर्ट संख्या 31 में बताया गया था, लेकिन विसंगति बनी हुई है।

सीजीए ने अपने उत्तर (जुलाई 2022) में कहा कि यूजीएफए को मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर संकलित किया गया है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पूर्व के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में भी यह मुद्दा उठाया गया था, लेकिन कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई थी।

3.3.2 सरकारी निवेश का पुनर्मिलान

नमूना जांच के दौरान, संबंधित संस्थाओं के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ विवरण 11 में निहित सरकारी कंपनियों/निगमों आदि में संघ सरकार के निवेश के संबंध में जानकारी के सूक्ष्म सत्यापन से पता चला कि दो मामलों में, विवरण 11 में दर्शाई गई निवेश की राशि संबंधित संस्था की वार्षिक रिपोर्ट में दर्शाई गई सरकारी शेयरधारिता की तुलना में कम थी। विवरण तालिका 3.4 में दिया गया है।

तालिका 3.4: सरकारी निवेश का पुनर्मिलान

(₹ करोड़ में)

संस्था और (यूजीएफए में क्रम संख्या)	विवरण संख्या 11 के अनुसार	संस्था की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार	अंतर
भारत का निर्यात आयात बैंक (क्रम संख्या 327)	15,349.99	15,909.37	-559.38
राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (क्रम संख्या 219)	2.00	103.00	-101.00

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा (मई 2023) कि रोड विंग द्वारा पूंजीगत व्यय के तहत प्रमुख कार्यों के लिए ₹100 करोड़ का भुगतान किया गया था और इस प्रकार, इसे निवेश/इक्विटी के रूप में नहीं लिया गया था। मंत्रालय ₹100 करोड़ के पूंजीगत व्यय को एनएचआईडीसीएल के इक्विटी निवेश में परिवर्तित करने के लिए वित्त मंत्रालय के साथ इस मामले पर विचार कर रहा है। इस प्रकार, सरकारी निवेश में विसंगतियों को ठीक करने की आवश्यकता है।

हालाँकि, एक्सिम बैंक के संबंध में वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) से कोई जवाब नहीं मिला है।

3.3.3 बोनस शेयरों का लेखांकन

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड से संबंधित रिकार्ड/सूचनाओं की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि संस्थाओं द्वारा वर्ष 2021-22 के दौरान घोषित बोनस शेयरों को यूजीएफ में दर्शाया नहीं गया था, जैसा कि तालिका 3.5 में वर्णित है।

तालिका 3.5: यूजीएफ में बोनस शेयरों को न दर्शाया जाना

विवरण संख्या 11 में संस्था का नाम और क्र.स.	वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान इक्विटी शेयरों की संख्या और अंकित मूल्य	वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान बोनस शेयरों की घोषणा का अनुपात	वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान इक्विटी शेयरों की संख्या और अंकित मूल्य	टिप्पणियां
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (क्रम संख्या 86)	268,58,72,408 @ ₹10	1:3	268,58,72,408 @ ₹10	रिकार्ड तारीख 30 जुलाई 2021
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड) (क्रम संख्या 170)	34,41,50,825 @ ₹2	1:1	34,41,50,825 @ ₹2	रिकार्ड तारीख 21 मई 2021

यह स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में इक्विटी शेयरों की संख्या पिछले वर्ष 2020-21 की भांति विवरण संख्या 11 में दिखाई गई थी और वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान विवरण संख्या 8 में एमएच: 4000.01.102 “बोनस शेयर का मूल्य” के तहत प्राप्तियां ‘शून्य’ थीं।

सीजीए कार्यालय ने कहा (सितंबर 2022) है कि जब बजट में बोनस शेयरों का प्रावधान दिया गया है, तो इसका प्रावधान पूंजीगत खंड के तहत 'शून्य' नकद समायोजन के साथ एचओए के तहत मिलान व्यय के साथ एमएच: 4000.01.102 के अन्तर्गत किया जाता है। इस तरह के बोनस शेयरों को अनिवार्य रूप से हिसाब में लिया जाता है और विवरण 11 में संबंधित कंपनी की इक्विटी शेयरहोल्डिंग में आवश्यक समायोजन भी किए जाते हैं। चूंकि बोनस शेयर घोषित किये गये थे लेकिन बजट में प्रावधान नहीं किया गया था, जब भी संबंधित मंत्रालय उनके कार्यालय को उनके लिए ही आवश्यक विवरण प्रस्तुत करता है तो आवश्यक लेखांकन समायोजन किया जाता है। अवलोकन में बताए गए बोनस शेयरों के विवरण को वित्त लेखों में शामिल नहीं किया गया है लेकिन संबंधित मंत्रालय के प्रधान लेखा कार्यालयों को उनकी टिप्पणियों और आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा गया है।

उत्तर इस तथ्य के मद्देनजर मान्य नहीं है कि संबंधित संस्थाओं द्वारा बोनस शेयरों की घोषणा को संघ सरकार के लेखों में शामिल किया जाना आवश्यक है या वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांग में संबंधित मंत्रालय के साथ लिया जाना चाहिए था।

3.3.4 एनएससीएसटीएफडीसी और केडीडीसी में सरकारी निवेश का चित्रण

क. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम की स्थापना 08 फरवरी 1989 को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 (पहले कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25) के तहत भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में की गई थी। 10 अप्रैल 2001 को, पूर्ववर्ती एनएससीएसटीएफडीसी को दो अलग-अलग निगमों (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति प्रत्येक के लिये एक) में विभाजित किया गया था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत अनुसूचित जातियों के विकास के लिये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम कार्य कर रहा था। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी) जनजाति मामलों के मंत्रालय के तहत विभाजन के बाद बनाया गया था।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के विवरण 11 की जांच में सरकारी कंपनियों/निगमों/बैंकों और सोसाइटियों आदि में दर्शाये गये सरकारी निवेश से खुलासा हुआ है कि वित्तीय सेवा विभाग सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत सरकारी निवेश क्रमशः एनएससीएसटीएफडीसी, एनएसएफडीसी और एनएसटीएफडीसी में था। चूंकि, एनएससीएसटीएफडीसी 10 अप्रैल 2001 से समाप्त हो गया, वित्तीय सेवा विभाग के तहत विवरण 11 में

प्रदर्शित एनएससीएसटीएफडीसी के संबंध में ₹50 करोड़ के निवेश को विवरण 11 से अलग रखने की आवश्यकता है। वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय से उत्तर प्रतीक्षित था।

ख. विवरण 11 कर्नाटक दुग्ध विकास निगम (केडीडीसी), बेंगलुरु में ₹2.99 करोड़ का सरकारी निवेश (50 प्रतिशत शेयर) दर्शाता है और इसके साथ ही टिप्पणी कॉलम में यह खुलासा किया गया है कि संस्था को स्वेच्छा से भंग कर दिया गया है और कार्य करना बंद कर दिया गया है। रिकॉर्ड की संवीक्षा से पता चला कि केडीडीसी को बंद कर दिया गया है और केडीडीसी की परिसंपत्ति और देनदारियाँ कर्नाटक सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड (केएमएफ) को दिनांक 06 नवम्बर 1982 को सरकारी आदेश संख्या एएच 193 केडीसी 78 के अनुसार हस्तांतरित कर दी गयी थी और बंद होने के समय केडीडीसी को हुए नुकसान के समायोजन के कारण, केएमएफ की खातों में सरकारी निवेश ₹2.99 करोड़ से घटाकर ₹1.68 करोड़ कर दिया गया है। लेकिन विवरण 11 में, बंद इकाई यानी केडीडीसी अभी भी ₹2.99 करोड़ का सरकारी निवेश दिखा रही थी और केएमएफ का कोई निवेश/इकाई नहीं दिखायी गयी थी। जैसा कि विभाग ने केएमएफ को परिसंपत्ति के हस्तांतरण सहित केडीडीसी को बंद करना स्वीकार किया है, इसे ठीक करने की आवश्यकता है।

3.3.5 निवेश के बारे में अधूरी जानकारी

15 संस्थाओं के संबंध में, विवरण 11 में निवेश, अंकित मूल्य, शेयरों की संख्या, कुल प्रदत्त पूंजी और सरकार के निवेश की प्रतिशतता के संबंध में अधूरी जानकारी है, जैसा कि अनुलग्नक 3.1 में वर्णित है।

3.3.6 लाभांश के भुगतान में कमी

दीपम (मई 2016) द्वारा जारी सीपीएसई के पूंजी पुनर्गठन पर दिशानिर्देशों के पैरा 5.2 के अनुसार, प्रत्येक सीपीएसई मौजूदा कानूनी प्रावधानों के तहत अनुमत अधिकतम लाभांश के अधीन कर के बाद लाभ (पीएटी) का 30 प्रतिशत या निवल मूल्य का पांच प्रतिशत, जो भी ज्यादा हो का न्यूनतम वार्षिक लाभांश का भुगतान करेगा। अन्य बातों के साथ-साथ पैरा 5.3 बताता है कि सीपीएसई से अधिनियम के तहत अनुमेय अधिकतम लाभांश का भुगतान करने की उम्मीद की जाती है जिसके तहत सीपीएसई की स्थापना की गई है, जब तक कि सीपीएसई के निवल मूल्य के विभिन्न पहलुओं के विश्लेषण प्रशासनिक मंत्रालय के स्तर पर उधार लेने की क्षमता, दीर्घावधि उधार आदि के बाद भुगतान किये जाने वाले प्रस्तावित कम लाभांश को उचित नहीं ठहराया जाता है। इसके अलावा, पैरा 5.4 में कहा गया है कि सीपीएसई द्वारा उनके प्रशासनिक मंत्रालय के

माध्यम से सचिव, डीईए और सचिव, दीपम को छूट के लिये रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है।

नवंबर 2020 में दीपम ने उपरोक्त को दोहराया और सीपीएसई को लाभप्रदता, कैपेक्स आवश्यकताओं और नकद भंडार जैसे कारकों के अधीन उच्च लाभांश का भुगतान करने का प्रयास करने की सलाह दी।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के संबंध में सीपीएसई के विवरण संख्या 11 और वार्षिक लेखों की संवीक्षा से पता चला है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये लाभांश के रूप में ₹4.25 करोड़ का कम भुगतान किया था, जैसा कि तालिका 3.6 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.6: लाभांश का कम भुगतान

(₹ करोड़ में)

मंत्रालय	सीपीएसई	वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये कर पश्चात लाभ	पीएटी का 30 %	निवल मूल्य	निवल मूल्य का 5%	न्यूनतम लाभांश घोषित किया जाए	भारत सरकार की शेयरधारिता की प्रतिशतता	वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये भारत सरकार को भुगतान योग्य लाभांश	वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये लाभांश का भुगतान	लाभांश के भुगतान में कमी
रसायन और उर्वरक मंत्रालय (फार्मास्युटिकल्स विभाग)	कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (केएपीएल)	23.18	6.95	218.97	10.95	10.95	59.17	6.48	2.23	4.25

रसायन और उर्वरक मंत्रालय, फार्मास्युटिकल्स विभाग ने कहा है (मई 2023) कि दीपम से 2020-21 के लिए केएपीएल के संबंध में न्यूनतम लाभांश के भुगतान में छूट का अनुरोध किया गया है।

3.3.7 संस्थाओं का नामकरण / वर्गीकरण

क. नवंबर 2015 में भारत भारी उद्योग लिमिटेड का नाम बदलकर ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड कर दिया गया, लेकिन संस्था का नाम अभी भी भारत भारी उद्योग लिमिटेड के रूप में दिखाया जा रहा था। पिछले वर्ष की सीएजी की 2022 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट संख्या 31 में भी यह उजागर किया गया था।

ख. फरवरी 1989 में नेशनल न्यूजप्रिंट एंड पेपर मिल्स लिमिटेड का नाम बदलकर नेपा लिमिटेड कर दिया गया। हालांकि लेखों में अभी भी पुराना नाम दिखाया जा रहा

है। इसे पिछले वर्ष की सीएजी की 2022 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट संख्या 31 में भी रेखांकित किया गया था।

- ग. राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) और राष्ट्रीय कौशल प्रमाणन और मौद्रिक पुरस्कार (स्टार योजना) में किए गए निवेश को आर्थिक मामलों के विभाग के तहत दिखाया गया है, जबकि संस्थाएँ कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं। इस संबंध में मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था।
- घ. 'मिनी सीमेंट संयंत्र (तेजपुर)', 'पूर्वोत्तर कृषि विपणन निगम' और 'सिक्किम खनन निगम' का प्रशासनिक नियंत्रण डीओएनईआर मंत्रालय के अधीन था। हालांकि, इन संस्थाओं में सरकार के निवेश को गृह मंत्रालय के तहत दिखाया गया है। मंत्रालय ने अपने उत्तर (अगस्त 2022) में कहा कि संबंधित विभागों (डीओएनईआर मंत्रालय) के निवेश की वर्तमान स्थिति समान थी और संबंधित मंत्रालयों के खातों में इन शेषों को स्वीकार करने की प्रक्रिया शीघ्र ही शुरू की जाएगी।

3.4 बकाया उचंत शेष

वर्ष के लिये संघ वित्त लेखों की सटीकता उचंत व विविध शीर्षों के तहत प्रतिक्षित अंतिम वर्गीकरण और निपटान के महत्वपूर्ण शेषों की निरंतरता और ऋण, जमा और प्रेषण शीर्षों के तहत प्रतिकूल शेषों से प्रभावित होती है।

उचंत शीर्षों सरकारी लेखों में लेन-देन को दर्शाने के लिये संचालित किए जाते हैं जिन्हें उचित विवरण के अभाव में लेखे के अंतिम शीर्ष में दर्ज नहीं किया जा सकता है। इन लेखा शीर्षों को माइनस डेबिट या माइनस क्रेडिट द्वारा अंतिम रूप से स्पष्ट किया जाता है, जब इनके तहत राशि को उनके संबंधित अंतिम लेखों के शीर्ष में दर्ज किया जाता है। यदि ये राशियाँ असमायोजित रहती हैं, तो उचंत शीर्षों के अंतर्गत शेष राशि का संचय हो जाता है और लेखे सरकारी प्राप्तियों और व्यय की एक गलत तस्वीर प्रस्तुत करते हैं।

सिविल लेखा मैनुअल (सीएएम) के पैरा 5.10 के अनुसार, वेतन और लेखा कार्यालयों (पीएओ) द्वारा आवश्यक होने पर उप/विस्तृत शीर्ष-वार और प्रधान लेखा कार्यालयों द्वारा लघु शीर्ष-वार आधारित उचंत शेष के लिए खाता बही का रखरखाव पीएओ द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के आधार पर किया जाना चाहिए। संबंधित प्रधान लेखा कार्यालय के मुख्य लेखा नियंत्रक को उचंत शेष की समीक्षा करने और निगरानी उद्देश्यों के लिए सीजीए को रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। सीजीए, तथापि, उचंत लघु शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेषों का वर्ष-वार ब्यौरा नहीं रखता है जिससे ऐसे शेषों के निपटान की निगरानी में बाधा उत्पन्न होती है।

उचंत और विविध के तहत शेष राशि की विस्तृत जांच से लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर अनुवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

3.4.1 उचंत शेष राशि की नेटिंग

जिन प्राप्तियों और भुगतानों को आवश्यक जानकारी/विवरण के अभाव में लेखों के अंतिम शीर्ष में दर्ज नहीं किया जा सकता है, उन्हें उचंत शीर्षों के तहत क्रमशः क्रेडिट और डेबिट के रूप में दर्ज किया जाता है। आवश्यक विवरण उपलब्ध होने के बाद क्रेडिट और डेबिट का निपटान माइनस क्रेडिट या माइनस डेबिट द्वारा हो जाता है। इस प्रकार, प्रत्येक उचंत शीर्ष के तहत शेष राशि का सटीक वर्णन करने के लिए क्रेडिट और डेबिट मदों का लेखा-जोखा रखना और लेखों में अलग-अलग दिखाना आवश्यक है। वास्तविक उचंत शेष राशि डेबिट और क्रेडिट के अंतर्गत उचंत का योग है, उचंत शेष राशि का नेटिंग बकाया उचंत को डेबिट और क्रेडिट उचंत को निचले हिस्से तक कम करके बताता है।

यूजीएफए का विवरण 13, तथापि, उचंत शीर्षों के अंतर्गत केवल निवल शेष को दर्शाता है और इसलिए इन शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेषों का वास्तविक परिमाण संसद में प्रस्तुत किए गए संघ सरकार के लेखों में रिपोर्ट नहीं किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के लिए सिविल मंत्रालयों (मुख्य शीर्ष-8658) के संबंध में मुख्य उचंत शीर्षों के अंतर्गत निपटान किए जाने वाले वास्तविक उचंत शेषों की स्थिति जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा बताये गये के अनुसार तालिका 3.7 में दर्शायी गयी है।

तालिका 3.7: उचंत शेष राशि की नेटिंग

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2019-20		वित्तीय वर्ष 2020-21		वित्तीय वर्ष 2021-22		वित्तीय वर्ष 2021-22 के नेटिंग के कारण बकाया उचंत शेष की प्रतिशतता कम बतायी गयी
	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	
101 पीएओ उचंत	11,098.27	478.27	3,920.62	731.42	4060.89	807.83	33.18
यूजीएफए में दिखाया गया निवल शेष	10,620.00 (डेबिट)		3,189.20 (डेबिट)		3,253.06 (डेबिट)		
शेष राशि का निपटान व्यक्तिगत रूप से किया जाना	11,576.54		4,652.04		4,868.72		
102 उचंत खाता (सिविल)	1,179.60	638.19	1,182.74	1000.24	1,175.46	440.54	54.52
यूजीएफए में दिखाया गया निवल शेष	541.41 (डेबिट)		182.50 (डेबिट)		734.92 (डेबिट)		
शेष राशि का निपटान व्यक्तिगत रूप से किया जाना	1,817.79		2,182.98		1,616.00		
107 नकद निपटान उचंत लेख	487.31	45.69	683.73	45.69	556.10	34.32	11.62

**संघ सरकार के वित्त वर्ष 2021-22 के लेखों पर
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन**

शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2019-20		वित्तीय वर्ष 2020-21		वित्तीय वर्ष 2021-22		वित्तीय वर्ष 2021-22 के नेटिंग के कारण बकाया उंचंत शेष की प्रतिशतता कम बतायी गयी
	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	
यूजीएफए में दिखाया गया निवल शेष	441.61 (डेबिट)		638.04 (डेबिट)		521.78 (डेबिट)		
शेष राशि का निपटान व्यक्तिगत रूप से किया जाना	533.00		729.42		590.42		
108 पीएसबी उंचंत	16,914.60	3,646.16	10,397.65	4,309.04	7,886.51	4,461.49	72.26
यूजीएफए में दिखाया गया निवल शेष	13,268.44 (डेबिट)		6,088.61 (डेबिट)		3,425.02 (डेबिट)		
शेष राशि का निपटान व्यक्तिगत रूप से किया जाना	20,560.76		14,706.69		12,348.01		
109 रिजर्व बैंक उंचंत (मुख्यालय)	12.08	185.07	12.16	185.07	12.21	185.07	12.37
यूजीएफए में दिखाया गया निवल शेष	172.99 (क्रेडिट)		172.91 (क्रेडिट)		172.86 (क्रेडिट)		
शेष राशि का निपटान व्यक्तिगत रूप से किया जाना	197.15		197.23		197.28		
110 रिजर्व बैंक उंचंत केंद्रीय लेखा कार्यालय	378.66	1,743.39	71.10	4,543.23	70.96	2,327.85	5.91
यूजीएफए में दिखाया गया निवल शेष	1,364.73 (क्रेडिट)		4,472.13 (क्रेडिट)		2,256.89 (क्रेडिट)		
शेष राशि का निपटान व्यक्तिगत रूप निपटान किया जाना	2,122.05		5,254.25		2,398.81		
129 सामग्री खरीद निपटान उंचंत लेखा	214.11	60.78	214.08	60.78	214.07	38.22	30.29
यूजीएफए में दिखाया गया निवल शेष	153.33 (डेबिट)		153.30 (डेबिट)		175.85 (डेबिट)		
शेष राशि का निपटान व्यक्तिगत रूप से किया जाना	274.89		274.86		252.29		

इस प्रकार, वित्तीय वर्ष 2021-22 में, लघु शीर्ष 101 पीएओ उंचंत, 102 उंचंत लेखा (सिविल), 108 पीएसबी उंचंत और 129 मटेरियल परचेज सेटलमेंट उंचंत लेखा के तहत शेष राशि के मामलों में क्रेडिट और डेबिट शेष की नेटिंग के कारण महत्वपूर्ण कमी थी। जवाब में, सीजीए कार्यालय ने कहा (सितंबर 2022) कि विवरण 13 में उंचंत शेष को अनुमोदित प्रारूप के अनुसार दर्शाया गया है। उंचंत शीर्षों के अंतर्गत प्राप्तियां और संवितरण लघु शीर्ष स्तर पर घटाई गई हैं। यह वर्णन लघु शीर्ष के अंतर्गत अंत शेष को प्रभावित नहीं करता है।

लेखापरीक्षा में उठाए गए मुद्दे के बारे में उत्तर यह बताता नहीं है कि उंचंत शीर्षों के लिए लघु शीर्ष स्तर पर क्रेडिट और डेबिट शेषों की नेटिंग के परिणामस्वरूप समायोजन किये जाने वाले वास्तविक उंचंत शेषों को कम बताया गया है।

3.4.2 उचंत शीर्षों के अंतर्गत शेष राशि का संचय

क. पीएसबी उचंत

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। जब सरकारी विभागों को पीएसबी को दिए गए निर्देशों के प्रति किए गए भुगतान का विवरण प्राप्त होता है, तो लेनदेन को शुरू में पीएसबी उचंत के प्रति क्रेडिट प्रविष्टि के रूप में दर्ज किया जाता है। पीएसबी उचंत का यह क्रेडिट रिजर्व बैंक जमा (आरबीडी) शीर्ष के लिये निपटान कॉन्ट्रा क्रेडिट द्वारा किया जाता है जब आरबीआई सरकारी खाते से राशि डेबिट करता है इसी प्रकार, प्राप्तियों के बारे में पीएसबी से सूचना प्राप्त करने के बाद, संबंधित सरकारी विभाग पीएसबी उचंत को डेबिट करता है। पीएसबी उचंत का इस डेबिट का निपटान (आरबीडी) शीर्ष में कॉन्ट्रा डेबिट द्वारा किया जाता है जब आरबीआई राशि को सरकारी खाते में क्रेडिट करता है। पीएसबी उचंत का समय पर निपटान करने में विफलता के परिणामस्वरूप सरकारी बहियों में आरबीआई के पास नकदी शेष का गलत चित्रण होता है।

मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए बकाया पीएसबी शेष राशि कुल ₹7,886.51 करोड़ (डेबिट) और ₹4,461.49 करोड़ (क्रेडिट) थी। मार्च 2022 के अंत तक ₹12,348.01 करोड़ की कुल शेष राशि का निपटान करने की आवश्यकता थी।

जिन विभागों के प्रति प्रमुख शेष बकाया थे, वे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) (राजस्व) ₹3,280.62 करोड़ (क्रेडिट), केंद्रीय पेंशन लेखांकन कार्यालय (सीपीएओ) ₹1,664.29 करोड़ (डेबिट), केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ₹1,319.43 करोड़ (डेबिट), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ₹829.85 करोड़ (डेबिट), कंपनी मामलों के मंत्रालय ₹748.04 करोड़ (क्रेडिट) और एजी (लेखापरीक्षा) दिल्ली ₹612.70 करोड़ (डेबिट) थे।

ख. पीएओ उचंत

यह लघु शीर्ष संघ सरकार के अंतर्गत पीएओ, केंद्र शासित प्रदेशों और महालेखाकारों के पीएओ की पुस्तकों से प्राप्त निष्कर्षों में अंतर-विभागीय और अंतर-सरकारी लेनदेन के निपटान के लिए संचालित किया जाता है। इस लघु शीर्ष के तहत लेन-देन या तो प्रभावित वसूली या एक लेखा अधिकारी द्वारा किसी अन्य लेखा अधिकारी की ओर से किए गए भुगतान जिनके प्रति लघु शीर्ष 'पीएओ उचंत' संचालित किया गया है, को दर्शाता है। शीर्ष के अंतर्गत क्रेडिट का निपटान 'माइनस क्रेडिट' द्वारा उस समय किया जाता है जब चेक उस लेखा अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है जिसके खाते में प्रारंभिक वसूली का लेखा-जोखा रखा गया था। 'पीएओ उचंत' के तहत डेबिट का निपटान उस लेखा अधिकारी से चेक की प्राप्ति और वसूली पर 'माइनस डेबिट' द्वारा किया

जाता है, जिसकी ओर से भुगतान किया गया था। इस शीर्ष के अंतर्गत बकाया डेबिट शेष से अभिप्राय यह होगा कि पीएओ द्वारा अन्य पीएओ की ओर से भुगतान किया गया है, जिसकी वसूली अभी बाकी है। बकाया क्रेडिट शेष का अभिप्राय होगा कि अन्य पीएओ की ओर से पीएओ द्वारा भुगतान प्राप्त किया गया है, जिसका भुगतान किया जाना बाकी है।

31 मार्च 2022 तक इस लघु शीर्ष के तहत बकाया शेष ₹4,060.89 करोड़ (डेबिट) और ₹807.83 करोड़ (क्रेडिट) थे जिसमें ₹4,868.72 करोड़ की कुल शेष राशि का निपटान मार्च 2022 के अंत तक किया जाना था।

जिन विभागों के प्रति प्रमुख शेष बकाया थे, वे थे केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी/सीबीईसी) ₹1,573.01 करोड़ (डेबिट), वाणिज्यिक विभाग (आपूर्ति) ₹962.02 करोड़ (डेबिट), बाह्य मामलों का मंत्रालय ₹963.34 करोड़ (डेबिट), और परमाणु ऊर्जा विभाग ₹509.99 करोड़ (क्रेडिट)।

ग. रिजर्व बैंक उचंत, केंद्रीय लेखा कार्यालय

यह लघु शीर्ष संघ सरकार की बहियों में ऋणों के भुगतान, सहायता अनुदान, आयकर के हिस्से तथा राज्य सरकारों का केंद्रीय उत्पाद शुल्क के हिस्से के लिए संचालित होता है। जब भुगतान प्राधिकृत हो जाता है, तो संबंधित व्यय शीर्ष में डेबिट कर दिया जाता है, और इस उचंत शीर्ष में क्रेडिट कर दिया जाता है। संघ सरकार के लेखे को समायोजित करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक से लेखों का मासिक विवरण प्राप्त होने पर, एमएच 8658-उचंत खाते-110-रिजर्व बैंक उचंत केंद्रीय लेखा कार्यालय को माइनस क्रेडिट द्वारा निपटान किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा ऋण की चुकौती और उस पर ब्याज के भुगतान के समय, इस उचंत शीर्ष को ऋण/ब्याज शीर्ष में जमा करके डेबिट किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय लेखा अनुभाग (सीएएस), नागपुर से लेखों का मासिक विवरण प्राप्त होने पर, एमएच '8675-आरबीआई के साथ जमा'-101-सेंट्रल सिविल को कॉट्रा डेबिट द्वारा माइनस डेबिट किया जाता है।

31 मार्च 2022 तक इस लघु शीर्ष के तहत बकाया शेष राशि ₹70.96 करोड़ (डेबिट) और ₹2,327.85 करोड़ (क्रेडिट) थी, जिसमें ₹2,398.81 करोड़ की कुल शेष राशि का निपटान मार्च 2022 के अंत तक किया जाना था। बकाया आरबीआई (सीएओ) का उचंत शेष राशि मुख्य रूप से ग्रामीण विकास मंत्रालय ₹1,091.59 करोड़ (क्रेडिट), महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ₹527.05 करोड़ (क्रेडिट) और शिपिंग मंत्रालय ₹367.99 करोड़ (क्रेडिट) के प्रति थी।

इस प्रकार, लेखों में उचंत शेषों के संचयन में वृद्धि के कारण नकदी शेष की स्थिति में एक रूपता नहीं रही जैसा कि संघ सरकार की बहियों में वित्त लेखों के साथ-साथ

आरबीआई की बहियों के अनुसार शेष राशि दर्शायी गयी है। इसने लेखों की सटीकता भी संबंधित वर्षों में दर्ज नहीं किए जाने वाले व्यय की सीमा तक विकृत कर दिया।

घ. विदेश में खरीदारी के लिए उचंत लेखा

लघु शीर्ष 'विदेश में खरीद के लिए उचंत लेखा' सहायता नियंत्रक, लेखा एवं लेखापरीक्षा, वित्त मंत्रालय की बहियों में संचालित होता है। सरकार देनदारों को सलाह देती है कि वह भारत में परियोजना प्राधिकारियों/आयातकों को की गई आपूर्तियों के प्रति विदेशों में आपूर्तिकर्ताओं को सीधे भुगतान करें और संबंधित लाइन मंत्रालयों/आयातकों से भुगतान प्राप्त होने तक उतनी ही राशि उचंत शीर्ष के अंतर्गत रखी जाए। इस शीर्ष के अंतर्गत डेबिट शेष आयातकों/परियोजना प्राधिकरणों से बकाया वसूलियों को इंगित करता है, भले ही सरकार ने इन आयातों के लिए पहले ही भुगतान कर दिया हो।

31 मार्च 2022 तक, ₹3,097.25 करोड़ (डेबिट) की राशि उचंत में पड़ी हुई थी। प्रमुख देनदार ₹3,097.23 करोड़ (डेबिट) के बकाया शेष के साथ सहायता, लेखा और लेखापरीक्षा नियंत्रक थे। हालांकि बकाया राशि वित्तीय वर्ष 2020-21 में ₹8,032.12 करोड़ से घटकर वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹3,097.23 करोड़ हो गई, शेष राशि विचारणीय है।

जवाब में, सीजीए कार्यालय ने कहा (सितंबर 2022) कि उनका कार्यालय सभी मंत्रालयों/विभागों के साथ निरंतर प्रयासरत है ताकि उचंत शीर्ष के तहत बकाया राशि का निपटान किया जा सके।

3.4.3 'चेक और बिल' शीर्ष के तहत बकाया राशि

मंत्रालय/विभाग द्वारा आहरित चेक/जारी की गई इलेक्ट्रॉनिक एडवाइस की राशि के लिए 'चेक और बिल' शीर्ष, 'पीएसबी उचंत' और 'रिजर्व बैंक में जमा' शीर्ष, चेक/इलेक्ट्रॉनिक एडवाइस के प्रति बैंकों में होने वाले लेनदेन को दर्शाते हैं। 'चेक और बिल' के तहत बकाया राशि चेक/एडवाइस को दर्शाती है जिसके लिए भुगतान नहीं किया गया है। चेक और बिलों के तहत निरंतर बकाया शेष सरकार की बही में वास्तविक नकद शेष को नहीं दर्शाती है।

जब पीएओ/विभागीय अधिकारी को उपयुक्त बिल फॉर्म में दावे भेजे जाते हैं, तो भुगतान निर्धारित चेकों का प्रयोग करने और भुगतान आदेश की रिकार्डिंग के बाद चेक जारी करने के माध्यम से अधिकृत किया जाता है। प्रत्येक महीने के अंत में, मुख्य शीर्ष '8670-चेक और बिल' को महीने के दौरान वितरित चेक की कुल राशि से क्रेडिट किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/(सीएएस) आरबीआई, नागपुर से दिनांक-वार मासिक विवरण (डीएमएस)/शेष का मासिक विवरण प्राप्त होने पर, जारी किए गए चेकों के प्रति उनके द्वारा किए गए भुगतानों को दिखाते हुए, शीर्ष '8670-चेक और बिल' को

माइनस क्रेडिट किया जाता है और उचंत शीर्ष '8658.108-पीएसबी उचंत' या '8675.101-आरबीआई-सेंट्रल सिविल में डिपॉजिट' को क्रेडिट किया जाता है।

यूजीएफए में विवरण 13 की संवीक्षा से पता चला कि मार्च 2022 के अंत तक ₹38,841.32 करोड़ की राशि के 'चेक और बिल' बकाया थे, जैसा कि तालिका 3.8 में दिखाया गया है। इसके अलावा, मुख्य शीर्ष 'चेक और बिल' की प्रकृति और नाम के अनुसार, इस शीर्ष के तहत शेष राशि क्रेडिट रहनी चाहिए। इसके विपरीत, लघु शीर्ष 'ट्रेजरी चेक' के तहत ₹148.86 करोड़ का डेबिट/प्रतिकूल शेष था और वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान ₹15.40 करोड़ की वृद्धि देखी गई।

तालिका 3.8: बकाया चेक और बिल

(₹ करोड़ में)

नामकरण/मुख्य शीर्ष (8670-चेक और बिल)	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2020-21 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021-22 में वृद्धि/कमी
102 - वेतन और लेखा कार्यालयों के चेक	2,332.52 क्रेडिट	1,547.24 क्रेडिट	1,028.41 क्रेडिट	-518.83
103 - विभागीय चेक	1,709.71 क्रेडिट	1,883.18 क्रेडिट	875.83 क्रेडिट	-1,007.35
104 - ट्रेजरी चेक	131.21 डेबिट	133.46 डेबिट	148.86 डेबिट	15.40
106-दूरसंचार लेखा कार्यालय चेक	852.41 क्रेडिट	869.23 क्रेडिट	870.69 क्रेडिट	1.46
107 - डाक चेक	37,481.94 क्रेडिट	36,893.15 क्रेडिट	20,198.11 क्रेडिट	-16,695.04
108 - रेलवे चेक	17,964.12 क्रेडिट	5,169.25 क्रेडिट	2,061.54 क्रेडिट	-3,107.71
110 - इलेक्ट्रॉनिक एडवाइस	2,652.99 क्रेडिट	3,750.34 क्रेडिट	5,191.12 क्रेडिट	1,440.78
111 - वेतन और लेखा कार्यालय इलेक्ट्रॉनिक एडवाइस	3,465.13 क्रेडिट	4,485.54 क्रेडिट	7,662.82 क्रेडिट	3,177.28
अन्य चेक*	0.99 डेबिट	659.61 क्रेडिट	1,101.67 क्रेडिट	442.06
कुल चेक और बिल	66,326.62	55,124.08	38,841.32	-16,282.75

* ₹882.65 करोड़ (क्रेडिट) के 'रक्षा चेक' सहित

हालांकि कुल बकाया चेक और बिलों में समग्र कमी थी, तथापि, वित्तीय वर्ष 2020-21 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान शेष में वृद्धि 'रक्षा चेक' में 116 प्रतिशत, 'इलेक्ट्रॉनिक एडवाइस' में 38 प्रतिशत और 'वेतन और लेखा कार्यालय इलेक्ट्रॉनिक एडवाइस' के तहत 71 प्रतिशत देखी गई थी। डाक चेकों से संबंधित चेक और बिलों के अंतर्गत शेष राशि आधे से अधिक थी।

इंगित किए जाने पर, सीजीए कार्यालय ने कहा (सितंबर 2022) कि उनका कार्यालय चेक और बिलों के तहत बकाया राशि को निपटाने के लिए सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ लगातार प्रयास करता है।

3.5 प्रतिकूल शेष

प्रतिकूल शेष विभिन्न कारकों के कारण उत्पन्न होते हैं जैसे (क) जब लेन-देन को डेबिट करने के बजाय गलत तरीके से क्रेडिट किया जाता है या इसके विपरीत होता है, (ख) जब डेबिट को एक शीर्ष के तहत और संबंधित क्रेडिट को किसी अन्य शीर्ष या इसके विपरीत में लेखाबद्ध किया जाता है, और (ग) जब आरक्षित निधियों से बहिर्गमन/संवितरण प्राप्तियों/शेष राशि से अधिक हो। इस प्रकार, ये शेष त्रुटियों और वित्तीय नियंत्रणों का अभाव दर्शाती हैं और लेखों की गुणवत्ता और सटीकता को प्रभावित करती हैं।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए यूजीएफए में प्रतिकूल शेष राशि के 67 मामले (अनुलग्नक 3.2 में विवरण) शामिल थे। इसमें से 45 मामले 5 वर्षों से अधिक समय से अनसुलझे थे, जिनमें सबसे पुराना 45 वर्ष का था। इसके अलावा, संबंधित मंत्रालय/विभाग के लेखों के संदर्भ में प्रतिकूल शेषों की विस्तृत संवीक्षा से निम्नलिखित का पता चला:

क. नियम निर्धारित करता है कि 0.5 प्रतिशत की दर से स्वच्छ भारत (उपकर) उन सभी सेवाओं पर 15.11.2015 से लगाया जाएगा जो सेवा कर के लिए उत्तरदायी थीं। इसे गैर-व्ययगत निधि '8235-135-राष्ट्रीय स्वच्छता कोष (आरएसके)' में जमा किया जाएगा और इसका रखरखाव पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। आरएसके से प्राप्त आय का उपयोग पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय (एमओडीडब्ल्यूएस) और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए) द्वारा 80 (ग्रामीण): 20 (शहरी) के अनुपात में किया जाएगा। 2015-2017 के दौरान, ₹12,400 करोड़ आरएसके में जमा किए गए थे। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) पर पूरी राशि का उपयोग किया। वित्तीय वर्ष 2015-16 में, शहरी विकास मंत्रालय ने भी स्वच्छ भारत मिशन के लिए ₹159.42 करोड़ का व्यय किया, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिकूल शेष हुआ। सितंबर 2018 में, एमओएचयूए ने एमओएचयूए के वित्त लेखों से प्रतिकूल शेष

राशि को स्वीकार करने के लिए एमओडीडब्ल्यूएस से अनुरोध किया था। हालाँकि, प्रतिकूल शेष अभी भी है।

पेयजल और स्वच्छता विभाग (डीओडीडब्ल्यूएस)⁸ ने कहा है (मई 2023) कि वे एमओएचयूए के प्रतिकूल शेष को अपनाएंगे।

- ख.** वित्तीय वर्ष 2010-11 से एमएच-8229.00.200 के तहत 'बीड़ी श्रमिक कल्याण कोष' में ₹210.71 करोड़ की प्रतिकूल शेष राशि है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने प्रतिकूल शेष का कारण बताया (सितंबर 2022) कि कल्याणकारी गतिविधियों पर व्यय स्वीकृत बजट प्रावधानों के आधार पर किया गया था जो सामान्य रूप से उपकर के संग्रह से अधिक था। जुलाई 2017 से बीड़ी उपकर को जीएसटी में शामिल कर लिया गया है। हालांकि, मंत्रालय द्वारा प्रतिकूल शेष के संबंध में सुधारात्मक कार्रवाई अभी की जानी है।
- ग.** रक्षा सेवाओं के तहत प्रतिकूल शेष के संबंध में, सीजीडीए कार्यालय ने कहा कि प्रतिकूल शेष राशि के शीघ्र परिसमापन के लिए नियंत्रक कार्यालयों को संवेदनशील बनाया गया है। इसके अलावा, एमएच 8342.00.112 फील्ड जमा (₹540.65 करोड़) और एमएच 8551.00.101 रक्षा अग्रिम (424.17 करोड़) के तहत शेष निपटान के लिए संबंधित पीसीडीए/सीएसडीए के पास जांच के अधीन थे।
- घ.** डाक विभाग के केंद्रीय लेन-देन के विवरण की जांच पर, वर्ष 2021-22 के अंत में ₹483.19 करोड़ का प्रतिकूल शेष "इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के निपटान खाते" "एमएच-8455.101" के तहत देखा गया। यह गैर-ब्याज वाला जमा खाता अपने संचालन के पहले वर्ष (2018-19) से प्रतिकूल हो गया इसमें ₹31.99 करोड़ के प्रतिकूल शेष था और वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, यह ₹372.51 करोड़ से बढ़कर ₹483.19 करोड़ हो गया। मामला विभाग के समक्ष उठाया गया था और उत्तर में यह बताया गया (जनवरी 2023) कि इस शीर्ष के तहत लेनदेन के लिए पीएओ दिल्ली नोडल कार्यालय था। चूंकि यह एक अधिक समय लेने वाला कार्य था जिसमें अन्य सर्किलों की भागीदारी के साथ पूरी तरह से जांच की आवश्यकता थी, आईपीपीबी अनुभाग एमएच 8455 के तहत सभी लेखों शीर्षों का संकलन और जांच कर रहा था और जितनी जल्दी हो सके प्रतिकूल शेष राशि को परिसमापन करने का प्रयास करेगा।

वित्त लेखे में प्रतिकूल शेष को सीजीए द्वारा फूटनोट के माध्यम से दर्शाया गया था और कुछ स्थानों पर यह कहा गया था कि प्रतिकूल शेष राशि की जांच चल रही है।

⁸ मई 2019 में पेयजल मंत्रालय का विलय कर दिया गया और यह जल शक्ति मंत्रालय के तहत एक विभाग बन गया

तथापि, तथ्य यह है कि प्रतिकूल शेष के 45 मामले 5 वर्षों से अधिक समय से अनसुलझे थे। संबंधित मंत्रालयों/विभागों को इन प्रतिकूल शेष राशियों का निपटान करने के लिए ठोस प्रयास करने की आवश्यकता है।

3.6 आरक्षित निधि

सरकारी बहियों में, आरक्षित निधियों का गठन किसी वैधानिक प्रावधान के तहत या अन्यथा परिसंपत्तियों के नवीकरण और प्रतिस्थापन, विशिष्ट और अच्छी तरह से परिभाषित उद्देश्य के लिए किया जाता है। आरक्षित निधियों को बजटीय सहायता और/या अनुदान, योगदान, उपकर या लेवी के रूप में वित्तपोषित किया जाता है और समेकित निधि में एकत्र किया जाता है और इन लेनदेनों के बजट के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके लोक लेखा में नामित आरक्षित निधियों में हस्तांतरित किया जाता है।

3.6.1 निर्दिष्ट निधियों में लेवी और उपकर संग्रह का हस्तांतरण

सरकार विशिष्ट उद्देश्यों के लिए धन जुटाने हेतु लेवी/उपकर और अन्य शुल्क लगाती है। यह मौजूदा कर के अलावा एक अतिरिक्त कर के रूप में लगाया जाता है। ऐसी प्राप्तियों का लेखांकन, ज्यादातर मामलों में, कानून और नियमों द्वारा विनियमित होता है जो अक्सर यह सुनिश्चित करने के लिए आरक्षित निधियों का निर्माण किया जाता है कि इन शुल्कों/उपकरों का उपयोग अभीष्ट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2021-22 में उपकर/प्रभार/लेवी के रूप में ₹4,78,680 करोड़ की राशि उपकर/शुल्क/लेवी के रूप में एकत्र की गई, जो संघ सरकार की कुल निवल कर प्राप्तियों का 26.43 प्रतिशत थी।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान एकत्रित उपकर और लेवी की नमूना जांच में एकत्रित राशि के कम/गैर-हस्तांतरण के मामलों का पता चला, जैसा कि निम्नलिखित पैराग्राफ में चर्चा की गई है।

क. यूनिवर्सल एक्सेस लेवी का लघु अंतरण

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए यूएसओ निधि में हस्तांतरण के लिये मूल प्रावधान ₹9,000 करोड़ था जिसे आरई स्तर पर घटाकर ₹8,300 करोड़ कर दिया गया था। संघ सरकार के वित्त लेखों के विवरण संख्या 8, 9 और 13 की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला है कि यूनिवर्सल एक्सेस लेवी (यूएएल) के कुल ₹10,376 करोड़ के संग्रह के प्रति केवल ₹8,300 करोड़ यूएसओ निधि में हस्तांतरित किए गए थे। इस प्रकार, यूएसओ निधि में वर्ष के दौरान एकत्रित यूएएल का ₹2,076 करोड़ का कम हस्तांतरण हुआ। यह राशि भारत की समेकित निधि में रखी गई थी और जिस उद्देश्य के लिये इसका उपयोग में लाया गया था उसके अलावा अन्य उद्देश्य के लिये उपयोग किया गया।

बजट प्रभाग, डीईए (एमओएफ) ने कहा (मई 2023) कि अन्य बातों के साथ-साथ इस तरह की निधि का उद्देश्य, समय-अवधि में निर्धारित उद्देश्य के लिए उपयोग सुनिश्चित करना है, लेकिन जरूरी नहीं कि यह प्रत्येक वित्तीय वर्ष के भीतर किया जाए। उत्पादक अनुप्रयोग के बिना लोक लेखा में निधियों को निष्क्रिय रखना वांछनीय नहीं है। इसमें यह भी कहा गया है कि यूएसओएफ लेवी के कम हस्तांतरण पर सीएजी की टिप्पणी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। संसद द्वारा अनुमोदित अधिनियम के प्रावधान लेखांकन प्रक्रिया पर प्रभावी होंगे।

वित्त मंत्रालय का तर्क इस तथ्य के मद्देनजर स्वीकार्य नहीं है कि सरकार विशिष्ट उद्देश्यों के लिए धन जुटाने के लिए लेवी/ उपकर और अन्य शुल्क लगाती है। समर्पित आरक्षित निधि में एकत्रित लेवी का गैर/अल्प हस्तांतरण ऐसे अतिरिक्त कर लगाने के मूल उद्देश्य को विफल कर देता है।

ख. माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष (एम यू एस के) और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि (पी एम एस एस एन) का गैर-प्रचालन

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर के लिये ₹52,732 करोड़ की राशि एकत्र की गई, जिसमें से ₹31,788 करोड़ (60 प्रतिशत) प्रारंभिक शिक्षा कोष में हस्तांतरित कर दिए गए। शेष आरक्षित निधियों के लिए, मस्क (जुलाई 2017) और पीएमएसएसएन (मार्च 2021) के निर्माण के लिए कैबिनेट की मंजूरी के बजाय उनकी लेखांकन प्रक्रियाओं को अंतिम रूप न देने के कारण अभी तक चालू नहीं किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए संशोधित अनुमान (आर ई) के अनुसार, मस्क और पीएमएसएसएन को हस्तांतरण के लिए क्रमशः ₹25,000 करोड़ और ₹21,499 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई थी। हालांकि, परिकल्पित उद्देश्य पर व्यय के लिए निर्धारित निधियों में हस्तांतरित किये बिना, सकल बजटीय सहायता से किया जाना जारी रहा।

एमओएफ ने कहा (मई 2023) कि निधि (मस्क और पीएमएसएसएन) वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान प्रचालन में होने की उम्मीद है।

ग. बिना दावे की जमाराशियों का वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष में कम हस्तांतरण

वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और इस प्रकार के अन्य उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिये वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष (एससीडब्ल्यूएफ) के रूप में जानें वाला ब्याज युक्त कोष स्थापित किया गया था, जैसा कि वित्त अधिनियम 2015 के अध्याय VII में निर्दिष्ट किया गया है।

वर्ष 2021-22 के लिए यूजीएफ में दिखाए गए विवरण संख्या 8, 9 और 13 की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि 2015 के वित्त अधिनियम 20 की धारा 122 (2)

के तहत निर्दिष्ट 'दावा नहीं की गई कुल प्राप्तियां' एमएच: 0250.104 पिछले पांच वित्तीय वर्षों (2017-18 से 2021-22) के दौरान ₹1,790.57 करोड़ थी। इन कुल प्राप्तियों में से केवल ₹274.91 करोड़ वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष (लघु शीर्ष: 8121.127) में हस्तांतरित किए गए थे और पिछले पांच वर्षों के दौरान उपयोग की गई राशि ₹229.36 करोड़ थी। इस प्रकार, वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष में ₹1,515.66 करोड़ का कम हस्तांतरण हुआ और ₹45.55 करोड़ का उपयोग कम हुआ।

वित्त मंत्रालय ने कहा (मई 2023) कि मामला समीक्षाधीन है और इसका समाधान होने की उम्मीद है।

घ. तेल उद्योग विकास बोर्ड को उपकर का हस्तांतरण न करना

तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 तेल उद्योग के विकास के लिए तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओआईडीबी) की स्थापना का प्रावधान करता है और इस उद्देश्य के लिए उपकर के रूप में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस पर उत्पाद शुल्क लगाया जाता है।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि वित्तीय वर्ष 1974-75 से वित्तीय वर्ष 2021-22 ओआईडीबी को वित्तीय वर्ष 1991-92 तक ₹902.40 करोड़ की राशि आवंटित की गई थी। तत्पश्चात, सरकार द्वारा ओआईडीबी को उपकर संग्रहण में से कोई राशि आवंटित नहीं की गई थी।

वित्त मंत्रालय ने कहा (मई 2023) कि पिछले सात वर्षों के दौरान, तेल क्षेत्र के लाभ के लिए सरकार द्वारा किया गया अधिकांश व्यय का विवरण (i) एलपीजी सब्सिडी: ₹1,49,974 करोड़ (ii) केरोसिन सब्सिडी: ₹37,276 करोड़ (iii) रणनीतिक तेल भंडार: ₹5,441 करोड़ (iv) तेल बांड का पुनर्भुगतान: ₹38,723 करोड़ और (v) तेल बांड पर ब्याज: ₹70,109 करोड़ (कुल ₹3,01,523 करोड़) था।

3.6.2 निष्क्रिय आरक्षित निधि / जमा

पुनः भुगतान आरक्षित निधि और जमा भारत के लोक लेखा का एक भाग है, जिसमें लेन-देन के संबंध में सरकार प्राप्त धन को चुकाने के लिए देनदारी बनाती है और उसके पुनर्भुगतान को रिकॉर्ड किया जाता है। आरक्षित निधि के निर्माण में आम तौर पर विशिष्ट उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने हेतु भारत की समेकित निधि से लोक लेखा में राशि का हस्तांतरण शामिल होता है। दूसरी ओर, सरकार की जमा राशि जमाकर्ताओं द्वारा सुरक्षा के रूप में और/या जमाकर्ता की ओर से सरकार द्वारा कुछ कार्य निष्पादित करने के लिए की जाती है। निष्क्रिय आरक्षित निधि/जमा उन निधियों या जमा राशियों का निर्माण करते हैं जो लंबे समय से प्रचालन में नहीं हैं और उनकी उपयोगिता समाप्त हो गई है।

यूजीएफए के विवरण 13 की संवीक्षा से पता चला है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंत में सात आरक्षित निधि जिनमें से पांच आरक्षित निधि में ₹1.25 करोड़ का क्रेडिट शेष और दो आरक्षित निधियों में ₹0.23 करोड़ का डेबिट शेष, जैसा कि **अनुलग्नक 3.3** में निहित है, जो कम से कम तीन वित्तीय वर्षों से 05 से 19 वर्ष तक के लिए निष्क्रिय पड़े थे।

विवरण 13 की आगे की संवीक्षा से पता चला कि 20 जमा (ब्याज सहित और साथ ही बिना ब्याज वाले), जिनमें से 17 जमा लेखों में ₹371.41 करोड़ का क्रेडिट शेष और वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंत में तीन जमा लेखों में ₹197.54 करोड़ का डेबिट शेष, जैसा कि **अनुलग्नक 3.4** में निहित है, कम से कम तीन वित्तीय वर्षों से 08 से 19 वर्षों तक की अवधि के लिए निष्क्रिय पड़े हुये थे।

निष्क्रिय जमा लेखों को दर्शाने वाले अनुलग्नक में मुख्य शीर्ष 8450- केंद्र शासित प्रदेशों के शेष लेखों के तहत विभिन्न लघु शीर्षों के तहत शेष राशि शामिल है। ये पुडुचेरी को 8450.101 (₹40.13 करोड़ सीआर), गोवा, दमन और दीव को 8450.102 (₹16.30 करोड़ डीआर), अरुणाचल प्रदेश को 8450.104 (₹56.83 करोड़ डीआर), मिज़ोरम को 8450.105 (₹124.41 करोड़ डीआर) से संबंधित थी। प्रासंगिक रूप से, ये केन्द्र शासित प्रदेश या तो अलग-अलग लोक लेखा के साथ विधायिका वाले राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश बन गये थे। ये पुडुचेरी के संबंध में वित्तीय वर्ष 2008-09 से और अरुणाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव और मिज़ोरम के संबंध में वित्तीय वर्ष 2002-03 से शेष पड़े हैं।

जवाब में, सीजए कार्यालय ने कहा (सितंबर 2022) कि संबंधित लेखांकन अधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि वे निष्क्रिय आरक्षित निधि/जमा की समीक्षा करें और सीएफआई के तहत शेष राशि को हस्तांतरित करके उन्हें बंद करने की व्यवहार्यता का आंकलन करें। एमएच-8450 के तहत शेष राशि के भुगतान के लिए उनका कार्यालय संबंधित महालेखाकार/निदेशक से लगातार अनुगमन करता रहा।

3.6.3 स्वीकृत लेखांकन प्रक्रिया से विचलन

क. भारत के लोक लेखों में पेंशन अंशदान

भारत सरकार ने 01 जनवरी 2004 से एक नई अंशदान पेंशन योजना (डीसीपीएस) को लागू किया। यह 01 जनवरी 2004 को या उसके बाद सरकारी सेवा (सशस्त्र बलों को छोड़कर) में शामिल होने वाले सभी नए प्रवेशकों पर लागू थी। इसके अलावा, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के दिनांक 02 सितंबर 2008 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, 31 मार्च 2008 तक संचित डीसीपीएस के तहत शेष राशि और 01 अप्रैल 2008 से

मासिक अंशदान को ट्रस्टी बैंक में हस्तांतरित करने का उल्लेख किया गया था। उक्त ओएम में, यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि ट्रस्टी बैंक को भुगतान करने के लिए एक अस्थायी उपाय के रूप में भी अंशदान “8342-अन्य जमा-117-परिभाषित अंशदान पेंशन योजना” लेखों के शीर्ष के तहत नहीं रखा जाएगा।

विवरण 13 के लेखापरीक्षा संवीक्षा में “जमा और अग्रिम” एमएच-8342-अन्य जमा-117-सरकारी कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के तहत ₹184.51 करोड़ के अंत शेष का पता चला। एमएच-8342-अन्य जमा-117-परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के तहत ₹184.51 करोड़ के समापन शेष के संबंध में मामला सीजीए कार्यालय में उठाया गया था (जुलाई 2022) और सीजीए कार्यालय ने अपने उत्तर (सितंबर 2022) में कहा था कि ग्राहकों की पहचान करने और शेष राशि को ट्रस्टी बैंकों को हस्तांतरित करने के लिए और प्रतिकूल शेष राशि का निपटान करने के लिए डेबिट शेष रखने वाले नियंत्रकों के साथ भी संबंधित नियंत्रकों के साथ मामला उठाया गया था।

इस प्रकार, एनपीएस शेष को या तो एमएच-8342.00.117 या उचित शीर्ष के तहत रखना भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के उल्लंघन में है और बकाया शेष राशि को एनपीएस अभिदाता के खाते में हस्तांतरित किया जाना चाहिए।

ख. राष्ट्रीय राजमार्ग निधि के मुद्रिकरण में अनुचित लेखांकन

अनुमोदित लेखांकन प्रक्रिया के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्गों के मुद्रिकरण की प्राप्तियों को शीर्ष 4000.01.106-राष्ट्रीय राजमार्गों के मुद्रिकरण की आय के तहत दर्ज किया जाएगा। इस प्रकार प्राप्त राशि को लेखा शीर्ष 8225.03.101 राष्ट्रीय राजमार्ग निधि के मुद्रिकरण में राजस्व शीर्ष 3054.80.797 आरक्षित निधि/जमा लेखे में अंतरण के माध्यम से लोक लेखे में राष्ट्रीय राजमार्ग निधि के मुद्रिकरण में हस्तांतरित किया जाना है। निधि से किए गए व्यय को 5054.01.337-सड़क कार्यों के तहत किए गए बजट प्रावधान के तहत दर्ज किया जाना है और इस तरह खर्च की गई राशि को लेखा शीर्ष 5054.01.905-राष्ट्रीय राजमार्गों के निधि के मुद्रिकरण से मिलने वाली कटौती राशि के माध्यम से निधि से वसूल किया जाना है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग निधि के मुद्रिकरण के तहत लेन-देन का लेखा-जोखा गलत था। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, राष्ट्रीय राजमार्गों के मुद्रिकरण की आय के लिए ₹1,011 करोड़ प्राप्त हुए थे। इसके अलावा, ₹5,000 करोड़ (₹10,000 करोड़ के मूल बजट प्रावधान के प्रति) की राशि भी पूंजीगत शीर्ष 5054.80.797 के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग निधि के मुद्रिकरण में हस्तांतरित की गई थी। हालांकि निधि से किए गए ₹5,000 करोड़ के व्यय को स्वीकृत शीर्ष 5054.01.337 के बजाय शीर्ष 5054.01.190-सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश के तहत दर्ज किया

गया था। इस प्रकार जीबीएस के माध्यम से प्रदान की गई निधि का उपयोग सड़क निर्माण पर पूंजीगत व्यय के बजाय एनएचएआई में पूंजीगत निवेश करने के लिए किया गया था जिसके कारण उसी सीमा तक पूंजीगत निवेश को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया। हालांकि इस मुद्दे को पहले की सीएजी लेखापरीक्षा रिपोर्ट (2021 की रिपोर्ट संख्या 7 और 2022 की रिपोर्ट संख्या 31) में उठाया गया है, मंत्रालय या सीजीए द्वारा अभी तक कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई थी।

एमओएफ ने कहा (मई 2023) कि एनएचएम निधि में हस्तांतरण पूंजीगत प्रमुख शीर्ष से किया जाना जारी रहेगा क्योंकि राजस्व एमएच से हस्तांतरण और पूंजीगत एमएच से व्यय करने से पूंजीगत व्यय कम ही दर्शायेगा। मंत्रालय का लगातार रुख यही रहा है कि यदि पूंजीगत व्यय उस विशिष्ट आरक्षित निधि से किया जाता है, तो पूंजीगत एमएच से विशिष्ट आरक्षित निधियों में हस्तांतरण प्रभावित होंगे।

ग. ₹145.41 करोड़ की राशि सरकारी लेखों से बाहर रखी गयी

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सितंबर 2014 में दिये गए आदेश द्वारा 204 कोयला ब्लॉकों (वर्ष 1993 से 2011 के बीच आवंटित) के आवंटन के अनुसरण में, केंद्र सरकार ने ई-नीलामी की प्रक्रिया के माध्यम से कोयला ब्लॉकों के नए आवंटन को सुनिश्चित करने के लिए नामित प्राधिकरण नियुक्त किया जिसमें अनुसूची⁹ कोयला खदानों के पूर्व आवंटियों को देय राशि के संवितरण के लिए भुगतान आयुक्त (सीओपी) की नियुक्ति भी शामिल है।

संवितरण के लिए, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ओल्ड कोर्ट हाउस स्ट्रीट शाखा, कोलकाता-700001 में 23 जून 2015 को एक चालू खाता (0389050196437) खोला गया था जिसमें ₹209.28 करोड़ मई 2016 से अगस्त 2021 तक हस्तांतरित किए गए थे, जिसमें से 31 मार्च 2022 तक केवल ₹63.87 करोड़ वितरित किए गये हैं और शेष ₹145.41 करोड़ खाते में पड़े हैं। मामला कोयला मंत्रालय के समक्ष उठाया गया था (अक्टूबर 2022), तथा उत्तर प्रतीक्षित था।

घ. अंतरिक्ष विभाग से संबंधित सरकारी लेखों के बाहर सरकारी धन का अनियमित प्रतिधारण

संविधान के अनुच्छेद 114 और 115 प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के लिए सेवाओं पर व्यय करने के लिए भारत की समेकित निधि से निर्दिष्ट राशि के आहरण को अधिकृत करते हैं। प्राप्ति और भुगतान लेखा नियम, 1983 के नियम 11 के अनुसार, किसी लेखा अधिकारी द्वारा उसके पक्ष में खोले गए खाते पर जारी किए गए चेक या मान्यता

⁹ 204 कोयला ब्लॉकों की सूची जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत रद्द कर दिया गया था।

प्राप्त बैंक की एक निर्दिष्ट शाखा में उसके पक्ष में खोले गये असाइनमेंट लेखे पर डीडीओ द्वारा आहरित चेक के अलावा सरकारी लेखे से पैसा नहीं निकाला जा सकता है। ऐसे लेखे लेखा महानियंत्रक (सीजीए) के परामर्श से विभाग के वित्तीय सलाहकार के आदेश के तहत खोले जाएंगे।

सरकारी लेखों के बाहर लोक निधि को बनाए रखने के लिए सरकारी लेखांकन और वित्तीय नियमों में कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि, यह देखा गया कि ₹154.94 करोड़ (14 केंद्रों/इकाइयों में 16 बैंक खाते) की राशि चालू खातों में पड़ी हुई थी, और सबसे पुरानी शेष राशि वित्तीय वर्ष 2012-13 से संबंधित थी। इसका उपयोग इसरो केंद्रों/इकाइयों द्वारा सीमा शुल्क, स्क्रेप की बिक्री पर क्रेडिट प्राप्तियों, अन्य विविध ई-प्राप्तियों के भुगतान के लिए किया गया था।

इंगित किये जाने पर अंतरिक्ष विभाग ने उत्तर दिया (दिसंबर 2022) कि विभाग ने सभी लेखों को बंद करने के निर्देश जारी कर दिये हैं। विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि यही मुद्दा वर्ष 2020-21 में अंतरिक्ष विभाग के समक्ष उठाया गया था। अंतरिक्ष विभाग ने इन बैंक खातों को संचालित करने के लिए वित्त मंत्रालय में लेखा महानियंत्रक (सीजीए) से कार्यान्वयन स्वीकृति मांगी (सितंबर 2021)। हालांकि, सीजीए ने अंतरिक्ष विभाग को इन खातों को तत्काल प्रभाव से बंद करने का निर्देश दिया (अक्टूबर 2021)। अंतरिक्ष विभाग ने उत्तर दिया (नवंबर 2021) कि एक बार कस्टम भुगतान और ई-रसीद जमा करने के लिए एनईएफटी/आरटीजीएस मार्ग चालू होने के बाद, इन खातों को बंद करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान सरकारी लेखों के बाहर इन बैंक खातों का संचालन जारी रहा।

3.7 ऋण और अग्रिम

यूजीएफए के विवरण 15 में संघ सरकार द्वारा ऋण और अग्रिमों के बारे में जानकारी शामिल है। 31 मार्च 2022 तक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों और अन्य संस्थाओं से बकाया ₹7,63,693.29 करोड़ के कुल ऋण के प्रति ब्याज सहित ₹68,141 करोड़ की वसूली बकाया थी, जैसा कि तालिका 3.9 में वर्णित है। अवधि विवरण तालिका 3.10 में दिया गया है।

तालिका 3.9: बकाया ऋणों और अग्रिमों का विवरण

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2022 तक बकाया				
क्रम संख्या	ऋणी का नाम	मूलधन	ब्याज	कुल
1.	राज्य सरकार	402	1,812	2,214
2.	केंद्र शासित प्रदेश	3,189	2,716	5,905
3.	अन्य ऋणी	17,809	42,213	60,022
कुल		21,400	46,741	68,141

तालिका 3.10: ऋणों और बकाया अग्रिमों का अवधि-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2022 तक बकाया						
क्रम संख्या	ऋणी की श्रेणी	राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों/इकाई की संख्या	बकाया की अवधि (वर्षों में)	मूलधन	ब्याज	कुल
1.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश सरकारें	22	>25	587	1,723	2,310
		05	15-25	3,004	2,805	5,809
2.	अन्य इकाई	81	>25	5,596	29,090	34,686
		37	15-25	5,151	8,950	14,101
		31	5-15	6,191	4,173	10,364
		4	<5	871	0	871
कुल		180		21,400	46,741	68,141

15 वर्ष से ज्यादा के लिए 31 मार्च 2022 तक जिन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रति ऋण और अग्रिम बकाया हैं उनकी सूची अनुलग्नक 3.5 में दी गई है। इसके अतिरिक्त मंत्रालय-वार, प्रमुख ऋणों और अग्रिमों की संवीक्षा से निम्नलिखित का पता चला:

क. गृह मंत्रालय: मंत्रालय के विवरण संख्या 15 के अनुसार, 31 मार्च 2022 तक राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों पर ऋण और अग्रिम के तहत ₹15,524.30 करोड़ बकाया थे। रिकॉर्ड की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने विवरण संख्या 15 में दर्शाए गए आंकड़ों और मंत्रालय द्वारा रखे गये प्रासंगिक रिकॉर्ड के बीच कुछ विसंगतियों का खुलासा किया। 16 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश में, विवरण संख्या 15 के अनुसार बकाया राशि ₹329.36 करोड़ थी और मंत्रालय के रिकॉर्ड के अनुसार यह ₹301.10 करोड़ थी, जिसके परिणामस्वरूप विवरण संख्या 15 में ₹28.26 करोड़ की अधिक राशि का अंतर दिखाया गया था। इसी प्रकार, 12 राज्यों /केन्द्र शासित प्रदेशों में विवरण संख्या 15 के अनुसार बकाया राशि ₹1,892.19 करोड़ थी और

मंत्रालय के रिकॉर्ड के अनुसार यह ₹1,907.93 करोड़ थी, जिसके परिणामस्वरूप मंत्रालय के रिकॉर्ड में दर्शाई गई ₹15.74 करोड़ की अधिक राशि का अंतर था। इस प्रकार, ₹12.52 करोड़ का निवल अंतर था। मंत्रालय ने अपने उत्तर (अगस्त 2022) में कहा कि विवरण 15 में दर्शाए गए शेष राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों से बकाया थे जिसमें पिछले वर्ष के शेष से और वृद्धि हो गयी थी। इसके अलावा, ऋण विवरणों का मिलान राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार के साथ कर लिया गया था और विवरण 15 और ऋण विवरण के बीच के अंतर को सुधारने/कम करने के लिए गृह मंत्रालय के प्रधान लेखा कार्यालय (ऋण अनुभाग) और सीजीए कार्यालय के बीच समाधान शुरू कर दिया गया था।

ख. सूचना और प्रसारण मंत्रालय: मंत्रालय के विवरण संख्या 15 के अनुसार, 31 मार्च 2022 तक चार ऋणी संस्थाओं से ₹2,216.69 करोड़ बकाया थे। कुल बकाया में से ₹2,216.17 करोड़ (99.97 प्रतिशत) प्रसार भारती से संबंधित थे और राशि वित्तीय वर्ष 2010-11 से बकाया थी। शेष ₹0.52 करोड़ का बकाया तीन संस्थाओं अर्थात् हिंदुस्तान समाचार, समाचार भारती और आंध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के प्रति 43 साल से लंबित था। मंत्रालय ने अपने उत्तर (अगस्त 2022) में तथ्यों और आंकड़ों की पुष्टि की, हालांकि सुधारात्मक कार्रवाई अभी की जानी है।

ग. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय: रिकॉर्ड की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि छह चीनी मिलों से वित्तीय वर्ष 1978-79 से बकाया ऋणों पर मूलधन और ब्याज के लिए ₹81.57 करोड़ बकाया था। यह भी देखा गया कि तीन चीनी मिलों (सीताराम शुगर कंपनी बैथलपुर, यूपी, देवरिया चीनी मिल, देवरिया यूपी और राजा बुलान शुगर लिमिटेड, रामपुर यूपी) के संबंध में कोई ब्याज नहीं लिया जा रहा था क्योंकि इन चीनी मिलों से संबंधित रिकॉर्ड मंत्रालय में उपलब्ध नहीं थे। विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए कहा कि संबंधित विभाग ने शास्तिक ब्याज सहित बकाया ऋण राशि वसूल करने का अनुरोध किया था।

घ. इस्पात मंत्रालय:

क) अन्य ऋणी संस्थाओं या संस्थानों से बकाया के भुगतान से संबंधित विवरण संख्या 15 (खंड 3) मैसर्स हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल) से ₹1,475.40 करोड़ की राशि (₹549.70 करोड़ का मूलधन और ₹ 925.70 करोड़ का ब्याज) दर्शाता है संबंधित फुटनोट में यह भी उजागर किया गया है कि तैयार किये गये नए प्रस्ताव के अनुसार मूलधन और ब्याज की बकाया राशि की गणना केवल 30.06.2010 तक की गई है।

रिकॉर्ड की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि कंपनी की इक्विटी पूंजी के प्रति एचएससीएल द्वारा ₹1,585 करोड़ की संचित हानि को समायोजित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी के प्रति बकाया ऋण और अग्रिमों को बड़े खाते में डाल दिया गया।

इसके अलावा, 1 अप्रैल 2017 से, एचएससीएल राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड (एनबीसीसी) की सहायक कंपनी बन गई थी, जो कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए) के अधीन है, जिसमें ₹35.70 करोड़ (51 प्रतिशत) की इक्विटी लगाई गई थी। एचएससीएल का प्रशासनिक नियंत्रण 6 दिसंबर 2017 से एमओएचयूए को हस्तांतरित कर दिया गया था।

चूंकि एचएससीएल के प्रति बकाया ऋण और ब्याज की राशि को बड़े खाते में डाल दिया गया था, विवरण संख्या 15 (खंड 3) में एचएससीएल के प्रति बकाया ऋण और उस पर ब्याज के वर्णन को सही करने की आवश्यकता है।

ख) मैसर्स कुमारधुबी फायरक्ले एंड सिलिका वर्क्स लिमिटेड (₹26.37 करोड़) और कर्नाटक (₹0.22 करोड़) और बिहार राज्यों (₹0.01 करोड़) से वसूली योग्य बकाया ऋण और अग्रिम से संबंधित रिकॉर्ड समीक्षा के लिए लेखापरीक्षा को प्रदान नहीं किये गये थे क्योंकि मंत्रालय के पास रिकार्ड उपलब्ध नहीं थे। मंत्रालय से उत्तर प्रतीक्षित था।

3.8 पारदर्शिता और प्रकटीकरण

3.8.1 फुटनोट्स के माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारी का वर्णन

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए यूजीएफ में संबंधित लेनदेन के संदर्भ में इसमें उल्लेखित आंकड़ों पर अतिरिक्त जानकारी बताने के लिए कुल 258 फुटनोट डाले गए थे। हालांकि, इन फुटनोट्स ने उस हद तक संघ सरकार के वित्त की सही तस्वीर को नहीं बताया क्योंकि विसंगतियों को दूर करने के लिए किए गए समायोजन और की गई कार्रवाई की पूरी प्रकृति और निहितार्थ नहीं बताए गए थे। कुछ फुटनोट अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और फुटनोट के बजाय एक महत्वपूर्ण प्रकटीकरण की आवश्यकता है।

इस मुद्दे को 2021 की सीएजी रिपोर्ट संख्या 7 और 2022 की रिपोर्ट संख्या 31 में भी उठाया गया है, जिसमें यूजीएफ में “नोट्स टू एकाउंट्स” या समतुल्य समेकित प्रकटीकरण प्रारूप की शुरुआत पर विचार करने की सिफारिश की गई है, जो अतिरिक्त जानकारी को (अलग-अलग विवरणों में दर्शाए गए के अतिरिक्त) पठनीयता और पारदर्शिता में सुलभता लाने के लिए एक समेकित रूप में प्रदान करने में सक्षम होगा।

फुटनोट के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण प्रकटीकरण इस प्रकार थे:

- क. विवरण 2 'ऋण स्थिति का सारांश' 31 मार्च 2022 तक 'लघु बचत और भविष्य निधि' तहत कुल देनदारियों को ₹6,01,445.58 करोड़ के रूप में दर्शाता है। 'लघु बचत और भविष्य निधि' के संबंध में संघ सरकार की 'अन्य देनदारियों' के बारे में जानकारी जिसमें विशेष राज्य सरकारी प्रतिभूतियों में एनएसएसएफ का ₹3,90,929.97 करोड़ का निवेश, ₹41,143.50 करोड़ का एनएसएसएफ का संचित घाटा, डाकघर बीमा निधि से संबंधित ₹1,05,362.82 करोड़ का निवेश और विभिन्न सरकारी प्रतिभूतियों में ₹85,570 करोड़ का निवेश शामिल है जिन्हें एक फुटनोट के माध्यम से दर्शाया गया था। इस प्रकार, विवरण के मुख्य भाग के हिस्से के रूप में या किसी भी स्थान पर समेकित चित्र को चित्रित नहीं करते हुए फुटनोट के माध्यम से ₹6,23,006.29 करोड़ की लघु बचत देनदारियों का चित्रण, ने संघ सरकार की लोक लेखा देनदारियों की एक उचित तस्वीर पेश नहीं की।
- ख. विवरण 2 और 14 ने विनियम की ऐतिहासिक दर (₹4,39,354.78 करोड़) पर संघ सरकार के बाहरी ऋण को दिखाया और फुटनोट (₹6,58,333.88 करोड़) के रूप में वर्तमान विनियम दर (31 मार्च 2022 तक की दर) पर परिवर्तित बाहरी ऋण को उजागर किया। यह देखा गया कि बाद वाली रकम ऐतिहासिक दर से ₹2,18,979.10 करोड़ अधिक थी। केवल एक फुटनोट के माध्यम से बाहरी ऋण के मूल्य के प्रकटीकरण से लेखों की पारदर्शिता प्रभावित हुई और इसे एफआरबीएम अधिनियम 2003 के नियम 2 (एए) के आलोक में भी देखा जा सकता है, जिसमें संघ सरकार के ऋण की परिभाषा में वर्तमान विनियम दरों पर बाहरी ऋण शामिल है।
- ग. विवरण 13 जो ऋण, जमा और प्रेषण शीर्ष से संबंधित है, में एमएच 8999 के तहत अंतिम नकद शेष दिखाया गया था। आरबीआई के अंत नकद शेष के साथ अंतर को एक फुटनोट के माध्यम से दिखाया गया था। इस फुटनोट ने सिविल मंत्रालयों, गैर-सिविल मंत्रालयों और केन्द्र शासित प्रदेशों के बीच अंतर और मतभेदों के व्यापक कारणों का विवरण दिया। फुटनोट के माध्यम से प्रकटीकरण अपर्याप्त था क्योंकि अंतर को निवल आधार पर दिखाया गया था और इस प्रकार अलग-अलग क्रेडिट और डेबिट के संदर्भ में इसकी समग्रता पर नियंत्रण नहीं किया गया था जिससे अंतर बना।
- घ. जांच के तहत लगातार प्रतिकूल/ऋणात्मक शेष में 8551.00.101-रक्षा अग्रिम (₹424.17 करोड़ क्रेडिट) जैसी उच्च मूल्य की वस्तुएं भी शामिल हैं, जो स्वीकृत अग्रिमों के प्रति अग्रिमों की अधिक प्राप्ति और 8121.00.103-रेलवे पेंशन निधि कमर्शियल लाइन्स (₹5,007.29 करोड़ डेबिट) आदि में प्रतिकूल शेष की व्याख्या को सूचित करती हैं।

उपरोक्त के अलावा, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए यूजीएफए के सभी 16 विवरणों में लेन-देन के आंकड़ों के संबंध में अतिरिक्त जानकारी को उजागर करने और अथ और अंत शेष राशि और उसमें किए गए परिवर्तनों के लिए बड़ी संख्या में फुटनोट डाले गए थे। ये फुटनोट हालांकि महत्वपूर्ण लेन-देन से संबंधित थे, उनमें स्पष्टता की कमी थी और कुछ मामलों में समाधान के बिना वर्ष दर वर्ष दोहराये जा रहे थे।

उनके जवाब में, सीजीए कार्यालय ने कहा (अगस्त 2022) कि वर्ष के दौरान लेन-देन या यूजीएफए में दर्शाई गई शेष राशि के लिए फुटनोट डाले गए हैं। कुछ मामलों में, फुटनोट हितधारकों को अतिरिक्त जानकारी प्रदान करने के लिए भी डाले जाते हैं, जो यूजीएफए के प्रारूप का हिस्सा नहीं है। वर्तमान में ये फुटनोट उन पृष्ठों के नीचे डाले गए हैं जहाँ इन लेन-देन की सूचना दी जाती है जो उपयोगकर्ता के लिए पठनीयता में सहायता करते हैं। हालांकि, 'नोट्स टू अकाउंट्स' डालने की व्यवहार्यता की जांच की जा रही है।

संघ सरकार के वित्त लेखों में प्रदर्शित होने वाले आंकड़ों के संबंध में प्रकटीकरण/अतिरिक्त जानकारी के महत्व को ध्यान में रखते हुए, यह दोहराया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए, 'नोट्स टू अकाउंट्स' को निश्चित रूप से यूजीएफए में शामिल किया जा सकता है।

3.8.2 लघु शीर्ष 800 का सतत उपयोग

'अन्य प्राप्तियां'/'अन्य व्यय' नामा के साथ लघु शीर्ष 800 का उपयोग प्राप्ति और व्यय मुख्य शीर्षों के अंतर्गत उन लेन-देनों के लिए किया जाता है जो नियमित नहीं हैं और/या किसी विशिष्ट लघु शीर्ष के अंतर्गत लेखाबद्ध नहीं किये जा सकते हैं। लेखा बही में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कुछ परिव्यय के व्यय का उचित स्तर पर वर्गीकृत करना आवश्यक है, यह प्रबंधन के साथ-साथ निगरानी के उद्देश्य से व्यय गतिविधि के अनुसार मात्रा निर्धारित करने को भी सक्षम करता है। इसी प्रकार, प्राप्तियों को वर्गीकृत करने से सरकार के राजस्व के विशिष्ट स्रोत का पता चलता है। इसलिए, लघु शीर्ष 800 के बार-बार उपयोग से लेखों में अपारदर्शिता होती है और इसे कम करने की आवश्यकता होती है।

3.8.2.1 लघु शीर्ष 800 के उपयोग की प्रवृत्ति

कुल व्यय की तुलना में लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के तहत बुकिंग में वित्तीय वर्ष 2020-21 में 1.22 प्रतिशत से वित्तीय वर्ष 2021-22 में 1.81 प्रतिशत की मामूली वृद्धि देखी गई और इसी तरह की वृद्धि अन्य प्राप्तियों के संबंध में कुल प्राप्तियों की तुलना में वित्तीय वर्ष 2020-21 में 0.97 प्रतिशत से वित्तीय वर्ष 2021-22 में 1.10 प्रतिशत देखी गई।

3.8.2.2 लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के तहत बुकिंग

अन्य व्यय की विस्तृत संवीक्षा से पता चला कि नौ मुख्य लेखा शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक शीर्ष के अंतर्गत व्यय का 50 प्रतिशत से अधिक ₹47,651.97 करोड़ (इन मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹78,878.54 करोड़ के कुल व्यय का 60 प्रतिशत) लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था जैसा कि तालिका 3.11 में वर्णित है।

तालिका 3.11: लघु शीर्ष-800 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष के 50 प्रतिशत से अधिक व्यय की बुकिंग दर्शाने वाला विवरण

(₹ हजारों में)

लघु शीर्ष का विवरण 800 (अन्य व्यय) विवरण संख्या 9				
(₹ हजारों में)				
क्रम संख्या	मुख्य शीर्ष	कुल व्यय	लघु शीर्ष	% शेयर
1	2210-चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	69,83,69,406	36,57,08,100	52.37
2	2506-भूमि सुधार	25,79,489	17,40,800	67.49
3	2701-मध्यम सिंचाई	5,19,16,401	4,27,79,439	82.40
4	2711-बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी	12,30,133	12,17,228	98.95
	कुल (क)	75,40,95,429	41,14,45,567	
लघु शीर्ष का विवरण 800 (अन्य व्यय) विवरण संख्या 10				
5	4211-परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	36,997	36,997	100.0
6	4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	5,54,935	3,33,664	60.13
7	4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	10,03,873	9,58,001	95.43
8	4853-गैर-लौह खनन और धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	5,28,432	5,28,432	100.0
9	5275-अन्य संचार सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	3,25,65,698	6,32,16,999	194.12
	कुल योग (ख)	3,46,89,935	6,50,74,093	
	कुल योग (क+ख)	78,87,85,364	47,65,19,660	60.41

इसके अतिरिक्त, कुछ मामलों में, महत्वपूर्ण व्यय (हालांकि संबंधित मुख्य शीर्ष के तहत कुल व्यय का 50 प्रतिशत से कम) को लघु शीर्ष 800 के तहत दर्ज किया गया था। इनमें एमएच 2801-विद्युत (₹4,127.49 करोड़), एमएच 2076-रक्षा सेवाएं सेना (₹3,297.76) करोड़ और एमएच 2401-कृषी पालन (₹2,421.29 करोड़) के तहत अन्य व्यय शामिल थे।

लघु शीर्ष-800 के तहत रक्षा सेवाओं के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल आधारित नेटवर्क पर ₹6,139.83 करोड़ के व्यय की बुकिंग के संबंध में दूरसंचार विभाग ने बताया (नवम्बर 2022) कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान नए लघु शीर्ष (5225.06.201) को चालू नहीं किया जा सका, क्योंकि यह दूरसंचार विभाग के लिए लेखों के शीर्ष में सुधार का हिस्सा था, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 में वित्त मंत्रालय के बजट प्रभाग की मंजूरी से चालू हो जाएगा।

3.8.2.3 लघु शीर्ष-800 अन्य प्राप्तियों के तहत बुकिंग

अन्य प्राप्तियों की विस्तृत संवीक्षा से पता चला कि लेखों के 13 मुख्य शीर्षों में प्रत्येक शीर्ष के तहत प्राप्तियों में 50 प्रतिशत से अधिक राशि ₹3,331.41 करोड़ (इन मुख्य शीर्षों के तहत ₹ 3,968.31 करोड़ की कुल प्राप्तियों का 84 प्रतिशत) लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियां' के अंतर्गत वर्गीकृत की गयी थी जैसा कि तालिका 3.12 में वर्णित है।

तालिका 3.12: लघु शीर्ष-800 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष की 50 प्रतिशत से अधिक प्राप्तियों की बुकिंग दर्शाने वाला विवरण

(₹ हजारों में)

लघु शीर्ष का विवरण 800 (अन्य प्राप्तियां) विवरण संख्या 8				
क्रम संख्या	मुख्य शीर्ष	कुल प्राप्तियां	लघु शीर्ष 800	% शेयर
1	0029-भूमि राजस्व	99,271	70,961	71.48
2	0030-स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क	30,17,882	21,05,267	69.76
3	0077-रक्षा सेवाएं-नौसेना	59,15,290	47,68,445	80.61
4	0078-रक्षा सेवाएं-वायु सेना	1,31,24,794	93,86,231	71.52
5	0080-रक्षा सेवाएं-अनुसंधान और विकास	37,86,744	37,86,744	100.0
6	0202-शिक्षा खेलकूद, कला और संस्कृति	15,82,888	12,23,689	77.31
7	0230-श्रम एवं रोजगार	8,79,808	7,35,902	83.64
8	0235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	39,789	38,796	97.50
9	0408-खाद्य भंडारण और वेयरहाउसिंग	67,16,571	66,79,896	99.45
10	0701-मध्यम सिंचाई	2,21,092	2,21,092	100.0
11	0702-लघु सिंचाई	28,35,184	28,33,239	99.93
12	1055-सड़क परिवहन	12,38,984	12,38,984	100.0
13	1056- अंतर्देशीय जल परिवहन	2,24,843	2,24,843	100.0
	कुल योग	3,96,83,140	3,33,14,089	83.95

इसके अतिरिक्त, कुछ मामलों में, महत्वपूर्ण प्राप्तियों (यद्यपि कुल प्राप्तियों के 50 प्रतिशत से कम) को लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत दर्ज किया गया था। इनमें एमएच 0802-पेट्रोलियम (₹5,135.81 करोड़), एमएच 0037 सीमा शुल्क (₹2,419.09 करोड़),

एमएच 0055-पुलिस (₹948.12 करोड़), एमएच 0076 रक्षा सेवा सेना (₹835.08 करोड़), आदि शामिल है।

इसके अलावा, नमूना जांच किए गए मंत्रालयों में लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों के तहत बुकिंग की विस्तृत संवीक्षा से निम्नलिखित का पता चला:

क. केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) और केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी): सीबीडीटी में ₹366.20 करोड़ और सीबीआईसी में ₹2,338.23 करोड़ की प्राप्तियां संबंधित मुख्य शीर्ष के तहत लघु शीर्ष 800-‘अन्य प्राप्तियां’ में दर्ज की गई, जो अन्य मदों, विविध/अन्य प्राप्तियों आदि की तरह कर राजस्व प्राप्तियों के स्तर की नहीं थी। ये गैर-कर राजस्व प्रकृति के थे लेकिन कर राजस्व के मुख्य शीर्षों के तहत गलत वर्गीकृत थे। इसके अलावा, कर राजस्व के समान/अन्य मुख्य शीर्षों के तहत पहले से मौजूद अलग-अलग लघु शीर्षों के बावजूद ब्याज वसूली, शास्ति और कर संग्रह आदि जैसी प्राप्तियों को प्रासंगिक मुख्य शीर्षों के लघु शीर्ष 800 के तहत दिखाया गया था। रिकॉर्ड की नमूना जांच से सीबीडीटी में ₹1,045.04 करोड़ और सीबीआईसी में ₹866.33 करोड़ की राशि के लघु शीर्ष 800 के तहत प्राप्तियों के गलत वर्गीकरण का पता चला।

इंगित किए जाने पर, सीबीआईसी ने कहा (जनवरी 2023) कि बुकिंग मुख्य और लघु शीर्षों की सूची के अनुसार की गई है। उत्तर इस तथ्य के मद्देनजर मान्य नहीं है कि यद्यपि बुकिंग एलएमएमएच के अनुसार की गई है, चूंकि प्राप्तियां गैर-कर राजस्व प्रकृति की थी, इसे कर राजस्व के बजाय प्रासंगिक गैर-कर राजस्व मुख्य शीर्ष के तहत दर्ज किया जाना चाहिए था।

ख. संस्कृति मंत्रालय: दो मुख्य शीर्षों (0049-₹14.74 करोड़ ‘ब्याज प्राप्तियां’ और ₹94.92 करोड़ 0202-‘शिक्षा खेल, कला और संस्कृति’ के तहत) ₹109.66 करोड़ की प्राप्तियों में से ₹109.17 करोड़ लघु शीर्ष के तहत दर्ज पाये गये थे। ब्याज प्राप्तियों के संबंध में, मंत्रालय ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2022) कि लघु शीर्ष 801 खोला गया है और ऐसी प्राप्तियों के संग्रहण के लिए मुख्य शीर्ष प्राप्तियों 0202 के अंतर्गत दर्शाया गया है और वित्तीय वर्ष 2022-23 से आगे ऐसी प्राप्तियों को एमएच 0202 के तहत लघु शीर्ष 801 उचित रूप से दर्ज किया जाएगा। ‘शिक्षा खेल, कला और संस्कृति’ के तहत प्राप्तियों के लिए यह कहा गया कि एमएच 0202 के तहत तीन अलग-अलग लघु शीर्ष हैं और सभी डीडीओ को एमएच 0202 के तहत लघु शीर्ष में प्राप्तियाँ दर्ज करने का निर्देश दिया गया है।

इसके अलावा, सीजीए कार्यालय ने कहा कि निर्देश अक्टूबर 2021 में जारी किए गए थे जिसमें सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया गया था कि वे सरकार की विशिष्ट

गतिविधि या सरकार के राजस्व की विशिष्ट श्रेणी से संबंधित सभी उप-शीर्षो/विस्तृत शीर्षो को लघु शीर्ष-800, नए विशिष्ट शीर्ष के तहत संचालित करें।

3.9 आरबीआई और यूजीएफए के नकद शेष के बीच संचयी अंतर

विवरण 13 की संवीक्षा से ₹1,040.77 करोड़¹⁰ (क्रेडिट) - सिविल मंत्रालय ₹387.13 करोड़ (क्रेडिट), केन्द्र शासित प्रदेश ₹265.07 करोड़ (क्रेडिट), और गैर-सिविल मंत्रालय ₹388.57 करोड़ (क्रेडिट) के नकद शेष के बीच रिजर्व बैंक जमा और संघ सरकार के वित्त लेखे का निवल संचयी अंतर सामने आया। ₹1,040.77 करोड़ (क्रेडिट) का निवल संचयी अंतर ₹3,723.43 करोड़ के क्रेडिट शेष और ₹2,682.66 करोड़ के डेबिट शेष के नेटिंग होने के कारण था। इस प्रकार, वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंत में आरबीआई के साथ कुल नकद शेष ₹6,406.09 करोड़ था। इसके अलावा, गैर-सिविल मंत्रालयों के संबंध में ₹388.57 करोड़ (क्रेडिट) के निवल संचयी अंतर में दूरसंचार के प्रति ₹45.72 करोड़ का डेबिट शेष शामिल है, जो सिविल मंत्रालयों के अंतर्गत आता है और इसे ठीक करने की आवश्यकता है।

जवाब में (मई 2023), सीजीए कार्यालय ने कहा कि आरबीआई (सीएएस), नागपुर ने सिविल मंत्रालयों/विभाग के तहत दूरसंचार विभाग (डीओटी) के आंकड़े प्रदान नहीं किए, इसलिए, इसे सिविल मंत्रालयों के विभाग के अंतर में शामिल नहीं किया गया है। उत्तर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए स्वीकार्य नहीं है कि सिविल मंत्रालयों के तहत दूरसंचार विभाग के लिए अलग से 'अनुदान की मांग' है।

इसके अलावा, विवरण 13 और आरबीआई (केंद्रीय लेखांकन अनुभाग), नागपुर के बीच अंत शेष में अंतर के संदर्भ में नमूना जांचित मंत्रालयों/विभागों में नकदी शेष की विस्तृत संवीक्षा से जो पता चला है उसे तालिका 3.13 में दिखाया गया है।

तालिका 3.13: आरबीआई और यूजीएफए के नकद शेष के बीच अंतर दिखाने वाला विवरण

क्रम संख्या	मंत्रालय/विभाग	अंतर राशि (₹ करोड़ में)	मंत्रालय/विभाग का उत्तर
1.	सीबीडीटी (वित्तीय वर्ष 2003-04 से वित्तीय वर्ष 2021-22 की अवधि के संबंध में)	₹865.83 (डेबिट) ₹755.89 (क्रेडिट)	शुद्ध अंतर ₹109.94 करोड़ (डेबिट) है, जबकि, सीजीए कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी ₹167.19 करोड़ (डेबिट) का शुद्ध अंतर दिखाती है।

¹⁰ आरबीआई (सीएएस), नागपुर (₹3,451.31 करोड़) और यूजीएफए (₹2,410.54 करोड़) के अनुसार क्रेडिट शेष।

संघ सरकार के वित्त वर्ष 2021-22 के लेखों पर
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

क्रम संख्या	मंत्रालय/विभाग	अंतर राशि (₹ करोड़ में)	मंत्रालय/विभाग का उत्तर
2.	सीबीआईसी	₹(-)423.55 (डेबिट) ₹(-)452.85 (क्रेडिट)	निवस अंतर ₹(-) 29.30 करोड़ (क्रेडिट) आता है, जबकि सीजीए कार्यालय द्वारा प्रस्तुत सूचना ₹244.59 करोड़ (डेबिट) का निवल अंतर दर्शाती है।
3.	ऊर्जा मंत्रालय	₹89.47 (क्रेडिट)	लेखापरीक्षा ने ₹1,321.38 करोड़ का अंतर दिखाया इसमें से ₹623.16 करोड़ को जर्नल प्रविष्टि के माध्यम से समायोजित किया गया था और ₹608.75 करोड़ का मिलान प्रधान लेखा कार्यालय द्वारा दिसंबर 2022 में किया गया था। शेष राशि ₹89.47 करोड़ समाधान के लिए लंबित है।
4.	एमईआईटीवाई	₹58.78 (क्रेडिट)	मंत्रालय ने कहा कि ₹58.50 करोड़ का अंतर वर्ष 2018-19 से संबंधित है जो एनटीआरपी ¹¹ के लेन-देन के कारण था जिसे कुछ तकनीकी त्रुटि के कारण पीएओ-खाते में जमा नहीं किया गया था। इस कार्यालय ने इसके लिए सीजीए के एनटीआरपी प्रभाग से संपर्क किया था।
5.	दूरसंचार विभाग	₹7.43 (डेबिट)	सीजीए कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, शुद्ध अंतर की राशि ₹45.72 करोड़ (डेबिट) थी।

सीबीडीटी, सीबीआईसी और डीओटी ने अपने जवाब (मई 2023) में कहा है कि आंकड़ों में अंतर इस कारण से था कि सीजीए कार्यालय के आंकड़े संचयी थे और उनके खातों में आंकड़े वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए थे।

उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि वित्तीय वर्ष के अंत में अंत शेष के आंकड़े सीजीए कार्यालय के संचयी आंकड़ों से मेल खाने चाहिए।

¹¹ एनटीआरपी - नॉन टैक्स रिसीप्ट पोर्टल

4
अध्याय

बजटीय प्रबंधन

4.1 विनियोग लेखों का अवलोकन

संसद द्वारा अधिनियमित विनियोग अधिनियम सरकार को संविधान के अनुच्छेद 114 के संदर्भ में विभिन्न अनुदानों के तहत पहचान की गई गतिविधियों और कार्यों के लिए भारत की संचित निधि (सीएफआई) से निर्दिष्ट रकम निकालने और सीएफआई पर लगाए गए संवितरण के लिए अधिकृत करता है। संसद संविधान के अनुच्छेद 115 के संदर्भ में बाद के विनियोग अधिनियमों द्वारा पूरक या अतिरिक्त अनुदानों को मंजूरी देती है।


विनियोग उन मांगों के प्रति किया जाता है जो पूरी तरह से सीएफआई को 'आरोपित' हैं। अनुदान उन मांगों के प्रति दिया जाता है जो या तो पूरी तरह से 'दत्तमत' या आंशिक रूप से 'दत्तमत' और आंशिक रूप से 'प्रभारी' हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 में छह विनियोग और 95 अनुदान थे।

संसद द्वारा प्राधिकरण सामान्य वित्तीय नियमों (जीएफआर) और बजट प्रभाग, वित्त मंत्रालय (एमओएफ) द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार मंत्रालयों और विभागों द्वारा तैयार किए गए बजट अनुमानों (बीई) पर आधारित हैं। इन निर्देशों में परिकल्पना की गई है कि सभी व्यय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बीई को वास्तविक रूप से तैयार किया जाता है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि अव्ययित शेष राशि से बचा जाए। बजट दस्तावेजों में शामिल करने से पहले वित्त मंत्रालय द्वारा बीई की और संवीक्षा की जाती है।

4.1.1 प्रावधानों और व्यय का विवरण

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए विनियोग लेखों में कुल ₹1,24,36,008.61 करोड़ के स्वीकृत प्रावधान शामिल हैं और कुल व्यय ₹1,16,71,287.91 करोड़ है।

तालिका 4.1: व्यय का ब्यौरा



तालिका 4.1 वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान मंत्रालयों/विभागों-सिविल, रेलवे, रक्षा और डाक में व्यय का ब्यौरा दिखाता है, जबकि खंड¹²- वार विवरण अनुलग्नक 4.1 में दिये गये हैं। सिविल मंत्रालयों द्वारा कुल सकल व्यय का बड़ा हिस्सा अर्थात् 91.58 प्रतिशत वहन किया गया।

तालिका 4.2: प्रावधान, संवितरण और बचत¹³

(₹ करोड़ में)

विनियोग लेखे (अनुदानों की संख्या)	मूल प्रावधान	प्रावधान	कुल प्रावधान	संवितरण	बचत (-) (प्रतिशत में)
सिविल (97)	1,07,33,048.82	6,86,735.71	1,14,19,784.53	1,06,88,281.78	-7,31,502.75 (6.41%)
रेलवे (1)	5,81,381.61	22,024.95	6,03,406.56	5,76,288.46	-27,118.10 (4.49%)
रक्षा (2)	3,67,107.65	10,536.60	3,77,644.25	3,74,908.06	-2,736.19 (0.72%)
डाक (1)	35,173.27	0.00	35,173.27	31,809.61	-3,363.66 (9.56%)
कुल (101)	1,17,16,711.35	7,19,297.26	1,24,36,008.61	1,16,71,287.91	-7,64,720.70 (6.15%)

¹² प्रत्येक अनुदान/विनियोग के चार खंड हो सकते हैं - राजस्व (प्रभारित), राजस्व (दत्तमत), पूंजीगत (प्रभारित) और पूंजीगत (दत्तमत)।

¹³ विनियोग लेखे में, पूरक अनुदानों या विनियोगों और उनके विरुद्ध व्यय सहित संसद द्वारा स्वीकृत राशियों के संदर्भ में भिन्नताओं की व्याख्या की जाती है। नकारात्मक विविधताओं को 'बचत' और सकारात्मक विविधताओं को 'अतिरिक्त' कहा जाता है।

इस प्रकार, ₹1,24,36,008.61 करोड़ के कुल प्रावधान के प्रति, ₹1,16,71,287.91 करोड़ का व्यय किया गया, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹7,64,720.70 करोड़ (6.15 प्रतिशत) का अव्ययित प्रावधान हुआ।

इसके अलावा, रेल मंत्रालय ने अनुदान स्तर पर अधिक व्यय की प्रत्याशा में ₹22,024.95 करोड़ का पूरक अनुदान प्राप्त किया था। हालांकि, अंतिम खर्च ₹5,76,288.46 करोड़ मूल प्रावधान ₹5,81,381.61 करोड़ से भी कम था।

4.1.2 प्रभारित और दत्तमत संवितरण

संविधान के अनुच्छेद 112(2) के अनुसार प्रभारित और दत्तमत व्यय के बीच अंतर किया जाता है। प्रभारित व्यय को संविधान के अनुच्छेद 112(3), 273, 275(1) और 293(2) में परिभाषित किया गया है। प्रभारित किए गए व्यय के अनुमान संविधान के अनुच्छेद 113(1) के अनुसार संसद के वोट के अधीन नहीं हैं, लेकिन संसद में चर्चा की जा सकती है।

कुल मिलाकर, प्रभारित व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 में सीएफआई से कुल संवितरण का 66.07 प्रतिशत था, जैसा कि तालिका 4.3 में दर्शाया गया है।

तालिका 4.3: प्रभारित और दत्तमत संवितरण


(₹ करोड़ में)

विनियोग	कुल प्रावधान	संवितरण	बचत
प्रभारित			
सिविल	80,65,685.04	77,09,809.19	3,55,875.85
रेलवे	1,167.50	1,037.16	130.34
रक्षा	269.75	180.87	88.88
डाक	0.80	0.27	0.53
लघु योग	80,67,123.09 (64.87%)	77,11,027.49 (66.07%)	3,56,095.60 (46.57%)
दत्तमत			
सिविल	33,54,099.49	29,78,472.59	3,75,626.90
रेलवे	6,02,239.06	5,75,251.30	26,987.76
रक्षा	3,77,374.50	3,74,727.19	2,647.31
डाक	35,172.47	31,809.34	3,363.13
लघु योग	43,68,885.52 (35.13%)	39,60,260.42 (33.93%)	4,08,625.10 (53.43%)
कुल	1,24,36,008.61	1,16,71,287.91	7,64,720.70

वित्तीय वर्ष 2021-22 में, सिविल मंत्रालयों/विभागों के संबंध में, प्रमुख प्रभारित संवितरण में दो विनियोग शामिल थे अर्थात् ऋण की पुनर्दायगी (₹66,45,468.40 करोड़ कुल सिविल संवितरण का 62.18 प्रतिशत) और ब्याज अदायगियां

(₹8,28,259.85 करोड़ कुल सिविल संवितरण का 7.75 प्रतिशत है), और अनुदान-राज्यों को अंतरण।

तालिका 4.4: सिविल मंत्रालयों/विभागों में प्रभारित और दत्तमत संवितरण



तालिका 4.4 से देखा गया है, यद्यपि वित्तीय वर्ष 2017-18 से वित्तीय वर्ष 2019-20 तक स्थिर वृद्धि दिखाने के बाद प्रभारित व्यय में वित्तीय वर्ष 2020-21 में मामूली कमी आई थी, लेकिन वित्तीय वर्ष 2021-22 में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई, दत्तमत व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 से लगातार बढ़ा है।

इस अध्याय के बाद के पैराग्राफों में विनियोग लेखों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां निहित हैं। संसद द्वारा नियमितीकरण की आवश्यकता वाले अधिक व्यय से संबंधित महत्वपूर्ण टिप्पणियां; महत्वपूर्ण बचत; अनावश्यक पुनर्विनियोग; आवश्यकता के बिना प्राप्त अनुपूरक प्रावधान; विलंबित अभ्यर्पण और निधियों का गैर-अभ्यर्पण; धन के पर्याप्त प्रावधान के बिना किए गए व्यय; और व्यय का गलत वर्गीकरण।

4.2 प्राधिकरण से विभिन्नता

संविधान का अनुच्छेद 114(3) में निहित है कि कानून द्वारा किए गए विनियोग के अलावा सीएफआई से कोई पैसा नहीं निकाला जाएगा। इसके अलावा, सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 के नियम 57(3) में कहा गया है कि आकस्मिक निधि से अनुपूरक अनुदान या अग्रिम प्राप्त करने के अलावा, कोई भी व्यय, जिसके कारण कुल अनुदान या विनियोग के तहत निर्धारित राशि से अधिक व्यय हो, ऐसा व्यय नहीं किया जाएगा। अधिक व्यय, यदि कोई हो तो इसे संविधान के अनुच्छेद 115(1)(ख) के तहत संसद द्वारा नियमित किया जाना आवश्यक है।

लोक लेखा समिति (पीएसी) (10^{वीं} लोकसभा 1993-94) ने अपनी 60^{वीं} रिपोर्ट में पाया कि ₹100 करोड़ या उससे अधिक की बचत दोषपूर्ण बजट के साथ-साथ अनुदान या विनियोग में बजट निष्पादन में कमी का संकेत है। अपनी 16^{वीं} रिपोर्ट में पीएसी (13^{वीं} लोकसभा 2000-2001) ने पुनः ध्यान दिया कि इस तरह की बचत बजट के अविवेकपूर्ण निर्माण का परिणाम है और माना कि यथार्थवादी बजटीय अनुमान बनाकर इन्हें काफी कम किया जा सकता था। नतीजतन, वित्त मंत्रालय ने¹⁴ मंत्रालयों/विभागों को योजनाओं को अधिक सावधानीपूर्वक तैयार करने और धन की आवश्यकता का वास्तविक मूल्यांकन करने की सलाह दी।

उपरोक्त के बावजूद, उल्लेखनीय बचत और बजटीय प्रावधानों से अधिक के मामले हर वर्ष देखे जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए इस तरह की विभिन्नताओं की चर्चा बाद के पैराग्राफ में की गई है।

4.2.1 अनुदानों/विनियोगों से अधिक व्यय

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान तीन अनुदानों ने संसदीय प्राधिकरण पर ₹1,235.98 करोड़ का अधिक व्यय दर्शाया।

तालिका 4.5: अनुदानों/विनियोगों से अधिक व्यय

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान का विवरण	कुल प्रावधान	कुल व्यय	अधिक व्यय
1.	39- पेंशन (राजस्व दत्तमत)	63,605.12	64,347.69	742.57 (₹7,42,56,55,188)
व्यय विभाग ने सूचित किया कि आधिक्य मुख्य रूप से खर्च करने वाली इकाइयों की बहुलता के कारण थी और उन कारकों और परिस्थितियों के कारण थी जो प्रत्याशित नहीं थे और विभाग के नियंत्रण से बाहर थे।				
2.	6 - उर्वरक विभाग (राजस्व दत्तमत)	1,57,291.93	1,57,785.31	493.38 (₹4,93,37,93,293)
उर्वरक विभाग ने बताया कि आयातित यूरिया की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में तेजी से वृद्धि और यूरिया निर्माण इकाइयों के प्रचालन को बनाए रखने के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता के कारण आधिक्य था।				
3.	18 - रक्षा मंत्रालय (सिविल) (राजस्व प्रभारित)	2.22	2.25	0.03 (₹3,16,544)
रक्षा मंत्रालय ने सूचित किया कि अधिक संख्या में अदालती मामलों को अंतिम रूप दिए जाने के कारण यह आधिक्य था।				
कुल				1,235.98

¹⁴ वित्त मंत्रालय ने 20 जुलाई 2001 को परामर्श जारी किया और 22 जुलाई 2015 को इसे दोहराया।

संविधान के अनुच्छेद(1)115 ख के तहत अनुदान/विनियोग से अधिक राशि को नियमित करने की आवश्यकता है।

4.2.2 बचत-खंडवार विश्लेषण

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, सभी अनुदानों/विनियोगों के तहत कुल बचत ₹7,64,720.70 करोड़ थी और कुल प्राधिकरण का 6.15 प्रतिशत थी। 70 अनुदानों/विनियोगों के 94 खंडों में ₹100 करोड़ या उससे अधिक की बचत हुई जिसकी कुल राशि ₹7,63,304.62 करोड़ थी। विवरण **अनुलग्नक 4.2** में दिया गया है।

लेखापरीक्षा ने महत्वपूर्ण बचत वाले अनुदानों/विनियोगों की जांच की और उनके विश्लेषण पर अनुवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

4.2.2.1 अनुदान/विनियोग स्तर पर महत्वपूर्ण बचत

लेखापरीक्षा ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 16 अनुदानों/विनियोगों में अनुदान/विनियोग स्तर पर ₹5,000 करोड़ या उससे अधिक की बचत देखी जैसा **तालिका 4.6** में दिखाया गया है।

तालिका 4.6: अनुदान स्तर पर महत्वपूर्ण बचत

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	कुल अनुदान/विनियोग	व्यय	बचत ¹⁵
1.	38-ऋण की पुनर्आदायगी	69,44,151.48	66,45,468.40	2,98,683.08
2.	40-राज्यों को अंतरण	5,22,122.01	4,60,574.93	61,547.08
3.	29-आर्थिक कार्य विभाग	10,32,61.10	47,734.07	55,527.03
4.	15-खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	3,54,879.58	3,04,361.33	50,518.25
5.	44-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	1,36,090.84	96,264.66	39,826.18
6.	13- दूरसंचार विभाग	72,937.02	43,169.58	29,767.44
7.	25-उच्चतर शिक्षा विभाग	65,350.74	37,582.39	27,768.35
8.	84-रेल मंत्रालय	6,03,406.56	5,76,288.46	27,118.10
9.	24-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	1,03,673.71	81,611.54	22,062.17
10.	37-ब्याज अदायगियां	8,47,195.79	8,28,259.85	18,935.94
11.	62-पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	1,28,024.46	1,09,478.53	18,545.93
12.	35- अप्रत्यक्ष कर	74,907.93	57,592.53	17,315.40

¹⁵ ये उसी अनुदान के अंतर्गत आधिक्य का योग हैं।

संघ सरकार के वित्त वर्ष 2021-22 के लेखों पर
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	कुल अनुदान/विनियोग	व्यय	बचत ¹⁵
13.	31- वित्तीय सेवा विभाग	87,202.70	75,393.90	11,808.80
14.	75-पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	16,643.80	5,753.64	10,890.16
15.	85-सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	2,48,917.83	2,38,104.43	10,813.40
16.	1- कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग	1,23,017.62	1,14,840.43	8,177.19
कुल		1,03,28,522.07	97,22,478.67	7,09,304.50

वित्तीय 2021-22 में ₹5,000 करोड़ या उससे अधिक की बचत वाले उपरोक्त 16 अनुदानों/विनियोगों में से 9 अनुदानों/विनियोगों में वित्तीय वर्ष 2019-20 और वित्तीय वर्ष 2020-21 में भी लगातार बचत हुई, जैसा कि तालिका 4.7 में दिखाया गया है।

तालिका 4.7: वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान
₹5,000 करोड़ या उससे अधिक की लगातार बचत

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान/विनियोग	बचत की राशि		
		वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2019-20
1.	ऋण की पुनर्अदायगी	2,98,683.08	7,06,286.23	19,840.23
2.	राज्यों को अंतरण	61,547.08	45,421.12	6,718.00
3.	आर्थिक कार्य विभाग	55,527.03	33,975.03	12,378.93
4.	उच्चतर शिक्षा विभाग	27,768.35	25,097.96	17,242.27
5.	रेल मंत्रालय	27,118.10	1,05,325.15	56,744.21
6.	स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग	22,062.17	22,026.82	15,076.99
7.	ब्याज अदायगियां	18,935.94	12,217.96	18,098.59
8.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	10,813.40	6,754.97	14,455.31
9.	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग	8,177.19	25,985.30	35,973.85

सी ए जी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में नियमित रूप से इंगित किए जाने के बावजूद लगातार बचत और पीएसी के निर्देश को ध्यान में रखते हुए यथार्थवादी बजट पर एमओएफ द्वारा जारी की गई सलाह, बजट तैयार करने में उचित सावधानी की कमी और/या बजट निष्पादन में कमी दर्शाती है।

4.2.2.2 लघु-शीर्ष/उप-शीर्ष स्तर पर अन्य महत्वपूर्ण बचतें

97 सिविल अनुदानों/विनियोगों की संवीक्षा से 62 अनुदानों/विनियोगों में महत्वपूर्ण बचत के 269 मामलों¹⁶ का पता चला, अर्थात् लघु शीर्ष/उपशीर्ष स्तर पर ₹500 करोड़ या उससे अधिक की बचत और न्यूनतम ₹100 करोड़ होने पर, आवंटन के 25 प्रतिशत से अधिक की बचत। विवरण क्रमशः **अनुलग्नक 4.3(क) और 4.3(ख)** में हैं।

4.2.2.3 बचत के कारणों का विश्लेषण

उप-शीर्ष स्तर पर बचत के उपरोक्त 269 मामलों के लिए मंत्रालयों/विभागों द्वारा बताये गए कारणों की लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला है कि 45 मामलों में कोविड-19 महामारी सबसे अधिक उद्धृत कारक था।

लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि मंत्रालयों/विभागों ने बड़ी संख्या में मामलों में सामान्य कारण दिए थे जैसे प्रस्तावों की गैर/कम प्राप्ति, मांग की गैर/कम प्राप्ति, गैर/कम दावों की प्राप्ति आदि, इस प्रकार लेखे के उपयोगकर्ता के लिये यह अधिक उपयोगी नहीं रहा। यह सिविल लेखा नियमावली के पैरा 11.5.2 के उल्लंघन में था जो निर्धारित करता है कि विविधताओं के लिये कारण संक्षिप्त, स्पष्ट और विश्लेषणात्मक होने चाहिए, जिनका उनके महत्व के अनुसार उल्लेख किया जाना चाहिए। सामान्य कारणों जैसे 'अधिक अनुमान के कारण', 'वास्तविक व्यय के आधार पर', 'कम (या अधिक) व्यय के कारण', 'कम(या अधिक) मांगों के कारण' आदि से बचा जाना चाहिए और मंत्रालय/विभाग से सही और विशिष्ट कारणों को स्पष्ट करने के लिए अनुरोध किया जाएगा।

इसके अलावा, पैराग्राफ 4.2.2.1 और 4.2.2.2 में चर्चित बचत के मामलों को बचत के व्यापक कारणों के आधार पर **तालिका 4.8** में वर्गीकृत किया गया है।

तालिका 4.8: बचत का वर्गीकरण

वर्ग	राशि (₹ करोड़ में)	टिप्पणियां
अधिशेष निधि की उपलब्धता	13,04,000.00	इससे सरकार के लेखे में अधिशेष नकदी की उपलब्धता के कारण अग्रिमों, बिलों, सब्सिडी, उपकरणों आदि का गैर उपयोग जैसे कारण शामिल हैं।
योजनाओं और गतिविधियों में निष्पादन में अंतराल और कमी को दर्शाने वाले कारण	1,57,966.69	इसमें कम धन की आवश्यकता, प्रस्तावों / दावों / बिलों / मांग/ उपयोगिता प्रमाणपत्रों की गैर/कम प्राप्ति, करार का गैर निष्पादन; आरई चरण पर प्रावधान में कमी आदि जैसे कारण शामिल हैं।

¹⁶ एनईआर से संबंधित प्रमुख शीर्ष 2552 और 4552 के तहत बचत को बाहर रखा गया है क्योंकि वे गैर-कार्यात्मक शीर्ष हैं।

वर्ग	राशि (₹ करोड़ में)	टिप्पणियां
व्यय के नियमन के कारण	1,04,190.30	इस श्रेणी में सुख्य रूप से केंद्रीकृत प्रावधान के बजाय पूरक अनुदान के माध्यम से व्यय के कारण ₹44,714.64 करोड़, ₹59,475.66 करोड़ जारी करने/निवेश/स्विच लेनदेन आदि की कम मात्रा के कारण शामिल है।
कोविड 19-के कारण	84,822.51	इसमें कोविड -19 के कारण बचत शामिल है।
आरक्षित निधियों में निधियों का अहस्तांतरण	23,874.85	इसमें पूरे प्रावधान का प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि (पीएमएसएसएन), माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष (एमयूसके) में गैर हस्तांतरण और लेखांकन प्रक्रियाओं को अंतिम रूप न देने जैसे कारण शामिल हैं। यह अनुशंसा की जाती है कि अनुच्छेद 114(3) के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उपकर/शुल्क लगाने से पहले लेखांकन प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाए, जब विशिष्ट आरक्षित निधि नहीं बनाई जाती है, तो ऐसी निधियों के लिए अर्जित प्राप्तियों का उपयोग सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) के रूप में किया जाता है जोकि संसदीय प्राधिकरणों का उल्लंघन में है।

4.3 अनावश्यक पूरक प्रावधान

संविधान का अनुच्छेद 115(1) निर्धारित करता है कि भुगतान किए जाने से पहले पूरक अनुदान या विनियोग प्राप्त करना आवश्यक है जब धन की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए अनुदान/विनियोग के एक खंड के भीतर बचत उपलब्ध नहीं है या यदि व्यय है 'नई सेवा'¹⁷ या 'सेवा के नए साधन'¹⁸ किया जाना है

उन मामलों की जांच जहां मूल प्रावधानों के अतिरिक्त ₹10 करोड़ या उससे अधिक का पूरक प्रावधान किया गया था, ने दिखाया कि 22 अनुदानों के तहत 40 लघु/उप-शीर्षों में ₹14,154.79 करोड़ की राशि के पूरक प्रावधान वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान उच्च व्यय की प्रत्याशा में प्राप्त किए गए थे। लेकिन ₹1,19,767.53 करोड़ का अंतिम व्यय ₹1,24,497.14 करोड़ के मूल प्रावधान से कम था। इस तरह के अनावश्यक प्रावधान बजट निर्माण की अपर्याप्तता को दर्शाता है। अनावश्यक पूरक प्रावधानों के मामलों का विवरण **अनुलग्नक 4.4** में दिया गया है।

¹⁷ एक नई नीति के निर्णय से उत्पन्न होने वाली निश्चित सीमा से अधिक व्यय को संदर्भित करता है, जिसे पहले संसद के ध्यान में नहीं लाया गया था, जिसमें एक नई गतिविधि या निवेश का एक नया रूप शामिल है।

¹⁸ मौजूदा गतिविधि के एक महत्वपूर्ण विस्तार से उत्पन्न एक निश्चित सीमा से अधिक बड़ा व्यय।

4.4 लघु/उप-शीर्षों से/को अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग

पीएसी ने अपनी 83^{वीं} रिपोर्ट (15^{वीं} लोकसभा, 2012-13) में कहा कि निधियों का पुनर्विनियोग केवल तभी किया जा सकता है जब यह सकारात्मक रूप से ज्ञात हो या वास्तव में यह अनुमान हो कि जिस इकाई से निधियों को हस्थानांतरित करने का प्रस्ताव है, उसके लिए विनियोग का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जायेगा या उचित निश्चितता है कि विनियोग की इकाई में बचत की जा सकती है।

₹10 करोड़ से अधिक के पुनर्विनियोग की संवीक्षा से पता चला कि 13 अनुदानों/विनियोगों के 25 मामलों में कुल ₹2,772.07 करोड़ के पुनर्विनियोग अविवेकपूर्ण थे क्योंकि लघु/उप-शीर्षों के अंतर्गत संस्वीकृत प्रावधान जिसमें पुनर्विनियोग के माध्यम से की गई वृद्धि पर्याप्त थी और इन लघु/उप-शीर्षों में पुनर्विनियोग की आवश्यकता नहीं थी। इस तरह के अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग के परिणामस्वरूप, शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचतें इन शीर्षों में पुनर्विनियोग की राशि से अधिक या उसके बराबर थी। विवरण **अनुलग्नक 4.5क** में दिया गया है।

इसी तरह, 2 अनुदानों के 2 मामलों में, कुल ₹1,033.71 करोड़ का पुनर्विनियोग अविवेकपूर्ण तरीके से इन लघु/उप-शीर्षों से अन्य शीर्षों में किया गया था और इसके परिणामस्वरूप इन लघु/उप-शीर्षों में ₹16,728.82 करोड़ का परिहार्य अधिक व्यय हुआ। विवरण **अनुलग्नक 4.5ख** में दिया गया है।

4.5 धन के पर्याप्त प्रावधान के बिना किया गया व्यय

जीएफआर, 2017 के नियम 61 के अनुसार, लेखा अधिकारी मुख्य लेखांकन प्राधिकारी के विशिष्ट अनुमोदन के बिना बजट प्रावधानों के आधिक्य में संस्वीकृति के प्रति किसी भी भुगतान की अनुमति नहीं देंगे बल्कि एक, शीर्ष के तहत किसी भी आधिक्य को मंजूरी देने से पहले, वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखांकन प्राधिकारी अनुदान के लिए पुनर्विनियोग/अनुपूरक मांग के माध्यम से धन की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए शीर्ष-वार विनियोग लेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला है कि 10 अनुदानों/विनियोगों से संबंधित 30 लघु/उप-शीर्षों के अंतर्गत ₹25 करोड़ या उससे अधिक का अतिरिक्त व्यय जोकि कुल मिलाकर ₹9,392.12 करोड़ है इससे पुनर्विनियोग/अनुपूरक मांगों के माध्यम से निधियों का पर्याप्त प्रावधान को सुनिश्चित किए बिना किया गया। इस प्रकार, उपर्युक्त प्राधिकारियों ने जीएफआर का उल्लंघन किया। विवरण **अनुलग्नक 4.6** में दिया गया है।

4.6 वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन बचत का अभ्यर्पण और गैर-अभ्यर्पण

जीएफआर, 2017 का नियम 62(2) निर्धारित करता है कि बचत के साथ-साथ जिन प्रावधानों का लाभप्रद रूप से उपयोग नहीं किया जा सकता है, उन्हें वर्ष के अंत तक

प्रतीक्षा किए बिना तुरंत सरकार को सौंप दिया जाएगा। तदनुसार, एमओएफ ने¹⁹ विनियोग की प्रत्येक इकाई के तहत बचत के सभी अभ्यर्पणों को सूचित करने के लिए मंत्रालयों/विभागों के लिए 21 मार्च 2022 की समय सीमा निर्धारित की (मार्च 2022)। लेखापरीक्षा ने पाया कि सभी अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत ₹7,64,720.70 करोड़ की बचत में से 10.54 प्रतिशत (₹80,589.12 करोड़) बचत का अभ्यर्पण वर्ष के दौरान नहीं किया गया था और 52 अनुदानों/विनियोगों के तहत व्यपगत होने दिया गया था। इनमें से 52 अनुदानों/विनियोगों से संबंधित ₹5,52,569.24 करोड़ को या तो 31 मार्च 2022 को अभ्यर्पित कर दिया गया था या उन्हें व्यपगत होने दिया गया था। विवरण **अनुलग्नक 4.7** में दिया गया है। इस प्रकार, कुल बचत का लगभग 72 प्रतिशत या तो 31 मार्च 2022 को अभ्यर्पण किया या व्यपगत होने दिया गया।

वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन बचत और समर्पण करने में विफलता अपर्याप्त वित्तीय नियंत्रण को दर्शाती है। यह वित्तीय नियोजन पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है क्योंकि यह संसाधनों को गतिविधियों के लिए फिर से आवंटित होने से रोकता है जहाँ धन की आवश्यकता होती है।

4.7 प्रावधानों को बढ़ाने के लिए विधायी अनुमोदन प्राप्त करने में विफलता

एमओएफ ने निर्धारित किया²⁰ कि वस्तु शीर्ष (i) 'सहायता अनुदान' (ii) 'सब्सिडी' और (iii) 'प्रमुख कार्य' के पुनर्विनियोग के माध्यम से प्रावधान में वृद्धि नई सेवा/सेवा के नये साधन के लिए लागू समान सीमा को आकर्षित करेगी और यह केवल संसद के पूर्व अनुमोदन से ही किया जा सकता है। संघ सरकार के लेखाओं पर सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इन आदेशों के पालन में विफलता को बार-बार इंगित किया गया है।

इस संदर्भ में, पीएसी²¹ का विचार था कि एमओएफ को यह सुनिश्चित करने के लिए तंत्र स्थापित करना चाहिए कि उपरोक्त वस्तु शीर्ष के तहत निर्दिष्ट सीमा के बाद प्रावधानों को संसद के अनुमोदन के बिना बढ़ाया नहीं गया है। पिछले लेखापरीक्षा निष्कर्षों और पीएसी की सिफारिशों के बावजूद वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान वस्तु शीर्ष से संबंधित दो अनुदानों- 'सहायता अनुदान-सामान्य' और 'पूजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए अनुदान' के तहत निम्नलिखित तीन मामलों में कुल ₹245.75 करोड़ के कुल प्राधिकरण से अधिक व्यय संसद की पूर्व स्वीकृति के बिना था जैसा कि **तालिका 4.9** में वर्णित है।

¹⁹ वित्त मंत्रालय का ओएमएफएनओ, 2(13)-बी(डी)/2022 दिनांक 02 मार्च 2022

²⁰ आर्थिक मामलों के विभाग के आदेश (मई 2006) और उस पर स्पष्टीकरण (मई 2012 और जुलाई 2015)।

²¹ पीएसी 83वीं रिपोर्ट (2012-13), 15वीं लोकसभा।

तालिका 4.9: पूर्व अनुमोदन के बिना वस्तु शीर्षों के प्रावधान में वृद्धि

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	टीए	टीई	टीए से अधिक
अनुदान संख्या 07-औषधि विभाग (वस्तु शीर्ष 31-‘सहायता अनुदान-सामान्य’)				
1.	2852.05.206.02.15.31-राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान	130.91	136.34	5.43
<p>विभाग ने कहा (15 सितंबर 2022) कि संबंधित एमएच 2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) के तहत उपलब्ध बजट प्रावधान को सचिव (औषधि) के अनुमोदन से व्यय करने से पूर्व एमएच-2852 में पुनः विनियोग किया गया था।</p> <p>उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि संबंधित एनईआर शीर्ष के तहत स्वीकृत प्रावधान और एनईआर शीर्ष के तहत संसद से प्राप्त पूरक अनुदान पर विचार करने के बाद भी ₹5.43 करोड़ का व्यय अधिक था।</p>				
अनुदान संख्या 50-पुलिस (वस्तु शीर्ष 35-‘पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए अनुदान’)				
2.	2055.00.003.13.01.35-राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय को अनुदान	30.00	34.50	4.50
3.	2055.00.121.05.00.35-भूमि पत्तन प्राधिकरण को अनुदान	200.00	435.82	235.82
<p>गृह मंत्रालय ने अपने उत्तर (जुलाई 2022) में कहा कि सूचीबद्ध शीर्ष (2055.00.003.13.01.35 और 2055.00.121.05.00.35) टोकन प्रावधान के लिए दूसरे पूरक में शामिल हैं। यह भी कहा गया कि किसी भी मामले में व्यय बजट प्रावधान से अधिक नहीं था जैसा कि तालिका में दिखाया गया है।</p> <p>मंत्रालय का उत्तर तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है, क्योंकि उक्त लेखा शीर्षों के अंतर्गत कोई पूरक प्रावधान नहीं किया गया है और इन शीर्षों के अंतर्गत व्यय संस्वीकृत प्रावधान से अधिक है।</p>				
			कुल	245.75

* टीए = कुल प्राधिकरण (एनईआर प्रावधानों सहित), टीई= कुल व्यय

4.8 व्यय का गलत वर्गीकरण

संविधान का अनुच्छेद 112(2) निर्धारित करता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण राजस्व लेखे पर व्यय को अन्य व्यय से अलग करेगा। राजस्व लेखा और पूंजीगत लेखे पर व्यय को वर्गीकृत करने के सिद्धांतों का तदनुसार पालन किया जाना चाहिए।

जीएफआर, 2017 का नियम 78 निर्धारित करता है कि सरकारी लेखों में लेन-देन का वर्गीकरण सरकार के कार्यों, कार्यक्रमों और गतिविधियों और व्यय की वस्तु के निकट संदर्भ में होगा, न कि उस विभाग से जिसमें प्राप्ति या व्यय होता है। इसके अलावा, वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन नियम, 1978 (डीएफपीआर) के नियम 8 में लेनदेन की प्रकृति/प्रकार का वर्णन किया गया है जिसे विनियोग की प्रत्येक मानक प्राथमिक इकाई के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है।

लेनदेनों की नमूना जांच से निम्नलिखित का पता चला:

4.8.1 मुख्य शीर्षों के साथ वस्तु शीर्षों का गलत उपयोग

डीएफपीआर का नियम 8 वस्तु शीर्ष (51-56 और 60) को निर्दिष्ट करता है जो पूंजीगत परिसम्पत्ति और अन्य पूंजीगत व्यय के अधिग्रहण से संबंधित 'वस्तु वर्ग VI' श्रेणी के अंतर्गत आते हैं इसलिए, इन वस्तु शीर्षों का उपयोग केवल पूंजीगत प्रकृति के व्यय को वर्गीकृत करने के लिए किया जा सकता है और केवल पूंजीगत मुख्य शीर्षों के अनुरूप होता है। अन्य वस्तु वर्गों (कक्षा I से V) के अंतर्गत आने वाले वस्तु शीर्षों का उपयोग आम तौर पर राजस्व व्यय को वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है और आमतौर पर पूंजीगत मुख्य शीर्षों के अनुरूप नहीं होना चाहिए।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि तीन अनुदानों के ग्यारह मामलों में, कुल ₹53.06 करोड़ के व्यय को वर्ष 2021-22 के लिए वस्तु शीर्षों और पूंजीगत/राजस्व मुख्य शीर्षों के गलत संयोजन के तहत दर्ज किया गया था (अनुलग्नक 4.8)।

4.8.2 विनियोग की प्राथमिक इकाइयों के बीच गलत वर्गीकरण

लेखापरीक्षा नमूना-जांच से पता चला कि 16 मामलों में कुल ₹1,348.25 करोड़ की धनराशि को विनियोग की प्राथमिक इकाइयों के बीच गलत वर्गीकृत किया गया था। ₹25 करोड़ और उससे अधिक के गलत वर्गीकरण के मामलों में '35-पूंजीगत परिसंपत्ति के निर्माण के लिए अनुदान' को '31-सामान्य सहायता अनुदान' (₹37.39 करोड़ - वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग) के रूप में गलत वर्गीकरण; '33-सब्सिडी' को '31-सामान्य सहायता अनुदान' (₹499.00 करोड़- भारी उद्योग विभाग) के रूप में गलत वर्गीकरण; '34-छात्रवृत्ति/वजीफा' तथा '50-अन्य शुल्क' का '31-सामान्य सहायता अनुदान' (₹475.00 करोड़- वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग) के रूप में गलत वर्गीकरण; '34-छात्रवृत्ति/वजीफा' का '31-सामान्य सहायता अनुदान' (₹221.12 करोड़- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग) के रूप में गलत वर्गीकरण; '50-अन्य शुल्क' का '31-सामान्य सहायता अनुदान' (₹56.10 करोड़- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग) के रूप में गलत वर्गीकरण और '36-वेतन सहायता अनुदान' का '31-सामान्य सहायता अनुदान' (₹3.75 करोड़- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग) के रूप में गलत वर्गीकरण शामिल है (अनुलग्नक 4.9)।

4.8.3 अनुदान संख्या 94-अंतरिक्ष विभाग से संबंधित प्रासंगिक लघु शीर्ष का प्रचालन करने के कारण गलत वर्गीकरण

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के निर्देशों के अनुसार, विभागीय कैंटीनों से संबंधित विभिन्न व्ययों की बुकिंग राजस्व अनुभाग के तहत लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' के तहत एक नए उप-शीर्ष 'विभागीय कैंटीन' के तहत उपयुक्त वस्तु शीर्ष के तहत की

जानी है। यह लेखा के मुख्य शीर्ष के तहत किया जाना है, जिसमें संबंधित मंत्रालय/विभाग के राजस्व व्यय को सामान्य रूप से डेबिट किया जाता है और विस्तृत अनुदान मांगों में इसी प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है।

यह देखा गया कि अनुदान संख्या 94-अंतरिक्ष विभाग (डीओएस) के तहत तीन संभागों यथा (i)डीओएस का सचिवालय (शीर्ष '3451.00.090.18.00.20' के अंतर्गत ₹0.06 करोड़) (ii)यू.आर.राव उपग्रह केंद्र (शीर्ष '3402.00.101.74.00.20' और '3402.00.101.74.00.30' के अंतर्गत ₹6.31 करोड़) और (iii) भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मुख्यालय ('3402.00.101.64.00.20' और '3402.00.101.64.00.30' शीर्ष के अंतर्गत ₹1.22 करोड़) द्वारा विभागीय कैंटीनों के संचालन और रखरखाव के लिए ₹7.59 करोड़ का वर्ष 2021-22 के दौरान व्यय किया गया था। इन व्ययों को मौजूदा डीओपीटी निर्देशों के तहत आवश्यक '800-अन्य व्यय' के बजाय '101-अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी' और '090-सचिवालय सेवाएं' के लघु शीर्षों के तहत तब तक दर्ज किया गया था, जब तक कि एक नया उप शीर्ष 'विभागीय कैंटीन' नहीं खोला गया था।

इसी तरह की लेखापरीक्षा टिप्पणियां पहले सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में दिखाई गई हैं। बार-बार टिप्पणियों के बाद भी, डीओएस ने कैंटीन के खर्चों को लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अंतर्गत दर्ज नहीं किया।

अंतरिक्ष विभाग ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2022) कि सीजीए के कार्यालय ने अन्य प्रासंगिक लघु शीर्षों के लिए लघु शीर्ष, '800-अन्य व्यय' का उपयोग करने से रोकने के लिए निर्देश (मई 2012) जारी किए थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सीएजी के प्रतिवेदनों में बार-बार टिप्पणियों के बावजूद, 'विभागीय कैंटीन' का नया उप-शीर्ष नहीं खोला गया है। इसके अलावा, सीजीए का निर्देश लघु शीर्ष 800 के तहत बड़े पैमाने पर विविध बुकिंग को सीमित करना और उस पर नियंत्रण रखना था। डीओपीटी के निर्देश विभागीय कैंटीन के तहत व्यय पर बेहतर नियंत्रण रखने के लिये भी थे।

4.9 वित्तीय स्वीकृति के बिना परियोजना पर व्यय

डीएफपीआर के नियम 18 में प्रावधान है कि किसी योजना या परियोजना पर व्यय को सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय रूप से संस्वीकृत किया जाएगा। ऐसी योजनाओं या परियोजनाओं की लागत का अनुमान लगाया जाएगा और उप शीर्ष (विनियोग की कार्यात्मक प्राथमिक इकाई) के तहत परियोजना या योजना के लागत अनुमान के आधार पर निर्धारित सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय रूप से संस्वीकृत किया जाएगा। इसके अलावा, नियम 18 के तहत भारत सरकार का निर्णय 3 स्पष्ट करता है कि परियोजना/योजना के घटक जो पारस्परिक रूप से स्वतंत्र हैं, उन्हें एक अलग 'उप शीर्ष' के तहत एक अलग योजना के रूप में माना जाना चाहिए।

वर्ष 2021-22 की अनुदान संख्या 94-अंतरिक्ष विभाग की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि परियोजना 'क्षमता निर्माण कार्यक्रम' पर ₹4.15 करोड़ का व्यय अनियमित रूप से किया गया था क्योंकि परियोजना के लिये सक्षम प्राधिकारी की वित्तीय संस्वीकृति नहीं थी। वित्तीय वर्ष 2020-21 में भी इसी परियोजना पर ₹2.01 करोड़ का व्यय वित्तीय स्वीकृति प्राप्त किए बिना किया गया था और इसी तरह की टिप्पणी वर्ष 2020-21 के लिए सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में की गई थी। पिछली वित्तीय लेखापरीक्षा रिपोर्टों में इंगित किए जाने के बावजूद, उसी परियोजना पर वित्तीय वर्ष 2021-22 में भी डीएफपीआर के प्रावधान का उल्लंघन किया गया।

विभाग ने कहा (जुलाई 2022) कि परियोजना/योजना (उप-शीर्ष), 'क्षमता निर्माण कार्यक्रम' को अक्टूबर 2019 में अंतरिक्ष आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया था। इसके अतिरिक्त विभाग ने कहा (दिसंबर 2022) कि उपशीर्ष क्षमता निर्माण की पहल के लिए हिसाब रखता है और यह सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाता है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग ने न तो परियोजना/योजनाओं के लिए लागत अनुमान तैयार किया और न ही परियोजना 'क्षमता निर्माण कार्यक्रम' के लिए सक्षम प्राधिकारी की वित्तीय स्वीकृति जारी की।

4.10 सेवा के नए उपकरणों के लिए स्वीकृत धन से नई सेवा का प्रचालन

डीएफपीआर, 1978 के जीआईडी (1) सहित नियम 10(4) के अनुसार, निधि जोकि संसद द्वारा अनुमोदित नहीं हैं का किसी नई सेवा या सेवा के नए उपकरणों पर व्यय को पूरा करने के लिए विनियोग या पुनर्विनियोग नहीं किया जाएगा। नई सेवा पर और सेवा के नए उपकरणों को बढ़ाने के लिए संसद की पूर्व स्वीकृति प्राप्त की जानी है।

अंतरिक्ष विभाग (डीओएस) द्वारा ₹0.60 लाख की सांकेतिक पूरक मांग प्रस्तावित की गई थी और 'प्रौद्योगिकी प्रदर्शन अंतरिक्ष यान परियोजना' पर अतिरिक्त व्यय करने के लिए संसद (दिसंबर 2021) द्वारा पारित की गई थी। पूरक प्रावधान और किए गए व्यय का विवरण नीचे तालिका 4.10 में विस्तृत है।

तालिका 4.10: अनुपूरक प्रावधान और व्यय

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	सांकेतिक अनुपूरक प्रावधान	पुनर्विनियोग के माध्यम से वृद्धि	वास्तविक व्यय
1	3402.00.105.30.00.01- वेतन	0.0015	2.50	2.50
2	3402.00.105.30.00.13- कार्यालय व्यय	0.0015	0.10	0.10
3	3402.00.105.30.00.20- अन्य प्रशासनिक व्यय	0.0015	0.01	0.00
4	3402.00.105.30.00.27- लघु निर्माण कार्य	0.0015	0.14	0.14
	कुल	0.0060	2.75	2.74

हालाँकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि 'प्रौद्योगिकी प्रदर्शन अंतरिक्ष यान' एक नई सेवा थी, जिसके लिए संसद के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता थी ताकि नई सेवा के लिए व्यय को पूरा किया जा सके। लेकिन डीओएस द्वारा अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिये अर्थात् 'सेवा के नये उपकरण' की वृद्धि करने के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांग का प्रस्ताव रखा गया जो संसद द्वारा दिसंबर 2021 में पारित हुआ। इस प्रकार, सेवा के नये उपकरण के लिये संसद द्वारा अनुमोदित ₹2.74 करोड़ की धनराशि का उपयोग नई सेवा 'प्रौद्योगिकी प्रदर्शन अंतरिक्ष यान' पर गलत तरीके से किया गया।

लेखापरीक्षा बिंदु से सहमत होते हुए, डीओएस ने उत्तर दिया (अप्रैल 2022) कि अनुदान की दूसरी पूरक मांगों में 'सांकेतिक पूरक अनुदान' मांगते समय 'नई सेवा' के बजाय 'अतिरिक्त व्यय करने' का कारण बताया गया था। डीओएस ने भविष्य में अनुपालन के लिए लेखापरीक्षा अवलोकन को नोट किया (दिसंबर 2022)।

4.11 व्यय की बुकिंग न करना

वित्तीय वर्ष 2021-22 की जर्नल प्रविष्टियों से संबंधित फाइलों की संवीक्षा से पता चला कि कुछ नियंत्रकों के गैर-संकलित व्यय को जर्नल प्रविष्टि के माध्यम से बुक करने के प्रस्ताव को महानियंत्रक रक्षा लेखा (सीजीडीए) द्वारा यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया गया था कि कुछ राजस्व और पूंजीगत शीर्षों के तहत व्यय बजटीय सीमा से अधिक होने के कगार पर था और व्यय को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लेखों में दर्ज करने की सलाह दी गई। इस प्रकार, ₹16.67 करोड़ का व्यय जिसे सीजीडीए द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था, रक्षा मंत्रालय (एमओडी) के लेखों में अलेखित रहा जैसा कि तालिका 4.11 में वर्णित है।

तालिका 4.11: रक्षा मंत्रालय का अलेखित व्यय

क्रम संख्या	नियंत्रक	लघु शीर्ष	राशि (₹ करोड़ में)
1	सीडीए पटना	2076.00.107	4.12
2	पीसीडीए (डब्ल्यूसी) चंडीगढ़	2076.00.111	0.16
		2080.00.111	0.18
3	पीसीडीए (एनसी) जम्मू	2076.00.105	0.25
		2076.00.107	0.97
		2076.00.110	1.88
		2076.00.800	4.58
4	सीडीए (सेना) मेरठ	2076.00.104	2.79
		2076.00.107	0.11
		2076.00.110	0.64
		2076.00.113	0.01
		2076.00.800	0.98
कुल			16.67

वित्तीय वर्ष 2022-23 में अस्वीकृत व्यय को बुक करने की सीजीडीए की सलाह सरकारी लेखों की नकद लेखांकन प्रणाली के उल्लंघन में थी और उस सीमा तक रक्षा मंत्रालय के व्यय को कम करके बताया गया था।

रक्षा विनियोग लेखे में यह भी देखा गया था कि राजस्व अनुदान के दत्तमत भाग के तहत ₹1,714.00 करोड़ और पूंजीगत अनुदान के तहत ₹933.00 करोड़ की बचत हुई। जिन शीर्षों के तहत बचत हुई है, उन शीर्षों से समय पर पुनर्विनियोग वित्तीय वर्ष 2021-22 के लेखों में इस अलेखित व्यय की बुकिंग की सुविधा प्रदान कर सकता था। इसके कारण रक्षा मंत्रालय के राजस्व और पूंजीगत व्यय को क्रमशः कम करके बताया गया।

रक्षा मंत्रालय से उत्तर प्रतीक्षित था।

4.12 रेल मंत्रालय के तहत अस्वीकृत व्यय

भारतीय रेलवे द्वारा स्वीकृत अनुमानों से अधिक किए गए व्यय, विस्तृत अनुमानों के बिना किए गए व्यय और विविध अधिक भुगतान आदि को क्षेत्रीय रेलवे प्रशासन द्वारा आपत्ति पुस्तिकों में दर्ज किया जाता है और असंस्वीकृत व्यय के रूप में माना जाता है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, 1937 मामलों में शामिल ₹23,885.47 करोड़ का अस्वीकृत व्यय किया गया था, जबकि वित्तीय वर्ष 2020-21 में ₹8,127.97 करोड़ का अस्वीकृत व्यय जिसमें 2775 मामले शामिल थे, भारतीय रेलवे द्वारा किया गया था। वर्ष 2018-19 से 2020-21 की पिछली सीएजी लेखापरीक्षा रिपोर्टों में इसी तरह की लेखापरीक्षा टिप्पणियां की गई थी। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि पिछले सीएजी लेखापरीक्षा रिपोर्टों में इंगित किए जाने के बावजूद अस्वीकृत व्यय के मामलों को कम करने के लिए मंत्रालय द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट परिपत्र का पैरा 6.3 निर्धारित करता है कि एनईआर और सिक्किम के विकास के लिए परियोजनाओं/योजनाओं हेतु बजट प्रावधान संबंधित योजनाओं/परियोजनाओं के

4.13 पूर्वोत्तर क्षेत्र के अंतर्गत निधियों और व्यय का प्रावधान (एनईआर)

तहत राजस्व व्यय के लिए मुख्य शीर्ष '2552-एनईआर' के नीचे और मुख्य शीर्ष के तहत '4552-एनईआर पर पूंजीगत परिव्यय'/मुख्य शीर्ष '6552-एनईआर के लिए ऋण' व्यय के उपयुक्त कार्यात्मक शीर्षों के अंतिम पुनर्विनियोग के लिए पूंजीगत व्यय के लिए प्रदान किया जा सकता है। इसके अलावा, वित्त मंत्रालय के अनुसार (डीईए) के (जून 2001)निर्देश, संबंधित योजनाओं के लिए एनईआर के लिए एकमुश्त प्रावधान से निधि को फिर से विनियोग करने का अधिकार मंत्रालयों/विभागों के सचिवों को सौंपा

गया है, जो उनके वित्तीय सलाहकारों के साथ सहमति से इस अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।

इस अध्याय के बाद के पैराग्राफों में एनईआर के लिए शीर्षों के तहत निधियों और व्यय के प्रावधानों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां शामिल हैं।

4.13.1 कार्यात्मक शीर्षों से गैर-कार्यात्मक शीर्षों में निधियों का अनुचित पुनर्विनियोग

मत्स्य विभाग के संबंध में दिनांक 28 मार्च 2022 के पुनर्विनियोग आदेश की संवीक्षा से पता चला कि ₹19.00 करोड़ को विभिन्न शीर्षों से गैर-कार्यात्मक शीर्ष (एमएच 2552) में पुनर्विनियोग किया गया था। इसके अलावा, पशुपालन और डेयरी विभाग के संबंध में पुनर्विनियोग आदेश दिनांक 11 नवंबर 2021 की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि ₹7.00 करोड़ प्रमुख शीर्ष 3602 से गैर-कार्यात्मक शीर्ष (एमएच 2552) में पुनर्विनियोग किये गये थे। 2001 का डीओई परिपत्र केवल सचिवों को एमएच 2552 से एक कार्यात्मक मुख्य शीर्ष के लिए पुनः विनियोग करने के लिए अधिकृत करता है। कार्यात्मक शीर्षों से गैर-कार्यात्मक शीर्षों में निधियों का पुनर्विनियोग अनुचित है क्योंकि ऐसे पुनर्विनियोग का कोई प्रावधान नहीं है।

दोनों विभागों ने उत्तर दिया कि आरई स्तर पर विभाग का कुल बजट बढ़ गया था, इसके बाद एनईआर में अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के अनुसार, इस प्रयोजन के लिए अनुपूरक प्राप्त करने के बाद पुनर्विनियोग के माध्यम से एमएच 2552 में निधियां प्रदान की गई थी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभाग को एमएच 2552 के बजट को कार्यात्मक शीर्षों से गैर-कार्यात्मक शीर्षों में निधियों के पुनर्विनियोग के बजाय आरई स्तर पर बढ़ाना चाहिए था।

4.13.2 गैर-कार्यात्मक शीर्षों से कार्यात्मक शीर्षों में निधियों का गैर-अंतरण

वित्तीय वर्ष 2020-21 तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान उच्चतर शिक्षा विभाग में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए) योजना के तहत किए गए प्रावधानों की संवीक्षा से पता चला कि विभाग ने गैर-कार्यात्मक शीर्षों से कार्यात्मक शीर्षों के लिए धन का पुनर्विनियोग नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप प्रावधानों का उपयोग नहीं हुआ जैसाकि तालिका 4.12 में वर्णित है।

तालिका 4.12: कार्यात्मक मदों में निधियां अंतरित नहीं की गई

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	शीर्ष	बजट	अनुपयोग
2020-21	2552.00.131.09.01.31	26.30	26.30
	2552.00.131.09.01.35	3.75	3.75
	2552.00.789.90.01.31	5.80	5.80
	2552.00.796.93.01.31	2.90	2.90

वित्तीय वर्ष	शीर्ष	बजट	अनुपयोग
2021-22	2552.00.131.09.01.31	68.60	68.60
	2552.00.131.09.01.35	137.20	137.20
	2552.00.789.90.01.31	20.30	20.30
	2552.00.789.90.01.35	40.70	40.70
	2552.00.796.93.01.31	11.10	11.10
	2552.00.796.93.01.35	22.10	22.10

गैर-कार्यात्मक शीर्षों से कार्यात्मक शीर्षों में निधियों के गैर-अंतरण ने एनईआर और सिक्किम की अभिप्रेत योजनाओं के उद्देश्य को विफल कर दिया जिसके लिए धन आवंटित किया गया था।

विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था।

4.14 नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) द्वारा योजनाओं के कार्यान्वयन

नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) की स्थापना वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तथा अन्य बातों के साथ-साथ, एक सामान्य ट्रस्टी कंपनी के रूप में कार्य करने और विभिन्न क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंडों यथा कौशल विकास के लिए क्रेडिट गारंटी फंड (सीजीएफएसडी), शिक्षा ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी फंड (सीजीएफईएल), फैक्ट्रिंग के लिए क्रेडिट गारंटी फंड (सीजीएफएफ), माइक्रो यूनिट्स के लिए क्रेडिट गारंटी फंड (सीजीएफएमयू), स्टैंड अप इंडिया के लिए क्रेडिट गारंटी फंड (सीजीएफएसआई), आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस), कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए ऋण गारंटी योजना (एलजीएससीएस), एमएफआई के लिए क्रेडिट गारंटी योजना और कोविड प्रभावित पर्यटन सेवा क्षेत्र के लिए ऋण गारंटी योजना (एलजीएससीएटीएसएस) के प्रबंधन और संचालन के लिए की गई थी।

एनसीजीटीसी द्वारा योजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा से निम्नलिखित का पता चला:

(i) अनुदान सहायता के प्रति ब्याज या अन्य आय जमा न करना

जीएफआर 2017 के नियम 230(8) के अनुसार किसी गारंटी संस्था को अनुदान सहायता अथवा अग्रिम के प्रति जारी सभी ब्याज व अन्य आय को अंतिम रूप देने के तुरंत बाद भारत की समेकित निधि में अनिवार्य रूप से प्रेषित किया जाना चाहिए। ऐसे अग्रिमों को भावी निर्गमों के साथ समायोजित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

हालांकि, यह देखा गया था कि एनसीजीटीसी ने भारत की समेकित निधि में अन्य आय के साथ-साथ अनुदानों की अव्ययित शेष राशि पर अर्जित ₹1,698.44 करोड़ का

ब्याज व अन्य आय जमा नहीं किया। वित्तीय वर्ष 2021-22 के ब्याज या अन्य आय के विवरण तालिका 4.13 में दिए गए हैं।

तालिका 4.13: सहायता अनुदान के प्रति ब्याज या अन्य आय

क्रम संख्या	न्यास निधि	ब्याज और अन्य आय (करोड़ में)	टिप्पणी
1	सीजीएफएसडी	21.87	-
2	सीजीएफईएल	191.10	गारंटी शुल्क, दावा वसूली और आयकर प्रत्यर्पण सहित
3	सीजीएफएमयू	1,222.59	गारंटी शुल्क सहित
4	सीजीएफएसआई	128.51	गारंटी शुल्क, दावा वसूली और आयकर प्रत्यर्पण सहित
5	ईसीएलजीएस	134.37	-
कुल		1,698.44	

(ii) निधियों का अनुचित विमोचन

(क) स्टैंड अप इंडिया के लिए क्रेडिट गारंटी फंड (सीजीएफएसआई), ₹5,000 करोड़ के कॉर्पस (06.01.2016 को कैबिनेट द्वारा अनुमोदित) के साथ नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) के साथ स्थापित किया गया था। स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत विस्तारित ऋणों की गारंटी प्रदान करने के लिए एनसीजीटीसी को जारी की गई धनराशि तालिका 4.14 में दी गई है।

तालिका 4.14: स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत दिए गए ऋणों के लिए जारी की गई निधि

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	राशि जारी की (₹ करोड़ में)
1	2016-17	500.00
2	2017-18	500.00
3	2018-19	-
4	2019-20	-
5	2020-21	100.00
6	2021-22	100.00

लेखापरीक्षा ने पाया कि सीजीएफएसआई के तहत उपलब्ध निधि ₹1,280.00 करोड़ (दिसंबर 2020) और ₹1,451.98 करोड़ (अप्रैल 2021) थी और इन निधियों के उपयोग की प्रवृत्ति को देखते हुए, वित्तीय वर्ष 2020-21 (फरवरी 2021) और वित्तीय वर्ष 2021-22 (फरवरी 2022) प्रत्येक को ₹100.00 करोड़ की राशि जारी की जोकि अनावश्यक था।

(ख) एनसीजीटीसी ने वित्तीय वर्ष 2016-17 से वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान सीजीएफएमयू कॉर्पस के लिए ₹3,000.00 करोड़ प्राप्त किए (वित्तीय वर्ष 2016-17 में ₹2,000.00 करोड़, वित्तीय वर्ष 2017-18 में ₹500.00 करोड़, वित्तीय वर्ष 2018-19 में ₹500.00 करोड़)। लेकिन लेखापरीक्षा में पाया गया कि डीएफएस वित्तीय वर्ष 2019-20, वित्तीय वर्ष 2020-21 और वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट अनुमानों (बीई) में सीजीएफएमयू के कॉर्पस को बढ़ाने के लिए प्रावधान कर रहा था लेकिन प्रावधानों का 100% बाद में वित्तीय वर्ष 2019-20, वित्तीय वर्ष 2020-21 और वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंत में अभ्यर्पित कर दिया गया था, जैसा कि तालिका 4.15 में वर्णित है।

तालिका 4.15: सी जी एफ एम यू कॉर्पस को बढ़ाने के लिए बीई में प्रावधान किए गए लेकिन बाद में अभ्यर्पण कर दिया

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	बीई	बजट/अभ्यर्पण	बचत/अभ्यर्पण के कारण
2019-20	500.00	500.00	बचत इस तथ्य के कारण थी कि सीजीएफएमयू के कॉर्पस में वृद्धि के प्रस्ताव को वित्तीय वर्ष 2019-20 के भीतर यूके सिन्हा समिति की सिफारिशों की स्वीकृति लंबित होने के कारण अनुमोदित नहीं किया जा सका।
2020-21	500.00	500.00	बचत इस योजना के अंतर्गत निधि के गैर उपयोग के कारण थी क्योंकि ईएफसी की बैठक को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।
2021-22	2,500.00	2,500.00	वित्त सचिव और सचिव (व्यय) की अध्यक्षता में 11.10.2021 को हुई अपनी बैठक में ईएफसी ने कुछ शर्तों को पूरा करने के अधीन कॉर्पस निधि को ₹3,000.00 करोड़ से बढ़ाकर ₹10,000.00 करोड़ करने की सिफारिश की है। समय की कमी के कारण विभाग निधि का उपयोग नहीं कर सका।
कुल	3,500.00	3,500.00	

सतत बचत/अभ्यर्पण बजट निर्माण में उचित सावधानी की निरंतर कमी और/या बजट निष्पादन में कमी को दर्शाता है।

विभाग से उत्तर प्रतीक्षित (दिसंबर 2022) था।

4.15 वस्तु शीर्ष के तहत सतत बचत

बजट अनुमान आम तौर पर बीई, आरई और पिछले वर्ष/वर्षों में किए गए व्यय के आधार पर तैयार किए जाते हैं। कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के संबंध में वस्तु शीर्ष वार व्यय के रुझान विश्लेषण से पिछले 5 वर्षों के दौरान 7 वस्तु शीर्षों

के संबंध में बीई के 40% से 96% तक के लगातार बचत का खुलासा किया, जैसा कि विस्तृत तालिका 4.16 में बताया गया है।

तालिका 4.16: वस्तु शीर्ष के अंतर्गत सतत बचत

(₹ करोड़ में)

वस्तु शीर्ष		बीई के संबंध में बचत का %									
संख्या	विवरण	2017-18		2018-19		2019-20		2020-21		2021-22	
		राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
3	समयोपरि भत्ता	0.28	84	0.12	56	0.17	90	0.12	76	0.10	80
16	प्रकाशन	1.40	65	1.32	69	2.24	81	1.18	73	0.90	60
20	अन्य प्रशासनिक व्यय	9.70	61	19.29	62	14.78	51	74.11	88	61.34	85
27	लघु निर्माण कार्य	4.76	42	7.77	47	8.15	62	6.40	42	4.87	40
28	व्यावसायिक सेवाएं	20.21	48	33.76	56	80.24	64	68.66	55	68.82	51
52	तंत्र और उपकरण	8.12	80	70.29	96	8.35	62	14.61	60	23.58	83
53	वृहद निर्माण कार्य	30.22	71	30.63	80	11.47	58	16.83	68	19.23	70

यह बीई स्तर पर अर्थात् पिछले वर्षों के व्यय प्रतिरूप को ध्यान में रखे बिना त्रुटिपूर्ण योजना दर्शाता है।

विभाग से उत्तर प्रतीक्षित था।

4.16 बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र

जीएफआर 2017 के नियम 238(1) और (2) के अनुसार किसी संस्थान या संगठन को गैर-आवर्ती अनुदान के संबंध में जिस उद्देश्य के लिए इसे संस्वीकृत किया गया था, उसके लिए प्राप्त अनुदानों के वास्तविक उपयोग का प्रमाण पत्र सहायता अनुदान स्वीकृत करने के क्रम में प्राप्त करने पर महत्व दिया जाना चाहिये। संबंधित संस्थान या संगठन द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बारह महीनों के भीतर उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ऐसे प्रमाणपत्र की प्राप्ति की संवीक्षा संबंधित मंत्रालय या विभाग द्वारा की जाएगी। जहाँ इस तरह का प्रमाण पत्र निर्धारित समय के भीतर अनुदानग्राही से प्राप्त नहीं होता है, मंत्रालय या विभाग सरकार से किसी भी भविष्य के अनुदान, सब्सिडी या अन्य प्रकार की वित्तीय सहायता से ऐसे संस्थान या संगठन को ब्लैकलिस्ट करने के लिए स्वतंत्र होगा। आवर्ती अनुदानों के संबंध में, संबंधित मंत्रालय या विभाग को पिछले वित्तीय वर्ष के अनुदानों के संबंध में यूसी प्रस्तुत करने के बाद ही बाद के वित्तीय वर्ष के लिए संस्वीकृत किसी भी राशि को जारी करना चाहिए। बाद के वित्तीय वर्ष के लिए संस्वीकृत कुल राशि का पचहत्तर प्रतिशत से अधिक सहायता अनुदान यूसी के बाद ही जारी किया जाएगा और पिछले

वर्ष में जारी सहायता अनुदान से संबंधित वार्षिक लेखापरीक्षित विवरण को संबंधित मंत्रालय/विभाग की संतुष्टि के लिये प्रस्तुत किया जाएगा।

हालांकि, 32 विभागों/मंत्रालयों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 31 मार्च 2022 तक कुल ₹52,770.14 करोड़ के 42,854 यूसी बकाया थे जैसा कि तालिका 4.17 में वर्णित है। स्वीकृत अनुदानों की प्रारंभिक अवधि, जिसके लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र बकाया थे, वर्ष 1975-76 से संबंधित है। यह इंगित करता है कि विभागों/मंत्रालयों ने बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र की लंबितता को कम करने के लिए समुचित प्रयास नहीं किये हैं।

चूंकि यूसी की प्राप्ति एकमात्र तंत्र है जो यह पुष्टि करता है कि निधि का उपयोग इच्छित उद्देश्य के लिए किया गया है, अतः विभाग को अनुदान प्राप्त करने वाले निकायों द्वारा यूसी को समय पर जमा करना सुनिश्चित करने के लिए एक सुदृढ़ तंत्र स्थापित करना चाहिए।

तालिका 4.17 31.03.2022 तक विभाग/मंत्रालयवार यू सी बकाया

अनुदान का नाम और संख्या	वित्तीय वर्ष		बकाया यूसी की संख्या	बकाया यूसी की कुल राशि (₹ करोड़ में)
	से	तक		
25- उच्च शिक्षा विभाग	1977-78	2020-21	9,744	24,335.51
59 - आवास और शहरी मंत्रालय	1985-86	2019-20	1,234	4,925.54
31 - वित्तीय सेवा विभाग	2019-20	2020-21	08	4,125.84
44 - स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग	1975-76	2019-20	3,719	3,599.84
24 - स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	1982-83	2020-21	1,540	2,391.18
01 - कृषि, सहकारिता व किसान कल्याण विभाग	2019-20	2019-20	13	2,327.36
22 - डोनर मंत्रालय	2014-15	2020-21	943	2,184.26
70 - नवीन व नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय	2006-07	2020-21	793	1,812.30
99 - जनजातीय मामलों का मंत्रालय	2015-16	2020-21	119	1,537.17
76 - योजना मंत्रालय	मार्च तक 2014	2020-21	6,866	1032.50
69 - अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय	2007-08	2020-21	1,154	805.36
27 - परियावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	1994-95	2020-21	4,715	793.42
17 - संस्कृति मंत्रालय	2007-08	2020-21	4,690	590.02

संघ सरकार के वित्त वर्ष 2021-22 के लेखों पर
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन


अनुदान का नाम और संख्या	वित्तीय वर्ष		बकाया यूसी की संख्या	बकाया यूसी की कुल राशि (₹ करोड़ में)
	से	तक		
04 - आयुष मंत्रालय	1994-95	2019-20	1,167	489.93
26 - इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	2002-03	2020-21	160	402.16
93 - विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग	2009-10	2020-21	703	253.94
92 - सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	2007-08	2020-21	1,005	182.20
100 - महिला एवं बाल विकास विभाग	2007-08	2020-21	854	156.95
33-राजस्व विभाग	2002-03	2017-18	12	146.84
63 - श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	1979-80	2020-21	918	118.46
03-परमाणु उर्जा	1998-99	2020-21	880	108.64
77- बंदरगाह, जहाजरानी व जलमार्ग मंत्रालय	2017-18	2020-21	15	98.03
23-पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	1983-84	2020-21	733	88.60
101 - युवा मामले व खेल मंत्रालय	2011-12	2020-21	71	84.46
94 - अंतरिक्ष विभाग	1975-76	2020-21	535	72.57
68 - खान मंत्रालय	2017-18	2020-21	78	48.40
07 - औषधि मंत्रालय	2008-09	2019-20	15	35.64
73 - कार्मिक लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय	2006-07	2020-21	143	12.66
96 - इस्पात मंत्रालय	2017-18	2020-21	11	4.52
72 - संसदीय कार्य मंत्रालय	2020-21	2020-21	2	3.64
45 - स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	2016-17	2019-20	6	2.14
64 - कानून और न्याय मंत्रालय	2014-15	2020-21	8	0.06
कुल			42,854	52,770.14

मामला उच्च शिक्षा विभाग, वित्तीय सेवा विभाग, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग और इस्पात मंत्रालय (सितंबर से दिसंबर 2022) को सूचित किया गया था। उत्तर प्रतीक्षित थे।

4.17 सरकार की प्रतिक्रिया

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से उनसे संबंधित मुद्दों के संबंध में प्रतिक्रिया मांगी गई थी। मंत्रालय/विभागों से प्राप्त उत्तरों (मई 2023 तक) को रिपोर्ट में उपयुक्त तरीके से शामिल किया गया है।

नई दिल्ली
दिनांक: 01 अगस्त 2023


(रोली शुक्ला माल्गे)
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा
वित्त एवं संचार

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 01 अगस्त 2023


(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

अनुलग्नक

अनुलग्नक 3.1
(पैराग्राफ 3.3.5 देखें)

इकाइयों की सूची जहां सरकारी निवेश का पूरा विवरण उपलब्ध नहीं है

क्र.सं.	इकाई का नाम	विवरण 11 में क्र.सं.
1	भारतीय जीवन बीमा निगम	4
2	रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए)	7
3	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्तीय एवं विकास निगम	92
4	राष्ट्रीय कौशल प्रमाणन और मौद्रिक पुरस्कार योजना	99
5	इलेक्ट्रॉनिक्स विकास कोष	166
6	इंडो-लीबिया इलेक्ट्रिकल कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड	287
7	अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ	314
8	अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष	315
9	अफ्रीकी विकास कोष	317
10	एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक	319
11	न्यू डेवलपमेंट बैंक (ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक)	320
12	पुनर्निर्माण और विकास के लिए यूरोपीय बैंक	321
13	स्टार्ट अप कंपनियों के लिए इक्विटी कैपिटल फॉर इंडिया एस्पिरेशन फंड (आई ए एफ)	325
14	मध्य प्रदेश राज्य भूमि विकास निगम	256
15	टाटा इंजीनियरिंग लोकोमोटिव लिमिटेड	290

अनुलग्नक 3.2
(पैराग्राफ 3.5 देखें)

31 मार्च 2022 तक प्रतिकूल शेष की सूची

(₹ हजारों की संख्या में)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष (मुख्य/लघु)		31.03.2022 तक शेष		जिस अवधि से शेष प्रतिकूल
	एच ओ ए	विवरण संख्या 14ए	डेबिट/ क्रेडिट	राशि	
1.	6001	केंद्र सरकार का आंतरिक ऋण - अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को जारी प्रतिभूतियाँ - पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक	डेबिट	4,04,339	
2.	6001	केंद्र सरकार का आंतरिक ऋण - अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को जारी प्रतिभूतियाँ - कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष	डेबिट	2,12,992	
		विवरण संख्या 14			
3.	6002.00.207	यूरोपीय आर्थिक समुदाय से ऋण	डेबिट	15,65,893	2016-17
4.	6002.00.221	पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन विशेष कोष से ऋण	डेबिट	32,575	2021-22
5.	6002.00.226	एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यूएसए से ऋण	डेबिट	1,77,85,557	2016-17
6.	6002.00.503	आईडीए से ऋण के लिए समायोजन की प्रतीक्षा कर रहा ऋण	डेबिट	80,56,078	2018-19
7.	6002.00.504	आई बी आर डी से ऋण के लिए समायोजन की प्रतीक्षा कर रहा ऋण	डेबिट	96,15,909	2014-15
8.	6002.00.507	बाह्य ऋण - (जीओजेपी), जापान से ऋण के लिए समायोजन की प्रतीक्षा कर रहा ऋण	डेबिट	3,83,172	2015-16
		विवरण संख्या 15			
9.	6202.01.203	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति के लिए ऋण - सामान्य शिक्षा - विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा	क्रेडिट	1,119	2016-17
10.	6215.02.800	जल आपूर्ति और स्वच्छता के लिए ऋण - सीवरेज और स्वच्छता - अन्य ऋण	क्रेडिट	60,227	2016-17

संघ सरकार के वित्त वर्ष 2021-22 के लेखों पर
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

क्र. सं.	लेखा शीर्ष (मुख्य/लघु)		31.03.2022 तक शेष		जिस अवधि से शेष प्रतिकूल
	एच ओ ए	विवरण संख्या 15	डेबिट/ क्रेडिट	राशि	
11.	6216.02.190	आवास के लिए ऋण - शहरी आवास - सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को ऋण	क्रेडिट	5,79,267	2016-17
12.	6216.80.190	आवास के लिए ऋण - सामान्य - सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को ऋण	क्रेडिट	2	2020-21
13.	6216.80.800	आवास के लिए ऋण - सामान्य - अन्य ऋण	क्रेडिट	12,190	2020-21
14.	6225.01.800	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए ऋण - अनुसूचित जातियों के कल्याण - अन्य ऋण	क्रेडिट	829	1994-95
15.	6245.01.101	प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत के लिए ऋण - सूखा - मुफ्त राहत	क्रेडिट	896	1986-87
16.	6245.02.101	प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत के लिए ऋण - बाढ़ चक्रवात - मुफ्त राहत	क्रेडिट	2,157	1997-98
17.	6401.00.104	फसल पालन के लिए ऋण - कृषि फार्म	क्रेडिट	791	2016-17
18.	6402.00.102	मृदा एवं जल संरक्षण हेतु ऋण - मृदा संरक्षण	क्रेडिट	8,191	1995-96
19.	6402.00.203	मिट्टी और जल संरक्षण के लिए ऋण - भूमि सुधार और विकास	क्रेडिट	592	2007-08
20.	6405.00.106	मात्स्यिकी के लिए ऋण - मत्स्यन यानों का मशीनीकरण	क्रेडिट	532	2016-17
21.	6425.00.107	सहयोग के लिए ऋण - साख सहकारी समितियों को ऋण	क्रेडिट	5,20,538	2017-18
22.	6425.00.108	सहयोग के लिए ऋण - अन्य सहकारी समितियों को ऋण	क्रेडिट	8,97,109	2003-04
23.	6515.00.102	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए ऋण - सामुदायिक विकास	क्रेडिट	229	1986-87
24.	6801.00.201	विद्युत परियोजनाओं जल उत्पादन के लिए ऋण	क्रेडिट	8,80,938	2004-05

संघ सरकार के वित्त वर्ष 2021-22 के लेखों पर
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

क्र. सं.	लेखा शीर्ष (मुख्य/लघु)		31.03.2022 तक शेष		जिस अवधि से शेष प्रतिकूल
	एच ओ ए	विवरण संख्या 15	ड्रेडिट/ क्रेडिट	राशि	
25.	6801.00.205	विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण - पारेषण और वितरण	क्रेडिट	13,91,766	2005-06
26.	6851.00.102	ग्रामीण और लघु उद्योगों के लिए ऋण - लघु उद्योग	क्रेडिट	11,623	2006-07
27.	7051.01.190	बंदरगाहों और लाइट हाउसों के लिए ऋण प्रमुख बंदरगाह - सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को ऋण	क्रेडिट	40,39,701	2018-19
28.	7053.00.190	नागरिक उड्डयन के लिए ऋण - सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को ऋण	क्रेडिट	3,77,537	2010-11
29.	7601.01.264	राज्य सरकारों को ऋण और अग्रिम - गैर योजना योजनाओं के लिए ऋण - जल आपूर्ति - ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम	क्रेडिट	2,221	2021-22
30.	7601.01.436	राज्य सरकारों को ऋण और अग्रिम - गैर नियोजित योजनाओं के लिए ऋण - फसल पालन - वाणिज्यिक फसलें	क्रेडिट	1	2018-19
31.	7601.04.312	राज्य सरकार को ऋण और अग्रिम - केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए ऋण - शहरी विकास - छोटे/मध्यम शहरों का एकीकृत विकास	क्रेडिट	1	2012-13
32.	7601.04.360	राज्य सरकार को ऋण और अग्रिम - केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए ऋण - अनुसूचित जनजातियों के कल्याण - अन्य ऋण	क्रेडिट	408	2012-13
33.	7601.04.501	राज्य सरकार को ऋण और अग्रिम - केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए ऋण - मृदा और जल संरक्षण-मृदा संरक्षण योजनाएँ	क्रेडिट	34,180	2012-13
34.	7601.04.726	राज्य सरकार को ऋण और अग्रिम -केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए ऋण ग्राम और लघु उद्योग-हथकरघा उद्योग	क्रेडिट	6,960	2012-13

संघ सरकार के वित्त वर्ष 2021-22 के लेखों पर
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

क्र. सं.	लेखा शीर्ष (मुख्य/लघु)		31.03.2022 तक शेष		जिस अवधि से शेष प्रतिकूल
	एच ओ ए	विवरण संख्या 15	डेबिट/ क्रेडिट	राशि	
35.	7601.04.786	राज्य सरकार को ऋण और अग्रिम - केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए ऋण - बाढ़ नियंत्रण-अन्य ऋण	क्रेडिट	4,115	2012-13
36.	7601.04.825	राज्य सरकार को ऋण और अग्रिम - केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए ऋण - अंतर-राज्य या आर्थिक महत्व की सड़कें - सड़क कार्य	क्रेडिट	18,359	2012-13
37.	7601.04.826	राज्य सरकार को ऋण और अग्रिम - केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए ऋण - अंतर-राज्य या आर्थिक महत्व की सड़कें-मशीनरी और उपकरण	क्रेडिट	106	2012-13
38.	7601.04.871	राज्य सरकार को ऋण और अग्रिम - केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए ऋण - अंतर्देशीय जल परिवहन-अन्य ऋण	क्रेडिट	897	2012-13
39.	7601.07.800	1984-1985 से पूर्व के ऋण - अन्य ऋण	क्रेडिट	1,580	2012-13
40.	7605.00.055	विदेशी सरकारों को अग्रिम - मालदीव सरकार को ऋण	क्रेडिट	6,27,715	2021-22
41.	7605.00.061	विदेशी सरकारों को अग्रिम - कंबोडिया सरकार को ऋण	क्रेडिट	95,880	2019-20
42.	7605.00.099	विदेशी सरकारों को अग्रिम - श्रीलंका सरकार को ऋण	क्रेडिट	9,57,106	2019-20
43.	7610.00.203	सरकारी कर्मचारियों को ऋण - अन्य वाहनों की खरीद के लिए अग्रिम	क्रेडिट	48,777	2004-05
		विवरण संख्या 16			
44.	8002.00.103	ट्रेजरी बचत जमा प्रमाणपत्र	डेबिट	6,962	1976-77
45.	8002.00.104	रक्षा बचत प्रमाणपत्र	डेबिट	4,673	2021-22
46.	8002.00.105	बचत प्रमाणपत्र -बैंक सीरीज	डेबिट	189	2007-08
		विवरण संख्या 14	डेबिट		
47.	8009.02.106	राज्य भविष्य निधि-रक्षा-अन्य विविध भविष्य निधि	डेबिट	67,203	2021-22

संघ सरकार के वित्त वर्ष 2021-22 के लेखों पर
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

क्र. सं.	लेखा शीर्ष (मुख्य/लघु)		31.03.2022 तक शेष		जिस अवधि से शेष प्रतिकूल
	एच ओ ए	विवरण संख्या 14	डेबिट/ क्रेडिट	राशि	
48.	8012.00.109	विशेष जमा और खाते - आयकर वार्षिकी जमा	डेबिट	13,983	2015-16
49.	8014.01.106	पीएलआई संयुक्त बंदोबस्ती आश्वासन योजनाएँ	डेबिट	35,87,908	2019-20
50.	8014.02.105	आरपीएलआई प्रत्याशित बन्दोबस्ती आश्वासन योजनाएँ	डेबिट	13,91,853	2015-16
विवरण संख्या 13					
51.	8115.00.101	मूल्यहास / नवीकरण आरक्षित निधि - मूल्यहास आरक्षित निधि -रेलवे (वाणिज्यिक रेखाएँ)	डेबिट	3,36,50,966	2009-10
52.	8117.00.102	विकास निधि - रेलवे विकास निधि-रणनीतिक रेखाएँ	डेबिट	599	2018-19
53.	8121.00.103	निधि रेलवे पेंशन फंड-वाणिज्यिक लाइन	डेबिट	5,00,72,898	2016-17
54.	8229.00.200	विकास एवं कल्याण निधि अन्य विकास एवं कल्याण निधि	डेबिट	21,07,063	2007-08
55.	8232.00.101	ग्रामीण रोजगार गारंटी कोष - राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कोष -	डेबिट	2	2020-21
56.	8235.00.135	राष्ट्रीय स्वच्छता कोष	डेबिट	15,93,805	2015-16
57.	8337.00.102	रेलवे-भारतीय रेलवे सम्मेलन संघ कर्मचारी भविष्य निधि की जमाराशि	डेबिट	32,666	2019-20
58.	8337.00.104	रेलवे-गैर-अंशदायी भारतीय रेलवे सम्मेलन संघों के कर्मचारी भविष्य निधि की जमा राशि - निवेश खाते	क्रेडिट	2,21,347	2013-14
59.	8342.00.112	फील्ड डिपॉजिट	डेबिट	54,06,454	2021-22
60.	8443.00.112	अन्य जमा - भारत में खरीद आदि के लिए जमा	डेबिट	23,57,197	2018-19
61.	8446.00.800	डाक जमा - अन्य जमा	डेबिट	1,16,554	2005-06
62.	8448.00.104	स्थानीय निधि जमा -फंड्स ऑफ इंश्योरेंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया	डेबिट	291	1976-77 से पहले

संघ सरकार के वित्त वर्ष 2021-22 के लेखों पर
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

क्र. सं.	लेखा शीर्ष (मुख्य/लघु)		31.03.2022 तक शेष		जिस अवधि से शेष प्रतिकूल
	एच ओ ए	विवरण संख्या 13	डेबिट/ क्रेडिट	राशि	
63.	8449.00.106	अन्य जमा- भारत-अमेरिका समझौते 1974 के तहत खाते	डेबिट	3	2018-19
64.	8451.00.101	भोपाल गैस रिसाव आपदा राहत कोष - दावा एवं राहत कोष	डेबिट	91,313	2007-08
65.	8455.00.101	आईपीपीबी के साथ लेनदेन	डेबिट	48,31,945	2018-19
66.	8551.00.101	रक्षा अग्रिम - रक्षा अग्रिम	क्रेडिट	42,41,725	2015-16
67.	8670.00.104	चेक और बिल- ट्रेजरी चेक	डेबिट	14,88,614	2018-19

अनुलग्नक 3.3
(पैराग्राफ 3.6.2 देखें)

निष्क्रिय आरक्षित निधि

(₹ हजारों में)

क्र.सं.	शीर्ष का नाम	31 मार्च 2022 तक शेष	वित्तीय वर्ष से निष्क्रिय
1	8117.XXX-विकास निधि - निवेश खाता	-1,099	2016-17
2	8117.XXX-रेलवे-ब्रांच लाइन कंपनियों को ऋण	-1,177	2016-17
3	8121.108-कर्मचारी लाभ निधि (रेलवे स्ट्रेटेजिक लाइन्स)	4,788	2016-17
4	8229.101 शैक्षिक उद्देश्यों के लिए विकास निधि	7	2002-03
5	8229.102 चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिए विकास निधि	60	2002-03
6	8229.108 खनन क्षेत्र विकास निधि	102	2002-03
7	8235.101-सरकारी वाणिज्यिक विभागों/उपक्रमों की सामान्य आरक्षित निधि	7,586	2008-09
क्रेडिट शेष			1.25 करोड़
डेबिट शेष			-0.23 करोड़
नेट क्रेडिट शेष			1.02 करोड़

अनुलग्नक 3.4
(पैराग्राफ 3.6.2 देखें)

निष्क्रिय जमा खाते

(₹ हजारों में)

क्र.सं.	शीर्ष का नाम	31 मार्च 2022 तक शेष	निष्क्रिय
1	8342.107 - संपत्ति शुल्क के भुगतान के लिए जमा	103	2002-03
2	8342.108 - आयकर, सुपर टैक्स, अतिरिक्त लाभ कर और अधिभार की जमा राशि	12,107	2002-03
3	8342.110 - टेलीफोन आवेदन जमा	22,39,806	2006-07
4	8342.111 - टेलेक्स आवेदन जमा	79,306	2002-03
5	8342.114 - पट्टे पर दूरसंचार सुविधा जमा	16,947	2002-03
6	8443.114 - निर्यात व्यापार जमा	1,52,527	2002-03
7	8443.122 - खान श्रम कल्याण जमा	2,371	2002-03
8	8443.127 - पाकिस्तान चले गए ठेकेदारों/कर्मचारियों/पेंशनरों आदि के दावों को पूरा करने के लिए स्थानीय निकायों की जमा राशि	2,106	2002-03
9	8443.130 - भविष्य सोसायटी परिसमापन खाते	13	2008-09
10	8447.800 - अन्य जमा	5,01,543	2013-14
11	8448.103 - छावनी निधि	1	2003-04
12	8448.111 - चिकित्सा और धर्मार्थ निधि	52	2003-04
13	8448.120 - अन्य निधि	226	2004-05
14	8449.104 - खान भविष्य निधि की जमा राशि	1,601	2002-03
15	8449.107 - ब्याज और अधिभार सहित आयकर, सुपर टैक्स, अतिरिक्त लाभ कर की जमा राशि	13,393	2002-03
16	8450.101 - पुडुचेरी का शेष	4,01,290	2008-09
17	8450.102 - गोवा, दमन और दीव का शेष	-1,63,026	2002-03
18	8450.104 - अरुणाचल प्रदेश का शेष	-5,68,251	2002-03
19	8450.105 - मिजोरम का शेष	-12,44,138	2002-03
20	8453.101 - सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं पर व्यय हेतु निर्धारित राशि	2,90,744	2013-14
	क्रेडिट शेष		371.41 करोड़
	डेबिट शेष		-197.54 करोड़
	नेट क्रेडिट शेष		173.87 करोड़

अनुलग्नक 3.5
(पैराग्राफ 3.7 देखें)

31 मार्च 2022 तक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को बकाया ऋण और अग्रिम

(₹ लाख में)

क्र.सं.	वर्ष	राज्य	मूलधन	ब्याज	कुल
1	25 वर्ष से अधिक	आंध्र प्रदेश	878.10	0	878.10
2		असम	16,126.65	1,05,375.98	1,21,502.63
3		बिहार	566.56	0	566.56
4		गोवा	8,300.52	37,963.87	46,264.39
5		गुजरात	316.21	0	316.21
6		हरियाणा	83.82	0	83.82
7		हिमाचल प्रदेश	12.25	0	12.25
8		जम्मू और कश्मीर	4,978.35	13,454.39	18,432.74
9		कर्नाटक	233.66	0	233.66
10		केरल	139.27	0	139.27
11		मध्य प्रदेश	460.53	0	460.53
12		महाराष्ट्र	824.37	0	824.37
13		मणिपुर	341.94	1266.32	1,608.26
14		मेघालय	170.75	5178.43	5,349.18
15		मिजोरम	2,684.32	6507.43	9,191.75
16		ओडिशा	126.05	0	126.05
17		पंजाब	25.75	0	25.75
18		राजस्थान	270.86	0	270.86
19		तमिलनाडु	740.14	0	740.14
20		उत्तर प्रदेश	1,332.54	0	1,332.54
21		पश्चिम बंगाल	600.76	1294.04	1,894.80
22		पुदुचेरी	19,493.93	1224.95	20,718.88
		कुल	58,707.33	1,72,265.41	2,30,972.74
1	15 से 25 वर्ष	अरुणाचल प्रदेश	432.96	3607.40	4040.36
2		नागालैंड	234.99	2626.02	2861.01
3		सिक्किम	309.65	563.44	873.09
4		त्रिपुरा	0	3328.37	3328.37
5		दिल्ली की एन.सी.टी	2,99,375.10	2,70,408.69	5,69,783.79
		कुल	3,00,352.70	2,80,533.92	5,80,886.62

अनुलग्नक 4.1
(पैराग्राफ 4.1.1 देखें)

प्राधिकरण और व्यय

(₹ करोड़ में)

व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/विनियोग	अनुपूरक अनुदान/विनियोग	कुल	वास्तविक संवितरण	बचत (-) अतिरिक्त (+)
क - सिविल					
दत्तमत					
राजस्व	21,36,721.47	3,89,887.61	25,26,609.08	23,14,186.53	(-)2,12,422.55
पूंजीगत (ऋण और अग्रिम सहित)	5,30,804.94	2,96,685.47	8,27,490.41	6,64,286.06	(-)1,63,204.35
कुल	26,67,526.41	6,86,573.08	33,54,099.49	29,78,472.59	(-)3,75,626.90
प्रभारित					
राजस्व	10,74,295.49	61.03	10,74,356.52	10,41,088.10	(-)33,268.42
पूंजीगत (ऋण और अग्रिम और सार्वजनिक ऋण सहित)	69,91,226.92	101.60	69,91,328.52	66,68,721.09	(-)3,22,607.43
कुल	80,65,522.41	162.63	80,65,685.04	77,09,809.19	(-)3,55,875.85
कुल योग	1,07,33,048.82	6,86,735.71	1,14,19,784.53	1,06,88,281.78	(-)7,31,502.75
व्यय में कमी से वसूली			6,28,657.29	5,04,938.86	
कुल शुद्ध प्रावधान			1,07,91,127.24		
कुल शुद्ध व्यय				1,01,83,342.92	
ख - डाक					
दत्तमत					
राजस्व	34,262.38	--	34,262.38	30,923.79	(-)3,338.59
पूंजीगत	910.09	--	910.09	885.55	(-) 24.54
कुल	35,172.47	--	35,172.47	31,809.34	(-)3,363.13
प्रभारित					
राजस्व	0.80	--	0.80	0.27	(-) 0.53
पूंजीगत	--	--	--	--	--
कुल	0.80	--	0.80	0.27	(-) 0.53
कुल योग	35,173.27	--	35,173.27	31,809.61	(-)3,363.66
व्यय में कमी से वसूली			935.00	1,202.63	
कुल शुद्ध प्रावधान			34,238.27		
कुल शुद्ध व्यय				30,606.98	

**संघ सरकार के वित्त वर्ष 2021-22 के लेखों पर
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन**

(₹ करोड़ में)

व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/विनियोग	अनुपूरक अनुदान/विनियोग	कुल	वास्तविक संवितरण	बचत (-) अतिरिक्त (+)	
ग- रक्षा सेवाएं						
दत्तमत						
राजस्व	2,31,945.49	6,659.96	2,38,605.45	2,36,891.24	(-)1,714.21	
पूंजीगत	1,34,978.85	3,790.20	1,38,769.05	1,37,835.95	(-)933.10	
कुल	3,66,924.34	10,450.16	3,77,374.50	3,74,727.19	(-)2,647.31	
प्रभारित						
राजस्व	101.44	10.22	111.66	29.85	(-) 81.81	
पूंजीगत	81.87	76.22	158.09	151.02	(-) 7.07	
कुल	183.31	86.44	269.75	180.87	(-) 88.88	
कुल योग	3,67,107.65	10,536.60	3,77,644.25	3,74,908.06	(-)2,736.19	
व्यय में कमी से वसूली			11,340.19	1,965.23		
कुल शुद्ध प्रावधान			3,66,304.06			
कुल शुद्ध व्यय				3,72,942.83		
घ - रेलवे						
दत्तमत						
राजस्व	2,75,986.65	0.01	2,75,986.66	2,64,309.03	(-)11,677.63	
पूंजीगत	3,04,836.88	21,415.52	3,26,252.40	3,10,942.27	(-)15,310.13	
कुल	5,80,823.53	21,415.53	6,02,239.06	5,75,251.30	(-)26,987.76	
प्रभारित						
राजस्व	466.00	2.50	468.50	283.35	(-)185.15	
पूंजीगत	92.08	606.92	699.00	753.81	(+)54.81	
कुल	558.08	609.42	1,167.50	1,037.16	(-)130.34	
कुल योग	5,81,381.61	22,024.95	6,03,406.56	5,76,288.46	(-)27,118.10	
व्यय में कमी से वसूली			2,79,266.97	2,49,679.31		
कुल शुद्ध प्रावधान			3,24,139.59			
कुल शुद्ध व्यय				3,26,609.15		
कुल						
कुल	दत्तमत	36,50,446.75	7,18,438.77	43,68,885.52	39,60,260.42	(-)4,08,625.10
सीएफआई	प्रभारित	80,66,264.60	858.49	80,67,123.09	77,11,027.49	(-)3,56,095.60
सीएफआई का कुल योग		1,17,16,711.35	7,19,297.26	1,24,36,008.61	1,16,71,287.91	(-)7,64,720.70
व्यय में कमी से कुल वसूली			9,20,199.45	7,57,786.03		
विनियोग लेखा के अनुसार कुल प्रावधान और व्यय			1,15,15,809.16	1,09,13,501.88		
वित्त लेखा के साथ अंतर				0		
वित्त लेखा के अनुसार सीएफआई से कुल संवितरण				1,09,13,501.88		

नोट: प्रभारित और स्वीकृत व्यय के प्रावधान को क्रमशः विनियोग और अनुदान कहा जाता है।

सीएफआई - भारत की संचित निधि

अनुलग्नक 4.2
(पैराग्राफ 4.2.2 देखें)

₹100 करोड़ या अधिक की बचत

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग संख्या और विवरण	स्वीकृत प्रावधान	बचत	स्वीकृत प्रावधान के % के रूप में बचत
राजस्व (दत्तमत)				
1.	01-कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग	1,22,961.62	8,134.08	6.62
2.	03-परमाणु ऊर्जा	16,391.22	1,418.63	8.65
3.	04-आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय	2,970.35	431.93	14.54
4.	08-नागरिक उड्डयन मंत्रालय	5,497.45	506.25	9.21
5.	10- वाणिज्य विभाग	6,820.06	256.97	3.77
6.	12-डाक विभाग	34,262.38	3,338.59	9.74
7.	13-दूरसंचार विभाग	41,803.45	5,031.61	12.04
8.	14-उपभोक्ता मामले विभाग	3,191.55	947.39	29.68
9.	15-खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग	3,02,153.61	422.68	0.14
10.	18-रक्षा मंत्रालय (सिविल)	30,557.20	465.86	1.52
11.	19-रक्षा सेवाएँ (राजस्व)	2,38,605.45	1,714.21	0.72
12.	24-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	1,03,673.71	22,062.17	21.28
13.	25- उच्चतर शिक्षा विभाग	65,325.24	27,754.87	42.49
14.	26-इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	9,274.72	1,370.22	14.77
15.	27-पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	3,014.14	426.04	14.13
16.	28-विदेश मंत्रालय	17,033.96	3,728.95	21.89
17.	29- आर्थिक कार्य विभाग	5,719.01	553.19	9.67
18.	31-वित्तीय सेवा विभाग	13,084.69	556.03	4.25
19.	33-राजस्व विभाग	2,09,793.73	141.05	0.07
20.	34-प्रत्यक्ष कर	8,206.89	721.94	8.80
21.	35-अप्रत्यक्ष कर	74,029.43	17,116.19	23.12
22.	40-राज्यों को अंतरण	80,328.99	23,457.72	29.20
23.	42-पशुपालन एवं डेयरी विभाग	3,565.64	559.17	15.68

संघ सरकार के वित्त वर्ष 2021-22 के लेखों पर
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग संख्या और विवरण	स्वीकृत प्रावधान	बचत	स्वीकृत प्रावधान के % के रूप में बचत
24.	43-खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	1,308.69	161.30	12.33
25.	44-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	1,30,689.55	39,365.49	30.12
26.	45-स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	3,189.29	498.68	15.64
27.	48-गृह मंत्रालय	7,333.40	3,248.13	44.29
28.	49- मंत्रिमंडल	1,961.05	651.40	33.22
29.	50-पुलिस	1,02,349.38	1,641.33	1.60
30.	51-अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	5,463.60	118.25	2.16
31.	54-लद्दाख	3,597.43	392.35	10.91
32.	59-आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय	81,219.85	279.42	0.34
33.	60-सूचना और प्रसारण मंत्रालय	4,058.61	350.71	8.64
34.	61-जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग	17,593.11	454.70	2.58
35.	62- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	1,28,024.46	18,545.93	14.49
36.	63-श्रम और रोजगार मंत्रालय	24,481.34	468.34	1.91
37.	64-कानून और न्याय	3,281.08	236.71	7.21
38.	67-सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	15,329.71	361.81	2.36
39.	69-अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय	4,657.77	432.53	9.29
40.	70-नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	5,743.01	1,526.60	26.58
41.	73-कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	1,829.99	107.55	5.88
42.	75-पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	16,216.80	10,810.47	66.66
43.	77-जहाजरानी मंत्रालय	1,859.39	535.04	28.77
44.	78-विद्युत मंत्रालय	20,093.08	669.31	3.33
45.	80- लोक सभा	854.01	258.16	30.23
46.	84-रेल मंत्रालय	2,75,986.66	11,677.63	4.23
47.	85-सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	20,164.63	160.32	0.80
48.	86-ग्रामीण विकास विभाग	2,90,726.11	2,279.67	0.78
49.	87-भूमि संसाधन विभाग	2,170.46	732.78	33.76
50.	88-विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	5,949.60	860.77	14.47
51.	89-जैव प्रौद्योगिकी विभाग	3,502.39	651.25	18.59
52.	90- वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	5,285.57	155.14	2.94
53.	91-कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	2,711.56	678.38	25.02

संघ सरकार के वित्त वर्ष 2021-22 के लेखों पर
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग संख्या और विवरण	स्वीकृत प्रावधान	बचत	स्वीकृत प्रावधान के % के रूप में बचत
54.	92-सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	10,297.15	2,865.86	27.83
55.	93-दिव्यांगजन अधिकारिता विभाग	1,171.78	162.33	13.85
56.	94-अंतरिक्ष विभाग	5,719.89	134.98	2.36
57.	95-सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	3,721.17	1,037.85	27.89
58.	97-कपड़ा मंत्रालय	11,398.84	339.27	2.98
59.	98-पर्यटन मंत्रालय	2,032.06	1,228.18	60.44
60.	99- जनजातीय कार्य मंत्रालय	2,816.55	555.87	19.74
61.	100- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	24,930.03	3,146.47	12.62
62.	101-युवा मामले और खेल मंत्रालय	2,754.52	378.06	13.73
राजस्व (प्रभारित)				
63.	37-ब्याज अदायगियां	8,47,195.79	18,935.94	2.24
64.	40-राज्यों को अंतरण	2,20,843.01	13,408.26	6.07
65.	84-रेल मंत्रालय	468.50	185.15	39.52
66.	99- जनजातीय कार्य मंत्रालय	4,708.33	793.30	16.85
पूँजीगत (दत्तमत)				
67.	06-उर्वरक विभाग	444.62	363.06	81.66
68.	13-दूरसंचार विभाग	31,133.57	24,735.83	79.45
69.	15-खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग	52,725.97	50,095.57	95.01
70.	20-रक्षा सेवाओं पर पूँजी परिव्यय	1,38,769.05	933.10	0.67
71.	23-पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	224.01	124.47	55.57
72.	28-विदेश मंत्रालय	1,490.76	622.07	41.73
73.	29-आर्थिक कार्य विभाग	97,542.09	54,973.85	56.36
74.	31-वित्तीय सेवा विभाग	74,118.01	11,252.77	15.18
75.	34-प्रत्यक्ष कर	352.05	136.58	38.80
76.	35-अप्रत्यक्ष कर	878.00	198.71	22.63
77.	40-राज्यों को अंतरण	1,74,000.01	814.23	0.47
78.	44-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	5,401.29	460.69	8.53
79.	47-सार्वजनिक उद्यम विभाग	150.00	150.00	100.00
80.	49- मंत्रिमंडल	137.00	124.34	90.76
81.	50-पुलिस	9,721.75	2,396.64	24.65
82.	51-अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	666.34	246.35	36.97

संघ सरकार के वित्त वर्ष 2021-22 के लेखों पर
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग संख्या और विवरण	स्वीकृत प्रावधान	बचत	स्वीकृत प्रावधान के % के रूप में बचत
83.	52-चंडीगढ़	508.52	149.84	29.47
84.	54-लद्दाख	3,626.38	1,770.80	48.83
85.	55- लक्षद्वीप	229.10	163.22	71.25
86.	61-जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग	344.81	149.70	43.42
87.	67-सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	370.00	177.44	47.96
88.	78-विद्युत मंत्रालय	4,458.31	564.20	12.65
89.	84-रेल मंत्रालय	3,26,252.40	15,310.13	4.69
90.	85-सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	2,28,743.20	10,648.69	4.66
91.	92-सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	370.00	275.00	74.32
92.	94-अंतरिक्ष विभाग	8,228.26	1,319.97	16.04
पूँजीगत (प्रभारित)				
93.	38- ऋण की पुनर्दायगी	69,44,151.48	2,98,683.08	4.30
94.	40-राज्यों को अंतरण	46,950.00	23,866.87	50.83
कुल			7,63,304.62	

अनुलग्नक 4.3 क
(पैराग्राफ 4.2.2.2 देखें)

लघु/उप-शीर्ष स्तर पर ₹ 500 करोड़ या उससे अधिक की अन्य महत्वपूर्ण बचत

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	उप-शीर्ष	स्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत
अनुदान संख्या 1 - कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग				
1	2401.00.110.13 - प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (एनसीआईपी)	10,742.78	8,960.56	1,782.22
2	2401.00.789.40 - प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)	9,711.00	8,201.08	1,509.92
3	2401.00.800.54 - कृषि अवसंरचना कोष	583.20	21.06	562.14
4	2416.00.789.02 - भारतीय रिजर्व बैंक	2,917.73	900.64	2,017.09
5	2416.00.796.02 - भारतीय रिजर्व बैंक	1,478.34	543.49	934.85
6	3601.06.101.43 - हरित क्रांति-कृष्णोन्नति योजना	4,146.73	2,101.44	2,045.29
7	3601.06.101.44 - हरित क्रांति-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	2,400.36	1,196.10	1,204.26
8	3601.06.101.45 - प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-प्रति बूंद अधिक फसल (पीएमकेएसवाई)	2,698.11	1,266.04	1,432.07
9	3601.06.789.39 - हरित क्रांति-कृष्णोन्नति योजना	1,101.92	444.07	657.85
अनुदान संख्या 3 - परमाणु ऊर्जा				
10	2801.03.101.08 - अन्य स्टेशनों के लिए पी एच डब्ल्यू आर ईंधन	2,950.99	2,101.08	849.91
11	3401.00.004.27 - स्वायत्त निकाय और अनुसंधान सहायता	3,081.31	2,384.81	696.50
अनुदान संख्या 6 - उर्वरक विभाग				
12	2401.00.105.26 - पोषक तत्व आधारित सब्सिडी नीति	56,103.82	46,120.95	9,982.87
13	2401.00.789.44 - पोषक तत्व आधारित सब्सिडी नीति	5,327.94	4,379.91	948.03
अनुदान संख्या 8 - नागरिक उड्डयन मंत्रालय				
14	3053.80.190.04 - एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग (एसपीवी)	2,268.99	1,378.00	890.99
अनुदान संख्या 11 - उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभाग				
15	2885.03.102.01 - राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास और कार्यान्वयन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी)	2,000.00	859.10	1,140.90

संघ सरकार के वित्त वर्ष 2021-22 के लेखों पर
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

क्र.सं.	उप-शीर्ष	स्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत
अनुदान संख्या 13 - दूरसंचार विभाग				
16	2071.01.104.01 - साधारण पेंशन	4,633.00	2,325.71	2,307.29
17	3275.00.789.01 - सार्वभौमिक सेवा दायित्व के लिए सेवा प्रदाताओं को मुआवजा	747.00	0.00	747.00
18	3275.00.797.01 - सार्वभौमिक सेवा दायित्व कोष में हस्तांतरण	9,000.00	8,300.00	700.00
19	3275.00.800.93 - 4जी स्पेक्ट्रम पर जीएसटी के लिए अनुदान	3,674.00	0.00	3,674.00
20	5275.00.190.03 - बीएसएनएल और एमटीएनएल के लिए 4जी स्पेक्ट्रम के लिए कैपिटल इन्फ्यूजन	20,410.00	0.00	20,410.00
21	5275.00.800.03 - रक्षा सेवाओं के लिए ओएफसी आधारित नेटवर्क	9,880.00	6,139.83	3,740.17
अनुदान संख्या 15 - खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग				
22	6408.01.190.02 - एफसीआई को देय अर्थोपाय अग्रिम	50,000.00	0.00	50,000.00
अनुदान संख्या 18 - रक्षा मंत्रालय (सिविल)				
23	2075.00.108.01 - कैंटीन सेवा निदेशालय	19,800.00	19,094.99	705.01
अनुदान संख्या 21 - रक्षा पेंशन				
24	2071.02.101.03 - अवकाश नकदीकरण	4,455.69	3,614.34	841.35
अनुदान संख्या 24 - स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग				
25	2202.02.797.01 - राष्ट्रीय निवेश कोष में अंतरण हेतु राशि	4,800.00	3,000.00	1,800.00
26	2202.02.797.02 - माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष (एमयूएसके) में अंतरण हेतु राशि	7,000.00	0.00	7,000.00
27	3601.06.101.67 - समग्र शिक्षा- प्रारंभिक शिक्षा	15,805.72	14,969.28	836.44
28	3601.06.101.68 - समग्र शिक्षा - माध्यमिक शिक्षा	2,834.35	1,897.93	936.42
29	3601.06.789.58 - समग्र शिक्षा- प्रारंभिक शिक्षा	4,985.40	3,699.29	1,286.11
30	3601.06.797.01 - प्रारंभिक शिक्षा कोष में अंतरण हेतु राशि	37,000.00	31,788.25	5,211.75
अनुदान संख्या 25 - उच्चतर शिक्षा विभाग				
31	2202.03.797.01 - माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा कोष में अंतरण हेतु निधि	14,228.98	0.00	14,228.98
32	2202.03.797.02 - राष्ट्रीय निवेश कोष (एनआईएफ) में अंतरण हेतु निधि	2,500.00	750.00	1,750.00

संघ सरकार के वित्त वर्ष 2021-22 के लेखों पर
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

क्र.सं.	उप-शीर्ष	स्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत
33	2203.00.797.01 - राष्ट्रीय निवेश कोष (एनआईएफ) में अंतरण हेतु निधि	6,500.00	2,826.00	3,674.00
34	2203.00.797.02 - माध्यमिक एवं उच्चातर शिक्षा कोष में अंतरण हेतु निधि	3,771.02	0.00	3,771.02
35	3601.06.101.33 - राष्ट्रीय शिक्षा मिशन: राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा)	1,728.50	167.70	1,560.80
अनुदान संख्या 26 - इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय				
36	2852.07.102.04 - इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी हार्डवेयर मैनुफैक्चरिंग (एम एस आई पी एस , ईडी एफ और क्लस्टर मैनुफैक्चरिंग) को बढ़ावा देना	1,988.73	1,193.02	795.71
37	2852.07.102.08 - डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना	1,125.00	597.14	527.86
अनुदान संख्या 28 - विदेश मंत्रालय				
38	3605.00.101.10 - भूटान को सहायता	2,124.20	1,203.14	921.06
39	3605.00.101.11 - नेपाल को सहायता	992.00	446.43	545.57
अनुदान संख्या 29 - आर्थिक कार्य विभाग				
40	3605.00.101.37 - एक्ज़िम बैंक ऑफ़ इंडिया को ब्याज समकारी सहायता	1,576.01	678.11	897.90
41	4046.00.206.06 - स्वर्ण मुद्राकरण योजना 2015	2,500.00	1,409.06	1,090.94
42	4046.00.208.01 - सिक्के	1,518.00	223.24	1,294.76
43	5465.01.190.46 - राष्ट्रीय निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में निवेश	5,000.00	1,236.93	3,763.07
44	5465.01.190.50 - किफायती और मध्यम आय वाले आवास के लिए विशेष विंडो	2,250.00	991.21	1,258.79
45	5465.01.797.02 - राष्ट्रीय निवेश कोष	2,500.00	1,236.93	1,263.07
46	5475.00.800.27 - इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के लिए समर्थन	44,714.64	0.00	44,714.64
47	7475.00.800.10 - उधार लेने की नई व्यवस्था (एनएबी) के तहत आईएमएफ को ऋण	1,000.00	0.00	1,000.00
अनुदान संख्या 31 - वित्तीय सेवा विभाग				
48	3465.01.190.08 - नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (एन सी जी टी सी) को सहायता	2,600.01	100.00	2,500.01
49	4885.01.190.09 - भारतीय निर्यात-आयात बैंक की शेयर पूंजी की सदस्यता	1,500.00	750.00	750.00

संघ सरकार के वित्त वर्ष 2021-22 के लेखों पर
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

क्र.सं.	उप-शीर्ष	स्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत
50	5465.01.190.44 - सरकारी प्रतिभूतियां (बॉन्ड) जारी करके सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनर्पूजीकरण	20,000.00	4,600.00	15,400.00
51	7465.00.101.07 - आंशिक क्रेडिट गारंटी योजना के तहत ऋण	1,000.00	147.24	852.76
अनुदान संख्या 33 - राजस्व विभाग				
52	3601.08.112.01 - राज्यों को राजस्व हानि का मुआवजा	93,000.00	89,832.53	3,167.47
अनुदान संख्या 35 - अप्रत्यक्ष कर				
53	2037.00.110.01 - राज्य और केंद्रीय करों और लेवी पर छूट के तहत स्क्रिप जारी करना	12,232.02	9,176.15	3,055.87
54	2037.00.111.01 - भारत से पण्य निर्यात योजना के तहत स्क्रिप जारी करना	29,599.20	23,051.47	6,547.73
55	2037.00.112.01 - भारत से सेवा निर्यात योजना के तहत स्क्रिप जारी करना	6,001.20	4,099.66	1,901.54
56	2037.00.113.01 - टारगेट प्लस योजना के तहत स्क्रिप जारी करना	1,549.02	766.38	782.64
57	2037.00.114.03 - फोकस प्रोडक्ट स्कीम और मार्केट लिंक्ड फोकस प्रोडक्ट स्कीम के तहत स्क्रिप जारी करना	565.68	49.48	516.20
अनुदान संख्या 37 - विनियोग - ब्याज अदायगियां				
58	2048.00.200.13 - सरकारी प्रतिभूतियों की वापस खरीद पर प्रीमियम का भुगतान	7,485.12	5,241.31	2,243.81
59	2049.01.101 - बाजार ऋण पर ब्याज	5,78,609.48	5,68,114.97	10,494.51
60	2049.01.108 - 182 दिनों के ट्रेजरी बिल पर ब्याज	10,453.38	8,720.72	1,732.66
61	2049.01.110 - 364 दिनों के ट्रेजरी बिलों पर ब्याज	18,642.06	16,183.72	2,458.34
62	2049.01.115 - भारतीय रिज़र्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिमों पर ब्याज	2,000.00	0.00	2,000.00
63	2049.01.116 - 14 दिनों के ट्रेजरी बिलों पर ब्याज	3,000.00	1,924.18	1,075.82
64	2049.01.125 - विशेष केंद्र/राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के मोचन पर प्राप्त राशि के पुनर्निवेश के खिलाफ एनएसएसएफ को जारी विशेष केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों पर ब्याज	45,510.08	43,422.47	2,087.61
65	2049.01.128 - नकद प्रबंधन बिलों पर छूट	2,000.00	0.00	2,000.00
66	2049.01.132.01 - पुनर्पूजीकरण बांड	18,281.82	17,689.57	592.25
67	2049.01.305 - ऋण का प्रबंधन	2,500.00	1,630.24	869.76

संघ सरकार के वित्त वर्ष 2021-22 के लेखों पर
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

क्र.सं.	उप-शीर्ष	स्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत
68	2049.02.216 - पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक से ऋण पर ब्याज	2,684.80	1,091.33	1,593.47
69	2049.02.249 - एशियाई विकास बैंक से ऋण पर ब्याज	2,828.20	940.97	1,887.23
70	2049.03.104.01 - सामान्य भविष्य निधि	10,065.00	8,320.07	1,744.93
अनुदान संख्या 38 - विनियोग - ऋण की पुनर्अदायगी				
71	6001.00.101 - बाजार ऋण	4,67,792.28	4,32,695.10	35,097.18
72	6001.00.105.02 - अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष	7,000.00	2,714.27	4,285.73
73	6001.00.114 - भारतीय रिज़र्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	10,00,000.00	0.00	10,00,000.00
74	6001.00.122 - 1-4-1999 से छोटी बचत के शुद्ध संग्रह के प्रति जारी विशेष केंद्र सरकार प्रतिभूतियां	91,343.37	86,748.54	4,594.83
75	6001.00.127 - नकद प्रबंधन बिल	2,50,000.00	0.00	2,50,000.00
76	6001.00.129 -सार्वभौम गोल्ड बांड योजना 2015	696.15	182.81	513.34
77	6002.00.213 - अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ से ऋण	15,293.70	11,336.92	3,956.78
अनुदान संख्या 39 - पेंशन				
78	2071.01.102.01 - साधारण पेंशन	5,000.00	4,428.85	571.15
अनुदान संख्या 40 - राज्यों को अंतरण				
79	2210.80.800.06 - कोविड -19 टीकाकरण के लिए सहायता	43,838.20	35,437.68	8,400.52
80	2245.80.103.02 - गंभीर प्रकृति की आपदाओं के लिए एनडीआरएफ से राज्यों को सहायता	12,390.77	7,670.80	4,719.97
81	3601.07.102.01 - ग्रामीण निकाय अनुदान (राज्य)	44,901.00	40,311.80	4,589.20
82	3601.07.103.01 - नगरीय निकाय अनुदान (राज्य)	22,114.00	16,147.33	5,966.67
83	3601.07.104.01 - राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष अनुदान (राज्य)	22,184.00	17,747.20	4,436.80
84	3601.07.106.03 - शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (शहरी के लिए)	4,525.00	3,850.30	674.70
85	3601.08.111.09 - विशेष सहायता (राज्य)	15,000.00	3,766.39	11,233.61
86	7601.09.101.03 - बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (बैंक टू बैंक)	46,400.00	22,659.47	23,740.53

संघ सरकार के वित्त वर्ष 2021-22 के लेखों पर
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

क्र.सं.	उप-शीर्ष	स्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत
87	7601.09.101.04 - जीएसटी क्षतिपूर्ति कमी के एवज में राज्यों को बैंक टू बैंक ऋण	1,59,000.00	1,47,865.55	11,134.45
88	7601.09.101.05 - पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को ऋण के रूप में विशेष सहायता	15,000.00	14,185.78	814.22
अनुदान संख्या 44 - स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग				
89	2210.05.797.02 - राष्ट्रीय निवेश कोष (एनआईएफ) में अंतरण हेतु निधि	6,000.00	0.00	6,000.00
90	2210.06.001.09 -संक्रामक रोगों के लिए लचीला पूल	2,699.62	851.89	1,847.73
91	2210.06.101.60 - आपातकालीन महामारी की तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए आपूर्ति और सामग्री की खरीद	2,000.18	1,112.94	887.24
92	2210.80.101.03 - राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण - (पीएमएसएसएन)	3,942.84	2,505.15	1,437.69
93	2210.80.789.01 - आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेवाई) - राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण	1,199.71	368.80	830.91
94	2210.80.797.02 - प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि (पीएमएसएसएन) से सहयोग	5,763.41	0.00	5,763.41
95	3601.06.797.02 - राष्ट्रीय निवेश कोष (एनएचएम) में अंतरण हेतु निधि	6,812.35	6,243.51	568.84
96	3602.06.101.03 - राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	2,016.88	836.16	1,180.72
97	3602.06.797.07 - प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि (पीएमएसएसएन) में अंतरण हेतु निधि	576.71	0.00	576.71
अनुदान संख्या 48 - गृह मंत्रालय				
98	3454.01.001.04 - गणना	3,049.55	149.44	2,900.11
अनुदान संख्या 49 - मंत्रिमंडल				
99	2013.00.106.03 - प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय	580.72	64.44	516.28
अनुदान संख्या 50 - पुलिस				
100	4055.00.216.09 - अनुसंधान	1,980.00	573.29	1,406.71
अनुदान संख्या 54 - लद्दाख				
101	4575.04.001.02 - सचिव वित्त, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख	2,819.00	1,219.62	1,599.38
अनुदान संख्या 59 - आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय				
102	2216.02.797.01 - सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (सी आर आई एफ) में हस्तांतरण	6,457.93	0.00	6,457.93

संघ सरकार के वित्त वर्ष 2021-22 के लेखों पर
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

क्र.सं.	उप-शीर्ष	स्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत
103	3601.06.797.05 - सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (सी आर आई एफ) में हस्तांतरण	1,535.07	0.00	1,535.07
104	6217.60.190.01 - एमआरटीएस और मेट्रो परियोजनाएं	15,543.09	14,648.31	894.78
अनुदान संख्या 61 - जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग				
105	3601.06.101.92 - प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और राष्ट्रीय/विशेष परियोजनाएँ	3,181.93	2,090.47	1,091.46
अनुदान संख्या 62 - पेयजल और स्वच्छता विभाग				
106	3601.06.101.54 - जल जीवन मिशन	16,485.53	4,972.33	11,513.20
107	3601.06.101.55 - स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण)	4,861.27	1,253.59	3,607.68
108	3601.06.789.46 - जल जीवन मिशन	6,951.56	1,455.13	5,496.43
109	3601.06.789.47 - स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण)	1,926.37	400.32	1,526.05
110	3601.06.796.48 - जल जीवन मिशन	3,159.80	1,050.33	2,109.47
111	3601.06.796.49 - स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण)	872.08	280.67	591.41
112	3601.06.797.04 - सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (सी आर आई एफ) में हस्तांतरण	45,243.80	28,536.62	16,707.18
113	3602.06.797.03 - सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (सी आर आई एफ) में हस्तांतरण	786.00	120.00	666.00
अनुदान संख्या 63 - श्रम और रोजगार मंत्रालय				
114	2230.02.101.10 - रोजगार प्रोत्साहन योजना	650.84	143.85	506.99
अनुदान संख्या 67 - सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय				
115	2851.00.102.99 - अवसंरचना विकास कार्यक्रम	968.16	388.14	580.02
अनुदान संख्या 75 - पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय				
116	2802.80.102.08 - एलपीजी के लिए डीबीटी	10,907.52	154.75	10,752.77
117	2802.80.789.01 - एलपीजी के लिए डीबीटी	1,035.84	14.70	1,021.14
118	2802.80.796.01 - एलपीजी के लिए आदिवासी उप योजना डीबीटी के लिए विशेष केंद्रीय सहायता	536.64	7.61	529.03
अनुदान संख्या 85 - सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय				
119	5054.80.797.03 - राष्ट्रीय राजमार्ग निधि के मुद्रीकरण के लिए हस्तांतरण	10,000.00	5,000.00	5,000.00

संघ सरकार के वित्त वर्ष 2021-22 के लेखों पर
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

क्र.सं.	उप-शीर्ष	स्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत
अनुदान संख्या 86 - ग्रामीण विकास विभाग				
120	2505.02.789.02 - जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों/जिला कार्यक्रम समन्वयकों एवं अन्य को सहायता	14,960.00	13,772.11	1,187.89
121	3601.06.101.27 - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	4,210.55	3,237.90	972.65
122	3601.06.789.27 - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	2,983.41	2,304.95	678.46
123	3601.06.796.27 - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	2,081.37	1,405.85	675.52
अनुदान संख्या 92 - सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग				
124	3601.06.789.34 - अनुसूचित जातियों के विकास के लिए अंब्रेला योजना	6,310.20	4,954.14	1,356.06
अनुदान संख्या 94 - अंतरिक्ष विभाग				
125	5402.00.101.35 - मानवयुक्त मिशन पहल/मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम (गगनयान)	1,893.74	969.15	924.59
अनुदान संख्या 95 - सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय				
126	2553.00.101.01 - अनुदान सहायता	2,345.18	1,732.12	613.06
अनुदान संख्या 98 - पर्यटन मंत्रालय				
127	3452.80.104.01 - प्रत्यक्ष व्यय	650.47	47.17	603.30
अनुदान संख्या 99 - जनजातीय मामलों के मंत्रालय				
128	3601.06.794.01 - अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए अंब्रेला कार्यक्रम: विशेष केंद्रीय सहायता	1,170.40	660.40	510.00
	कुल	37,00,290.72	19,45,773.96	17,54,516.76

अनुलग्नक 4.3 ख
(पैराग्राफ 4.2.2.2 देखें)

लघु/उप-शीर्ष स्तर पर ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक की अन्य महत्वपूर्ण बचत

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	उप-शीर्ष	स्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत
अनुदान संख्या 1 - कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग				
1	2401.00.119.55 - हरित क्रांति-कृष्णोन्नति योजना	382.07	252.33	129.74
2	2401.00.789.36 - एमआईएस/पीएसएस का कार्यान्वयन	224.10	0.00	224.10
3	2401.00.789.43 - कृषि अवसंरचना निधि	149.40	0.37	149.03
4	2401.00.796.38 - एमआईएस/पीएसएस का कार्यान्वयन	116.10	0.00	116.10
5	2401.00.800.51 - कल्याणकारी योजनाओं के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दालों का वितरण	201.96	50.00	151.96
6	2401.00.800.52 - प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)	100.98	0.00	100.98
7	3601.06.789.37 - प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-प्रति बूंद अधिक फसल (पीएमकेएसवाई)	598.92	240.48	358.44
8	3601.06.789.38 - हरित क्रांति-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	546.62	345.69	200.93
9	3601.06.796.42 - हरित क्रांति-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	262.02	151.08	110.94
10	3601.08.111.22 - प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)	168.30	0.00	168.30
11	3602.06.101.37 - हरित क्रांति-कृष्णोन्नति योजना	259.22	71.47	187.75
अनुदान संख्या 3 - परमाणु ऊर्जा				
12	4801.03.105.02 - कुडनकुलम में रिएक्टर परियोजनाओं से दूर	153.93	21.12	132.81
13	4861.03.212.04 - अपशिष्ट उपचार, उन्नत ईंधन, ईंधन पुनर्संसाधन परियोजनाएं (बीएआरसी)	470.00	218.02	251.98
अनुदान संख्या 4 - आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय				
14	2210.05.200.23 - चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना	150.00	19.13	130.87
अनुदान संख्या 6 - उर्वरक विभाग				
15	6855.00.190.15 - हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड	444.58	81.56	363.02
अनुदान संख्या 8 - नागरिक उड्डयन मंत्रालय				
16	3053.80.001.11 - पूर्ववर्ती एयर इंडिया के सेवानिवृत्त कर्मचारी	165.00	45.00	120.00
अनुदान संख्या 10 - वाणिज्य विभाग				
17	3453.00.194.03 - निर्यात संवर्धन और बाजार विकास संगठनों को सहायता अनुदान	377.00	234.07	142.93
18	3453.00.194.10 - कृषि निर्यात नीति का कार्यान्वयन	100.00	0.00	100.00

संघ सरकार के वित्त वर्ष 2021-22 के लेखों पर
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

क्र.सं.	उप-शीर्ष	स्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत
अनुदान संख्या 11 - उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभाग				
19	2852.80.800.40 - मेक इन इंडिया	421.32	231.78	189.54
20	2885.02.101.19 - जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र का औद्योगिक विकास	104.50	1.79	102.71
अनुदान संख्या 14 - उपभोक्ता मामले विभाग				
21	3456.00.001.04 - उपभोक्ता कल्याण निधि के अन्तर्गत परियोजनाएँ	263.50	37.00	226.50
अनुदान संख्या 15 - खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग				
22	2408.01.102.17 - इथेनॉल उत्पादन क्षमता में वृद्धि और वृद्धि के लिए चीनी मिलों को वित्तीय सहायता देने की योजना	300.00	160.00	140.00
अनुदान संख्या 18 - रक्षा मंत्रालय (सिविल)				
23	3054.02.797.01 - सीमा सड़क के अंतर्गत कार्य	105.00	0.00	105.00
अनुदान संख्या 21 - रक्षा पेंशन				
24	2071.02.103.03 - अवकाश नकदीकरण	571.82	336.33	235.49
अनुदान संख्या 22 - पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय				
25	3601.08.103.02 - पूर्वोत्तर सड़क क्षेत्र विकास योजना के लिए ईएपी	321.65	214.04	107.61
अनुदान संख्या 23 - पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय				
26	3455.00.001.06 - वायुमंडल और जलवायु अनुसंधान-मॉडलिंग अवलोकन प्रणाली और सेवाएं (ACROSS)	337.00	173.33	163.67
अनुदान संख्या 24 - स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग				
27	2202.02.004.04 - स्वायत्त निकायों को अनुदान	498.00	319.74	178.26
28	3601.06.101.66 - पढ़ना लिखना अभियान	133.08	0.00	133.08
29	3601.06.789.59 - समग्र शिक्षा - माध्यमिक शिक्षा	891.02	470.47	420.55
अनुदान संख्या 25 - उच्चतर शिक्षा विभाग				
30	2202.03.102.23 - उच्च शिक्षा	1,594.40	1,153.26	441.14
31	2202.03.789.28 - उच्च शिक्षा	336.00	225.59	110.41
32	2202.05.102.13 - भारतीय भाषाओं के प्रचार के लिए अनुदान	356.70	167.02	189.68
33	2202.80.789.19 - छात्र वित्तीय सहायता	307.10	84.50	222.60
34	2202.80.796.21 - छात्र वित्तीय सहायता	156.55	29.06	127.49
35	2202.80.800.44 - डिजिटल इंडिया ई-लर्निंग	459.88	268.60	191.28
36	2203.00.003.09 - शिक्षुता प्रशिक्षण छात्रवृत्ति और छात्रवृत्ति के लिए कार्यक्रम	370.00	66.91	303.09
37	2203.00.004.05 - अनुसंधान और नवाचार	152.20	43.96	108.24
38	3601.06.789.33 - राष्ट्रीय शिक्षा मिशन: राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा)	512.60	48.34	464.26

संघ सरकार के वित्त वर्ष 2021-22 के लेखों पर
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

क्र.सं.	उप-शीर्ष	स्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत
39	3601.06.796.33 - राष्ट्रीय शिक्षा मिशन: राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा)	278.90	26.00	252.90
अनुदान संख्या 26 - इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय				
40	2852.07.789.17 - इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी हार्डवेयर मैनुफैक्चरिंग (एम एस आई पी एस , ई डी एफ और क्लस्टर मैनुफैक्चरिंग) को बढ़ावा	208.43	0.00	208.43
41	2852.07.796.17 - इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी हार्डवेयर मैनुफैक्चरिंग (एम एस आई पी एस , ई डी एफ और मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर) को बढ़ावा देना	158.53	0.00	158.53
अनुदान संख्या 27 - पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय				
42	3435.04.104.04 - राष्ट्रीय तटीय प्रबंधन कार्यक्रम	180.00	27.79	152.21
अनुदान संख्या 28 - विदेश मंत्रालय				
43	2061.00.105.01 - केंद्रीय पासपोर्ट संगठन	1,139.33	771.84	367.49
44	2061.00.106.02 - उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल	212.00	0.89	211.11
45	2061.00.188.01 - भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद	300.00	148.35	151.65
46	2061.00.798.06 - दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय	314.00	99.98	214.02
47	3605.00.101.12 - श्रीलंका-अन्य सहायता कार्यक्रम	200.00	48.56	151.44
48	3605.00.101.20 - अफ्रीकी देशों को सहायता	300.00	141.92	158.08
49	3605.00.101.24 - निवेश प्रोत्साहन और प्रचार कार्यक्रम	270.00	165.23	104.77
50	3605.00.101.33 - अफगानिस्तान को सहायता	350.00	166.37	183.63
51	3605.00.101.41 - सेशेल्स को सहायता	160.00	18.46	141.54
52	4216.01.700.18 - विदेश मामले	350.00	185.45	164.55
53	7605.00.097.01 - भूटान में चल रही हाइड्रो-पावर परियोजनाओं के लिए ऋण	880.75	443.42	437.33
अनुदान संख्या 29 - आर्थिक कार्य विभाग				
54	3475.00.115.01 - अवसंरचना विकास के लिए सहायता - वायबिलिटी गैप फंडिंग	240.00	29.77	210.23
55	5465.01.190.51 - एनआईआईएफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म में पूंजी निवेश	1,000.00	700.00	300.00
56	5466.00.207.07 - अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता (भारत के कोटा वृद्धि के खिलाफ एसडीआर खरीद)	168.00	0.00	168.00
अनुदान संख्या 31 - वित्तीय सेवा विभाग				
57	2235.60.102.04 - वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजना के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम को भुगतान	410.02	65.00	345.02
58	2885.01.101.10 - भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत दिए गए शिशु ऋणों के शीघ्र पुनर्भुगतान पर 2% की ब्याज सहायता में सब्सिडी	310.00	0.00	310.00

संघ सरकार के वित्त वर्ष 2021-22 के लेखों पर
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

क्र.सं.	उप-शीर्ष	स्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत
अनुदान संख्या 34 - प्रत्यक्ष कर				
59	2020.00.001.03 - संगठन और प्रबंधन सेवाएं	872.73	399.47	473.26
60	4059.01.051.20 - आयकर विभाग के लिए भूमि का अधिग्रहण और कार्यालय भवन का निर्माण	225.12	99.40	125.72
अनुदान संख्या 35 - अप्रत्यक्ष कर				
61	2037.00.114.01 - अन्य योजना (आरओएसएल) के तहत राज्य लेवी योजना पर छूट के तहत स्क्रिप जारी करना	264.00	99.41	164.59
62	2037.00.114.04 - फोकस मार्केट स्कीम के तहत स्क्रिप जारी करना	175.27	4.46	170.81
63	2037.00.114.05 - विशेष कृषि और ग्राम उद्योग योजना के तहत स्क्रिप जारी करना	136.15	0.67	135.48
64	2037.00.114.06 - हैसियत धारक प्रोत्साहन योजना (एस एच आई एस) के तहत स्क्रिप जारी करना	378.90	5.03	373.87
अनुदान संख्या 37 - विनियोग - ब्याज अदायगियां				
65	2049.60.701.01 - एसडीआर के उपयोग के लिए आईएमएफ को देय शुल्क	300.00	0.00	300.00
अनुदान संख्या 38 - विनियोग - ऋण की पुनर्अदायगी				
66	6001.00.130.01 - नकद भुगतान योजना	380.00	19.36	360.64
अनुदान संख्या 40 - राज्यों को अंतरण				
67	7601.09.103.01 - प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत के लिए अग्रिम सहायता के रूप में ऋण (राज्य)	100.00	0.00	100.00
अनुदान संख्या 42 - पशुपालन और डेयरी विभाग				
68	2404.00.102.24 - दिल्ली दुग्ध योजना	457.00	299.80	157.20
अनुदान संख्या 43 - खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय				
69	2408.01.103.22 - सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम (पीएमएफएमई) योजना का पीएम फॉर्मलाइजेशन	227.00	95.57	131.43
अनुदान संख्या 44 - स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग				
70	2210.06.800.52 - स्वास्थ्य क्षेत्र आपदा तैयारी और प्रतिक्रिया	158.88	33.21	125.67
71	2210.80.796.02 - आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) - राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण	620.86	241.60	379.26
72	2211.00.797.03 - प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि (पीएमएसएसएन) में अंतरण हेतु निधि	111.44	0.00	111.44
73	3601.06.101.18 - राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन	676.39	357.69	318.70
74	3602.06.101.15 - स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन	102.57	0.00	102.57
75	4210.04.200.32 - आपातकालीन महामारी की तैयारी और प्रतिक्रिया	481.16	213.17	267.99

संघ सरकार के वित्त वर्ष 2021-22 के लेखों पर
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

क्र.सं.	उप-शीर्ष	स्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत
अनुदान संख्या 48 - गृह मंत्रालय				
76	3601.08.111.04 - आपदा तैयारी	296.00	172.08	123.92
अनुदान संख्या 49 - मंत्रिमंडल				
77	4070.00.001.15 - विशेष अतिरिक्त सत्र उड़ान संचालन	137.00	12.66	124.34
अनुदान संख्या 50 - पुलिस				
78	2055.00.104.05 - अनुसंधान	834.63	592.51	242.12
79	3601.06.101.12 - सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	565.36	200.00	365.36
80	3601.08.111.06 - निर्भया कोष से वित्तपोषित योजनाएँ	405.77	109.83	295.94
81	3602.08.104.01 - निर्भया कोष से वित्तपोषित योजनाएँ	284.45	0.12	284.33
82	4055.00.201.02 - आवासीय भवन	421.40	250.08	171.32
83	4055.00.201.03 - सामान्य	610.86	426.74	184.12
84	4055.00.210.09 - केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल आयुर्विज्ञान संस्थान	300.20	200.00	100.20
अनुदान संख्या 51 - अंडमान और निकोबार द्वीप समूह				
85	3225.60.101.01 - सैटेलाइट ट्रांसपोंडर को किराए पर लेना	200.00	0.00	200.00
86	5052.80.201.01 - जहाजों की खरीद	141.80	1.79	140.01
अनुदान संख्या 53 - दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव				
87	2515.00.196.02 - पंचायतें	422.61	230.55	192.06
अनुदान संख्या 59 - आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय				
88	2217.05.001.02 - स्वच्छ भारत मिशन	184.97	59.34	125.63
अनुदान संख्या 60 - सूचना और प्रसारण मंत्रालय				
89	2221.80.102.05 - प्रसारण अवसंरचना और नेटवर्क विकास (बीआईएनडी)	281.00	161.68	119.32
अनुदान संख्या 61 - जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग				
90	3435.04.101.06 - राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना	857.69	505.83	351.86
91	3601.06.101.93 - प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन	200.00	100.00	100.00
92	3601.06.796.30 - प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और राष्ट्रीय/विशेष परियोजना	240.00	88.50	151.50
93	4702.00.800.06 - भूजल प्रबंधन और विनियमन	204.00	98.05	105.95
अनुदान संख्या 62 - पेयजल और स्वच्छता विभाग				
94	3602.06.101.43 - जल जीवन मिशन	284.24	0.00	284.24
95	3602.06.101.44 - स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण)	231.00	92.00	139.00
अनुदान संख्या 63 - श्रम और रोजगार मंत्रालय				
96	2230.02.789.03 - रोजगार प्रोत्साहन योजना	159.46	46.78	112.68
अनुदान संख्या 67 - सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय				
97	2851.00.102.95 - प्रौद्योगिकी उन्नयन और गुणवत्ता प्रमाणन	302.97	112.53	190.44

संघ सरकार के वित्त वर्ष 2021-22 के लेखों पर
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

क्र.सं.	उप-शीर्ष	स्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत
अनुदान संख्या 69 - अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय				
98	2225.04.102.05 - प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके)	192.02	64.57	127.45
अनुदान संख्या 70 - नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय				
99	2810.00.101.02 - ऑफ-ग्रिड/वितरित और विकेन्द्रीकृत अक्षय ऊर्जा	774.00	539.74	234.26
100	2810.00.789.05 - ग्रिड इंटरएक्टिव रिन्यूएबल पावर	406.00	226.00	180.00
101	2810.00.796.03 - ग्रिड इंटरएक्टिव रिन्यूएबल पावर	398.00	203.66	194.34
अनुदान संख्या 73 - कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय				
102	2052.00.090.05 - कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	330.93	229.64	101.29
अनुदान संख्या 77 - बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय				
103	3051.01.108.01 - श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता द्वारा हल्दिया चैनल में रखरखाव और निकर्षण	183.00	81.38	101.62
104	3056.00.190.01 - भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को अनुदान	153.00	0.00	153.00
105	3056.00.190.09 - जल मार्ग विकास परियोजना के लिए आईडब्ल्यूआई को अनुदान	145.00	0.00	145.00
106	3056.00.190.10 - जल मार्ग विकास परियोजना के लिए विश्व बैंक से सहायता	150.00	0.00	150.00
अनुदान संख्या 78 - विद्युत मंत्रालय				
107	2801.05.789.01 - एकीकृत विद्युत विकास योजना	680.00	316.98	363.02
108	2801.05.796.03 - एकीकृत विद्युत विकास योजना	376.00	150.00	226.00
109	6552.00.204.03 - पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन - एकीकृत विद्युत विकास योजना के लिए	123.54	0.00	123.54
अनुदान संख्या 80 - लोक सभा				
110	2011.01.102.01 - सचिवालय	520.50	371.65	148.85
अनुदान संख्या 85 - सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय				
111	3055.00.797.01 - केंद्रीय सड़क निधि में अंतरण के लिए ब्लॉक अनुदान	316.00	158.41	157.59
112	5054.01.337.06 - केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि से वित्तपोषित केंद्र शासित प्रदेश बिना विधानसभा वाली सरकारें	275.56	17.50	258.06
अनुदान संख्या 86 - ग्रामीण विकास विभाग				
113	2505.02.101.09 - क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता	400.00	0.62	399.38
114	2515.00.800.25 - ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए प्रबंधन सहायता और जिला योजना प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाना	352.45	97.34	255.11
115	3601.06.101.29 - श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरुबन मिशन	409.98	149.00	260.98
116	3601.06.102.27 - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	718.89	406.68	312.21

संघ सरकार के वित्त वर्ष 2021-22 के लेखों पर
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

क्र.सं.	उप-शीर्ष	स्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत
117	3602.06.101.28 - महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	221.56	95.24	126.32
अनुदान संख्या 87 - भूमि संसाधन विभाग				
118	3601.06.101.53 - प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - जलविभाजन विकास घटक	1,176.30	748.16	428.14
119	3601.06.789.45 - प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - जलविभाजन विकास घटक	323.70	209.39	114.31
अनुदान संख्या 88 - विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग				
120	3425.60.200.70 - नवाचार, प्रौद्योगिकी विकास और परिनियोजन	685.50	507.93	177.57
121	3425.60.600.10 - अंतःविषय साइबर भौतिक प्रणाली पर राष्ट्रीय मिशन	270.00	0.00	270.00
अनुदान संख्या 89 - जैव प्रौद्योगिकी विभाग				
122	3425.60.200.37 - औद्योगिक और उद्यमिता विकास	950.00	706.43	243.57
अनुदान संख्या 91 - कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय				
123	3601.06.101.36 - प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	499.93	170.20	329.73
अनुदान संख्या 92 - सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग				
124	2225.01.789.28 - अनुसूचित जाति के लिए यंग अचीवर्स स्कीम (श्रेयस) के लिए उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति	441.00	271.21	169.79
125	2225.01.789.30 - अनुसूचित जातियों के लिए लक्षित क्षेत्र (SRESHTA) में हाई स्कूल के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना	196.00	38.04	157.96
126	2235.02.105.03 - ड्रग डिमांड रिडक्शन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर)	206.00	90.87	115.13
127	4225.01.789.02 - कमजोर वर्गों के लिए राष्ट्रीय वित्त विकास निगम	150.00	5.00	145.00
128	4225.80.190.16 - कमजोर वर्गों के लिए राष्ट्रीय वित्त विकास निगम	100.00	0.00	100.00
अनुदान संख्या 94 - अंतरिक्ष विभाग				
129	5402.00.101.07 - तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र	287.57	175.74	111.83
130	5402.00.101.37 - सेमी क्रायोजेनिक इंजन विकास	298.18	124.77	173.41
131	5402.00.101.48 - इसरो प्रणोदन परिसर	332.28	171.25	161.03
132	5402.00.102.01 - अंतरिक्ष उपयोग केंद्र	309.30	157.35	151.95
अनुदान संख्या 95 - सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय				
133	3454.02.204.19 - क्षमता विकास (सीएसओ का क्षमता विकास और संस्थागत विकास एवं क्षमता निर्माण)	545.22	233.19	312.03

संघ सरकार के वित्त वर्ष 2021-22 के लेखों पर
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

क्र.सं.	उप-शीर्ष	स्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत
अनुदान संख्या 98 - पर्यटन मंत्रालय				
134	3452.01.101.14 - स्वदेश दर्शन - थीम आधारित पर्यटन परिपथों का एकीकृत विकास	378.00	227.37	150.63
135	3452.01.102.13 - चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना	190.00	67.00	123.00
अनुदान संख्या 99 - जनजातीय मामलों के मंत्रालय				
136	3601.06.796.37 - अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए अंब्रेला कार्यक्रम: वन बंधु कल्याण योजना	268.50	142.66	125.84
137	3601.08.796.05 - संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रावधान के तहत अनुदान- अनुसूचित जनजाति का कल्याण	1,118.96	750.80	368.16
अनुदान संख्या 100 - महिला एवं बाल विकास मंत्रालय				
138	2235.02.102.49 - सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (अम्ब्रेला आईसीडीएस-आंगनवाड़ी सेवाएं, पोषण अभियान, किशोरियों के लिए योजना, राष्ट्रीय क्रेच)	570.00	74.07	495.93
139	2235.02.102.50 - मिशन वात्सल्य (बाल संरक्षण सेवा एवं बाल कल्याण सेवा)	250.00	130.08	119.92
140	3601.06.101.82 - मिशन शक्ति (महिलाओं के संरक्षण और अधिकारिता के लिए मिशन)	424.00	51.90	372.10
141	3602.06.101.65 - सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (अम्ब्रेला आईसीडीएस-आंगनवाड़ी सेवाएं, पोषण अभियान, किशोरियों के लिए योजना, राष्ट्रीय क्रेच)	679.00	489.63	189.37
	कुल	51,501.23	22,782.43	28,718.80

अनुलग्नक 4.4
(पैराग्राफ 4.3 देखें)

लघु /उप-शीर्षों के अंतर्गत अनावश्यक पूरक प्रावधान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	लघु/उप-शीर्ष	मूल प्रावधान	पूरक प्रावधान	संवितरण	बचत
1	3	4861.01.204.22 -भारी पानी का परिचालन व्यय	1,452.40	36.06	1,392.76	95.70
2	3	4861.03.212.06 -तेजी से रिएक्टर ईंधन चक्र सुविधा (एफ आर एफ सी एफ) कलपककम	600.00	10.00	430.82	179.18
3	3	4861.03.212.08 - विकिरण और आइसोटोप उत्पादन (ब्रिट)	38.06	10.00	27.14	20.92
4	3	4861.03.212.09-ईंधन पुनर्चक्रण परियोजनाएं (एनआरबी)	650.00	90.00	646.13	93.87
5	3	5401.00.401.04 - अन्वेषण और अनुसंधान के लिए परमाणु खनिज निदेशालय की आर एंड डी परियोजनाएं	100.00	14.96	92.31	22.65
6	10	3453.00.194.06 - बोर्ड प्राधिकरण और स्वायत्त निकाय	277.63	16.06	227.92	65.77
7	10	7465.00.190.02 - खनिज एवं धातु व्यापार निगम	0.00	80.01	0.00	80.01
8	18	2052.00.092.03 - रक्षा संपदा संगठन	348.55	16.93	346.22	19.26
9	19	2076.00.105 - परिवहन	4,099.70	300.00	4,055.77	343.93
10	19	2076.00.800-अन्य व्यय	3,456.37	44.89	3,291.00	210.26
11	19	2077.00.104-नागरिकों के वेतन और भत्ते	3,088.33	151.00	2,641.78	597.55
12	19	2077.00.112 - संयुक्त स्टाफ	3,339.51	50.00	3,142.88	246.63
13	19	2078.00.800-अन्य व्यय	857.80	56.33	730.13	184.00
14	20	4076.01.202 - निर्माण कार्य	18.00	19.33	6.43	30.90

संघ सरकार के वित्त वर्ष 2021-22 के लेखों पर
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

क्र. सं.	अनुदान संख्या	लघु/उप-शीर्ष	मूल प्रावधान	पूरक प्रावधान	संवितरण	बचत
15	23	5403.00.101.11-गहरा महासागर मिशन	0.00	30.00	0.00	30.00
16	23	5455.00.101.06-वातावरण और जलवायु अनुसंधान-मॉडलिंग अवलोकन प्रणाली और सेवाएं (across)	123.00	31.00	73.67	80.33
17	34	2020.00.101.01-आयुक्त एवं उनके कार्यालय	6,912.05	26.55	6,781.23	157.37
18	35	2037.00.109.01-उत्पादों पर शुल्कों और करों में छूट (आरओडीटीईपी) योजना के तहत स्क्रिप जारी करना	13,000.00	2,022.01	12,016.64	3,005.37
19	35	4059.01.051.22-सीमा शुल्क और सीजीएसटी आयुक्तालय के लिए कार्यालय भवनों का निर्माण	134.03	51.40	125.09	60.34
20	36	4216.01.110.01-तैयार फ्लैटों का अधिग्रहण	10.95	30.00	7.63	33.32
21	39	2071.01.115.04-साधारण पेंशन (एआईएस)	75.24	10.00	70.23	15.01
22	44	2210.01.110.19-सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली	1,413.17	47.20	1,361.25	99.12
23	44	2210.01.110.20-डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली	698.10	63.89	615.89	146.10
24	44	2210.05.105.28 - अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली	3,800.00	30.00	3,704.49	125.51
25	44	4210.04.200.08-राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र	59.50	34.00	23.42	70.08
26	44	4210.04.200.29-स्वास्थ्य क्षेत्र आपदा तैयारी और प्रतिक्रिया	52.82	30.50	6.58	76.74
27	47	4875.60.190.08 - स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) पर इन्विटी निवेश	0.00	150.00	0.00	150.00
28	50	2055.00.001.06-खुफिया ब्यूरो	2,755.44	40.45	2,506.51	289.38

संघ सरकार के वित्त वर्ष 2021-22 के लेखों पर
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

क्र. सं.	अनुदान संख्या	लघु/उप-शीर्ष	मूल प्रावधान	पूरक प्रावधान	संवितरण	बचत
29	50	2055.00.001.07-आसूचना ब्यूरो	575.10	73.50	526.01	122.59
30	50	2055.00.103.01 - स्थापना एवं प्रशासन	5,894.98	63.98	5,892.08	66.88
31	61	2701.80.190.03-नदी को आपस में जोड़ना	0.00	4,300.00	0.00	4,300.00
32	63	2230.01.789.20- सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ	639.10	143.31	630.80	151.61
33	75	2802.02.104.01-इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड (आईजीजीएल) उत्तर पूर्व प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड का हिस्सा	850.00	350.00	850.00	350.00
34	78	2801.80.102.01-सांविधिक प्राधिकरण	394.04	70.00	196.43	267.61
35	85	5054.01.190.01 - भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	57,350.00	4,710.00	57,055.27	5,004.73
36	85	5054.01.337.01-रोड विंग के अंतर्गत कार्य	6,100.00	712.00	5,190.13	1621.87
37	90	3425.60.151.02-राष्ट्रीय प्रयोगशालाएँ	4,669.27	83.45	4,605.27	147.45
38	91	4070.00.800.26- सचिवालय-कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	45.00	18.00	19.00	44.00
39	92	2235.02.104.30-अटल वयो अभ्युदय योजना (अव्यय)	292.50	99.48	160.50	231.48
40	101	2204.00.001.01 - नेहरू युवा केंद्र संगठन	326.50	38.50	318.12	46.88
कुल			1,24,497.14	14,154.79	1,19,767.53	18,884.40

अनुलग्नक 4.5 क
(पैराग्राफ 4.4 देखें)

अवयस्क/उप-शीर्षों का पुनर्विनियोजन जो अनुपयोगी होने के कारण अविवेकपूर्ण थे
(पुनर्विनियोजन ₹10 करोड़ या उससे अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लघु /उप-शीर्ष	शीर्ष के पुनर्विनियोजन की राशि	शीर्ष के तहत अंतिम बचत
अनुदान संख्या 13 - दूरसंचार विभाग			
1	2071.01.102.01- साधारण पेंशन	107.20	259.78
अनुदान संख्या 18 - रक्षा मंत्रालय (सिविल)			
2	2052.00.092.02-रक्षा लेखा विभाग	45.59	88.81
3	4047.00.037.01-तट रक्षक संगठन	38.95	86.22
अनुदान संख्या 19-रक्षा सेवाएं			
4	2076.00.113 - राष्ट्रीय कैडेट कोर	68.79	70.16
5	2076.00.800-अन्य व्यय	164.74	375.00
अनुदान संख्या 25 - उच्च शिक्षा विभाग			
6	2203.00.107.02 - छात्र वित्तीय सहायता	12.30	27.36
7	2203.00.789.81-राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (एनआईटीएस) और आईआईईएसटी को सहायता	32.41	39.76
अनुदान संख्या 26 - इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय			
8	2852.07.102.02- इलेक्ट्रॉनिक शासन कार्यक्रम	130.01	158.57
9	2852.07.789.10- इलेक्ट्रॉनिक शासन कार्यक्रम	15.00	35.57
10	2852.07.796.10- इलेक्ट्रॉनिक शासन कार्यक्रम	15.00	28.48
अनुदान संख्या 28 - विदेश मंत्रालय			
11	3605.00.101.13-मालदीव को सहायता	10.00	13.90
12	3605.00.101.32-लैटिन अमेरिकी देशों को सहायता	15.00	17.31
अनुदान संख्या 35 - अप्रत्यक्ष कर			
13	2042.00.101.01-आयुक्तालय	20.99	60.87
अनुदान संख्या 44 - स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग			
14	2210.06.106.02- पाश्चर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, कुन्नूर को अनुदान	13.20	23.08
15	3601.06.101.65-आशा लाभ पैकेज	27.99	202.28
16	3601.06.796.60-आशा लाभ पैकेज	10.90	25.27
17	3601.06.797.08- प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि (पीएमएसएसएन) में अंतरण के लिए निधि	1,687.10	17,611.03
18	4210.03.797.02- सेंट्रल रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (सी आर आई एफ) से सहायता	50.00	50.87

संघ सरकार के वित्त वर्ष 2021-22 के लेखों पर
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

क्र. सं.	लघु /उप-शीर्ष	शीर्ष के पुनर्विनियोजन की राशि	शीर्ष के तहत अंतिम बचत
अनुदान संख्या 48- गृह मंत्रालय			
19	2070.00.109.05- राष्ट्रीय एकता से संबंधित गतिविधियाँ	19.60	25.08
अनुदान संख्या 49 - मंत्रिमंडल			
20	2013.00.108.04- विशेष अतिरिक्त सत्र उद्घाटन संचालन	214.61	224.88
अनुदान संख्या 50 - पुलिस			
21	2055.00.800.06-अन्य सरकारों/विभागों को भुगतान किया गया शुल्क	20.00	20.00
22	2055.00.800.15-निर्भया निधि परियोजना	11.57	23.10
23	4055.00.216.10-खुफिया ब्यूरो	11.31	12.57
अनुदान संख्या 63 - श्रम और रोजगार मंत्रालय			
24	2230.01.796.20- सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ	13.23	79.49
अनुदान संख्या 94 - अंतरिक्ष विभाग			
25	5402.00.105.12- जीसैट-20 उपग्रह	16.58	21.32
	कुल	2,772.07	19,580.76

अनुलग्नक 4.5 ख
(पैराग्राफ 4.4 देखें)

लघु/उप-शीर्षों से पुनर्विनियोजन जिसके परिणामस्वरूप अंतिम अधिक व्यय हुआ
(पुनर्विनियोजन ₹10 करोड़ या उससे अधिक)

(₹ करोड़ में)

अनुदान/विनियोग	लघु /उप-शीर्ष	कुल प्रावधान	शीर्ष से पुनर्विनियोजन की राशि	शीर्ष के अंतर्गत अंतिम अतिरिक्त व्यय
12-डाक विभाग	3201.02.104.01-अनुसंधान एवं विकास	211.52	13.96	21.64
62- पेयजल और स्वच्छता विभाग	2215.01.797.01-केंद्रीय सड़क एवं बुनियादी ढांचा कोष (सी आर आई एफ) में हस्तांतरण	20,826.00	1,019.75	16,707.18
	कुल	21,037.25	1,033.71	16,728.82

अनुलग्नक 4.6
(पैराग्राफ 4.5 देखें)

धन के पर्याप्त प्रावधान के बिना किया गया व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लघु/उप शीर्ष	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	अंतिम अतिरिक्त व्यय
अनुदान संख्या 3 - परमाणु ऊर्जा				
1	5401.00.401.01 - भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बीएआरसी) की अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं	1,046.28	1,083.47	37.19
अनुदान संख्या 6 - उर्वरक विभाग				
2	2852.03.101.06 - यूरिया सब्सिडी	87,346.85	91,655.67	4,308.82
3	2852.03.789.06 - यूरिया सब्सिडी	8,303.33	8,712.52	409.19
4	2852.03.796.06 - यूरिया सब्सिडी	4,301.73	4,513.72	211.99
अनुदान संख्या 12 - डाक विभाग				
5	3201.02.101.01 - मौजूदा डाकघर	8,766.99	8,834.19	67.20
6	3201.02.101.10- ग्रामीण डाक सेवक	5,537.82	5,803.07	265.25
7	3201.04.101.01 - लेखापरीक्षा कर्मचारियों के वेतन और भत्तों की लागत	118.00	152.22	34.22
8	3201.07.101.01-सेवानिवृत्ति और सेवानिवृत्ति भत्ते	5,030.30	5,216.59	186.29
9	3201.07.102.01 - पेंशन का परिवर्तित मूल्य	652.82	705.58	52.76
10	3201.07.104.01 - उपदान	1,095.32	1,229.16	133.84
11	3201.07.108.01- अवकाश नकदीकरण लाभ	522.76	565.14	42.38
12	3201.08.101.02 - डाक टिकटों की छपाई और ओवर प्रिंटिंग की लागत	17.96	62.82	44.86
13	5201.00.104.62-परियोजना प्रबंधन इकाई	489.53	525.19	35.66
अनुदान संख्या 13 - दूरसंचार विभाग				
14	2071.01.105.02 - पारिवारिक पेंशन	1,817.49	2,323.28	505.79
अनुदान संख्या 19 - रक्षा सेवाएँ				
15	2078.00.110-स्टोर	12,618.05	12,757.24	139.19
अनुदान संख्या 20 - रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय				
16	4076.01.050-भूमि	349.93	397.66	47.73
17	4076.01.202 - निर्माण कार्य	4,445.24	4,482.25	37.01
18	4076.02.050-भूमि	2.00	36.56	34.56
19	4076.02.202-निर्माण कार्य	1,360.53	1,411.25	50.72
20	4076.03.103-अन्य उपकरण	18,805.02	18,946.56	141.54
अनुदान संख्या 21 - रक्षा पेंशन				
21	2071.02.101.01 - पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	96,684.55	97,036.94	352.39
22	2071.02.102.03 - अवकाश नकदीकरण लाभ	324.16	352.09	27.93

संघ सरकार के वित्त वर्ष 2021-22 के लेखों पर
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

क्र.सं.	लघु/उप शीर्ष	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	अंतिम अतिरिक्त व्यय
23	2071.02.103.01 - पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	9,927.28	10,095.36	168.08
विनियोग संख्या 37 - ब्याज भुगतान				
24	2049.03.104.02 - अन्य राज्य भविष्य निधि	5,271.32	6,110.05	838.73
अनुदान संख्या 39-पेंशन				
25	2071.01.101.01 - साधारण पेंशन	29,701.75	30,084.43	382.68
26	2071.01.104.01 - साधारण पेंशन	5,340.05	5,443.89	103.84
27	2071.01.105.02 - पारिवारिक पेंशन	8,710.37	8,774.93	64.56
28	2071.01.115.01 - साधारण पेंशन	2,793.00	2,913.41	120.41
29	2071.01.117.01 - सरकारी अंशदान	7,096.00	7,175.46	79.46
अनुदान संख्या 86-ग्रामीण विकास विभाग				
30	2505.02.797.01 - राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कोष में हस्तांतरण	98,000.00	98,467.85	467.85
कुल				9,392.12

अनुलग्नक 4.7
(पैराग्राफ 4.6 देखें)

वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन बचत का अभ्यर्पण और गैर-अभ्यर्पण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या और विवरण	कुल बचत	कुल अभ्यर्पण	अंतिम दिन अभ्यर्पित राशि	राशि अभ्यर्पित नहीं की गई
1.	01-कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग	8,177.19	5,152.60	5,152.60	3,024.59
2.	03-परमाणु ऊर्जा	1,489.05	1,199.56	0.00	289.49
3.	08-नागरिक उड्डयन मंत्रालय	506.26	502.11	478.17	4.15
4.	10-वाणिज्य विभाग	337.17	313.71	313.71	23.46
5.	13-दूरसंचार विभाग	29,767.44	26,016.87	0.00	3,750.57
6.	18-रक्षा मंत्रालय (सिविल)	599.96	42.20	42.20	557.76
7.	12-डाक विभाग	3,363.66	2,125.00	0.00	1,238.66
8.	19-रक्षा सेवाएँ (राजस्व)	1,796.02	0.02	0.00	1,796.00
9.	20- रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	940.17	76.24	0.00	863.93
10.	23-पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	179.73	70.64	0.00	109.08
11.	24-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	22,062.17	15,062.17	15,062.17	7,000.00
12.	25- उच्च शिक्षा विभाग	27,768.35	8,672.37	8,672.37	19,095.98
13.	26-इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	1,464.46	900.12	368.00	564.34
14.	27-पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	518.09	455.23	406.31	62.86
15.	28-विदेश मंत्रालय	4,351.05	3,110.72	0.00	1,240.33
16.	29- आर्थिक मामलों के विभाग	55,527.03	55,361.53	1,411.29	165.50
17.	34-प्रत्यक्ष कर	858.52	770.74	770.74	87.78
18.	35-अप्रत्यक्ष कर	17,315.40	17,152.89	16,799.19	162.51
19.	37-ब्याज भुगतान	18,935.94	15,678.28	15,678.28	3,257.66
20.	38- ऋण की अदायगी	2,98,683.08	2,98,664.59	2,98,664.59	18.49
21.	40-राज्यों को हस्तांतरण	61,547.08	61,547.08	61,547.08	0.00
22.	42-पशुपालन एवं डेयरी विभाग	601.36	596.56	596.56	4.80
23.	43-खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	161.30	160.91	156.37	0.39
24.	44-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	39,826.18	8,024.42	8,024.42	31,801.76
25.	45-स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	498.68	332.94	332.94	165.74
26.	47-सार्वजनिक उद्यम विभाग	153.70	153.70	153.70	0.00
27.	48-गृह मंत्रालय	3,325.40	3,218.60	118.60	106.80
28.	49- मंत्रिमंडल	775.74	373.04	0.00	402.70

संघ सरकार के वित्त वर्ष 2021-22 के लेखों पर
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

क्र. सं.	अनुदान संख्या और विवरण	कुल बचत	कुल अभ्यर्पण	अंतिम दिन अभ्यर्पित राशि	राशि अभ्यर्पित नहीं की गई
29.	50-पुलिस	4,048.35	2,863.74	130.00	1,184.61
30.	51-अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	364.60	348.41	348.41	16.19
31.	54-लद्दाख	2,163.15	2,153.23	2,153.23	9.92
32.	59-आवास और शहरी कार्य मंत्रालय	296.03	0.00	0.00	296.03
33.	61-जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग	604.41	138.05	138.05	466.36
34.	62-पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	18,545.93	18,545.93	18,545.93	0.00
35.	63-श्रम और रोजगार मंत्रालय	482.13	66.07	0.00	416.06
36.	64-कानून और न्याय	239.09	129.00	95.00	110.09
37.	67-सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	539.24	454.20	454.20	85.05
38.	70-नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	1,560.61	671.20	0.00	889.41
39.	75-पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	10,890.16	10,190.61	3,021.66	699.55
40.	78-विद्युत मंत्रालय	1,233.51	1,233.44	1,233.44	0.07
41.	85-सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	10,813.40	10,545.83	0.00	267.57
42.	86-ग्रामीण विकास विभाग	2,279.67	2,663.47	2,663.47	0.00
43.	89-जैव प्रौद्योगिकी विभाग	651.25	611.05	611.05	40.19
44.	91-कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	695.12	631.92	631.92	63.20
45.	92-सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	3,140.86	3,149.62	812.00	0.00
46.	94-अंतरिक्ष विभाग	1,455.29	1,307.15	0.00	148.14
47.	95-सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	1,045.17	1,041.30	1041.30	3.87
48.	97-कपड़ा मंत्रालय	344.66	264.52	264.52	80.14
49.	98-पर्यटन मंत्रालय	1,228.18	1,211.31	162.14	16.87
50.	99-जनजातीय कार्य मंत्रालय	1,349.19	1,349.18	1,349.18	0.01
51.	100-महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	3,151.47	3,151.05	3,151.05	0.42
52.	101-युवा मामले और खेल मंत्रालय	424.31	424.28	424.28	0.03
कुल			4,71,980.12	80,589.12	

अनुलग्नक 4.8
(पैराग्राफ 4.8.1 देखें)

मुख्य शीर्षों के साथ वस्तु शीर्षों का गलत उपयोग

अनुदान का विवरण	मुख्य शीर्ष	वस्तु शीर्ष	व्यय (₹ करोड़ में)	विभाग / मंत्रालय का उत्तर
77-बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय	5052	13	4.18	मंत्रालय ने कहा (30 सितंबर 2022) कि अवलोकन को नोट कर लिया गया है और वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अनुदान की पहली पूरक मांगों के माध्यम से इसके सुधार के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अगले साल (2023-24) का बजट भी सही वस्तु शीर्ष के तहत मांगा जाएगा।
85 - सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	5054	13	5.74	मंत्रालय ने उत्तर दिया (अगस्त 2022) कि उपशीर्ष 01.99.50-मुख्य शीर्ष 5054 के तहत सूचना प्रौद्योगिकी - सड़कों और पुलों पर पूंजी परिव्यय - रोड विंग के तहत कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यालय/मंडल/आरओ कार्यालय। यह फिर से एनएच कार्यों के समय पर और प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से था। यह मद योजना आयोग और वित्त मंत्रालय की सिफारिश पर 1999 में खोला गया था। बाद में इस मद को 04.99.13 कार्यालय व्यय के रूप में लेखापरीक्षा और प्रधान सीसीए कार्यालय की सलाह पर बदल दिया गया।
	5054	20	1.58	यह निधि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए है। इस मद के तहत व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र में कार्यालयों की स्थापना और अन्य विविध व्यय पर किया गया था। यह शीर्ष वित्त मंत्रालय और प्रधान सीसीए कार्यालय के परामर्श से खोला गया था।
	5054	11	1.61	मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण की सुविधा के लिए, ताकि कार्यान्वयन की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके, तीन प्रतिशत आकस्मिक व्यय का एक हिस्सा आकस्मिक व्यय को कम करके 2.8 प्रतिशत कर दिया गया। तदनुसार, मुख्य शीर्ष 5054-सड़कों और पुलों पर पूंजी परिव्यय के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों के पर्यवेक्षण के लिए एक नया उप शीर्ष 01.06.11 घरेलू टीए 2001 में प्रधान सीसीए और वित्त मंत्रालय के परामर्श से खोला गया था।

संघ सरकार के वित्त वर्ष 2021-22 के लेखों पर
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

अनुदान का विवरण	मुख्य शीर्ष	वस्तु शीर्ष	व्यय (₹ करोड़ में)	विभाग / मंत्रालय का उत्तर
				उपरोक्त तीन वस्तु शीर्षों के संबंध में मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मंत्रालय को डीएफपीआर 1978 के नियम 8 के अनुसार संबंधित मुख्य शीर्षों के साथ पूंजीगत/राजस्व प्रकृति के व्यय की बुकिंग के लिए प्रासंगिक वस्तु शीर्षों का उपयोग करना चाहिए।
3-परमाणु ऊर्जा विभाग	2852	51	1.14	विभाग ने उत्तर दिया (दिसंबर 2022) कि व्यय पूंजीगत प्रकृति का प्रतीत होने के बावजूद वास्तव में ओ एंड एम प्रभार थे। इसलिए, इन्हें राजस्व मुख्य शीर्षों के तहत दर्ज किया गया था। यह एक स्वीकार्य लेखा पद्धति थी। इसके अलावा, वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन नियम, 1978 के नियम 26(2)(सी) के अनुसार, परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) को डीएफपीआर के दायरे से छूट दी गई है। विभाग के पास अपनी वित्तीय शक्तियों का प्रयोग (डीएई) नियम, 1978 है। विभाग ने यह भी कहा कि सीजीए, एमओएफ के निर्देश के अनुसार, विभाग ने नए वस्तु शीर्षों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अनुदान की विस्तृत मांग तैयार करने के लिए पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी प्रकार, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि व्यय भी वस्तु शीर्षों की संशोधित सूची के अनुसार दर्ज किया जाएगा। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि वित्त मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक 22.09.2017 के द्वारा डीएई को राजस्व और पूंजीगत व्यय और संबंधित वस्तु शीर्षों को जीएआर 1990 और जीएफआर 2017 के अनुरूप फिर से परिभाषित करने की सलाह दी थी। आगे, भले ही व्यय राजस्व प्रकृति का हो, पैरा वस्तु शीर्षों के गलत संचालन के उपयोग के बारे में हैं जिसे सुधारने की आवश्यकता है।
	2852	52	34.89	
	2852	51	0.12	
	2852	60	2.17	
	3401	51	0.82	
	3401	51	0.70	
	3401	52	0.11	
		कुल	53.06	

अनुलग्नक 4.9
(पैराग्राफ 4.8.2 देखें)

विनियोग की प्राथमिक इकाइयों के बीच गलत वर्गीकरण

क्र.सं.	अनुदान	राशि (₹ करोड़ में)
1.	11 - उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग	1.20
<p>नई योजना (जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश का औद्योगिक विकास) के कार्यान्वयन के लिए जम्मू और कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड (जे के डी एफ सी एल) को जारी किए गए ₹1.20 करोड़ को डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, प्रिंटर, वाहन और कार्यालय भवन की मरम्मत सहित हार्डवेयर की खरीद के लिए वस्तु शीर्ष 20-अन्य प्रशासनिक व्यय (कार्यात्मक शीर्ष 2885.02.101.19.05 - परियोजना प्रबंधन) के तहत गलत तरीके से दर्ज किया गया था जिसे 13-कार्यालय व्यय (डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, प्रिंटर, वाहन) और 27-छोटे कार्य (कार्यालय भवन की मरम्मत) के तहत सही ढंग से दर्ज किया जाना चाहिए।</p> <p>विभाग ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2022) कि जेकेडीएफसीएल को जारी किए गए ₹1.20 करोड़ को गलत तरीके से वस्तु शीर्ष-20 के तहत दर्ज किया गया था। हालांकि, लेखापरीक्षा के अवलोकन को नोट कर लिया गया है और भविष्य के संदर्भ के लिए इस पर विचार किया जाएगा।</p>		
2.	25- उच्च शिक्षा विभाग वाउचर लेखापरीक्षा	18.49
<p>दिनांक 30.10.2021 के वाउचर संख्या 7265 के साथ संलग्न स्वीकृति आदेश संख्या 27-2/2021-टीएस। दिनांक 28.10.2021 की संवीक्षा से पता चला कि उच्च शिक्षा विभाग ने आईआईटी धारवाड़ को अनुदान सहायता वेतन के रूप में ₹18.49 करोड़ स्वीकृत किए हैं। जबकि वस्तु शीर्ष 36-वेतन के तहत बुकिंग के बजाय पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए वस्तु शीर्ष 35-सहायता अनुदान के तहत राशि को गलत तरीके से दर्ज किया गया था।</p> <p>विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था।</p>		
3.	अनुदान संख्या 46-भारी उद्योग विभाग	499.00
<p>"फास्टर एडॉप्शन एंड मैनुफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया (फेम-इंडिया)" योजना के तहत, विभाग ने योजना घटक 'डिमांड इंसेंटिव डिलीवरी मैकेनिज्म' के लिए राष्ट्रीय ऑटोमोटिव बोर्ड को कुल ₹499.00 करोड़ की धनराशि जारी की, जिसे वस्तु शीर्ष -33 सब्सिडी के बजाय वस्तु शीर्ष -31-सहायता-अनुदान-सामान्य के तहत गलत तरीके से दर्ज किया गया था।</p> <p>विभाग ने उत्तर दिया (7 सितंबर 2022) कि राशि वस्तु शीर्ष 31- सहायता-अनुदान-सामान्य के तहत दर्ज की गई थी क्योंकि ₹499.00 करोड़ की राशि का व्यय ओईएम को मांग प्रोत्साहन की प्रतिपूर्ति के लिए किया गया था जो उपभोक्ताओं को (खरीददारों / अंतिम उपयोगकर्ता) योजनाओं के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद मूल्य में कमी के रूप में पहले ही दिया जा चुका था।</p> <p>विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उत्तर से भी स्पष्ट है कि व्यय की प्रकृति सहायता अनुदान के स्थान पर सब्सिडी थी।</p>		

**संघ सरकार के वित्त वर्ष 2021-22 के लेखों पर
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन**

क्र.सं.	अनुदान	राशि (₹ करोड़ में)
4.	85-सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	4.44
<p>कैलेंडर प्रशिक्षण कार्यक्रम में केंद्र और राज्य सरकारों/विभागों के अधिकारियों के लिए "इंडियन एकेडमी ऑफ हाइवे इंजीनियर्स (आईएचई) द्वारा प्रशिक्षण आयोजित करने" के लिए ₹4.44 करोड़ का व्यय वस्तु शीर्ष '20-अन्य प्रशासनिक व्यय' के बजाय वस्तु शीर्ष 50- 'अन्य शुल्क' के तहत दर्ज किया गया था।</p> <p>मंत्रालय ने कहा (अगस्त 2022) कि एमएच-3054 के तहत लघु शीर्ष 80.004 अनुसंधान और विकास के लिए है। कैलेंडर प्रशिक्षण कार्यक्रम में उनके निगमों सहित केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए आईएचई को ₹4.44 करोड़ की धनराशि जारी की गई जिसमें सभी विविध बोर्डिंग, लॉजिंग और अन्य विविध जैसे व्यय शामिल है जैसा कि मुख्य शीर्ष प्रशिक्षण आदि के लिए है, आईएचई को निधि वस्तु शीर्ष 50-'अन्य शुल्क' से जारी किया गया था। आगे यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ये आई ए एच ई के प्रशासनिक व्यय नहीं हैं।</p> <p>मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है जैसा की डीएफपीआर 1978 के नियम 8 के अनुसार सम्मेलनों/सेमिनारों/कार्यशालाओं आदि पर व्यय और अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर व्यय वस्तु शीर्ष '20-अन्य प्रशासनिक व्यय' के अंतर्गत आता है।</p>		
5.	85-सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	15.00
<p>आईएचई में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए इंडियन एकेडमी ऑफ हाइवे इंजीनियर्स (आईएचई) को निधि जारी करने के लिए ₹15.00 करोड़ के व्यय को वस्तु शीर्ष 50- 'अन्य शुल्क' के बजाय वस्तु शीर्ष '35- पूंजीगत संपत्ति का निर्माण' के लिए अनुदान' के तहत दर्ज किया गया था।</p> <p>मंत्रालय ने कहा कि आईएचई में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए आईएचई को ₹15.00 करोड़ की निधि जारी की गई थी। एम एच -3054 के तहत "पूंजीगत संपत्ति के निर्माण" के लिए कोई शीर्ष (3054.80.004.01.07.35) नहीं था। इसलिए, निधि 3054.80.004.01.07.50 - अन्य शुल्क से जारी किया गया था।</p> <p>मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के अंतर्गत आती है।</p>		
6.	88- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	221.12
<p>विभाग ने छात्रवृत्ति/वजीफा के लिए ₹221.12 करोड़ का व्यय वस्तु शीर्ष 34- 'छात्रवृत्ति/वजीफा' के तहत बुकिंग करने के बजाय वस्तु शीर्ष 31- 'सहायता अनुदान-सामान्य' के तहत दर्ज किया।</p> <p>विभाग ने कहा (नवंबर 2022) कि नवीन वस्तु शीर्ष 34-'छात्रवृत्ति/वृत्तिका' खोलने का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को विचार हेतु भेजा गया था।</p>		
7.	88- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	56.10
<p>विभाग ने 'सीटों के तहत इंस्पायर पुरस्कार' के लिए ₹56.10 करोड़ का व्यय वस्तु शीर्ष 50- 'अन्य शुल्क (पुरस्कार और पुरस्कार आदि)' के तहत दर्ज करने के बजाय वस्तु शीर्ष 31- 'सहायता-अनुदान-सामान्य' के तहत दर्ज किया है।</p> <p>विभाग ने कहा (नवंबर 2022) कि नया वस्तु शीर्ष 50-'अन्य प्रभार' खोलने का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को विचार हेतु भेजा गया था।</p>		

संघ सरकार के वित्त वर्ष 2021-22 के लेखों पर
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

क्र.सं.	अनुदान	राशि (₹ करोड़ में)
8.	88- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	3.75
<p>विभाग ने जनशक्ति के वेतन से संबंधित ₹3.75 करोड़ का व्यय 36-'सहायता-वेतन' के स्थान पर वस्तु शीर्ष-31 'सहायता-अनुदान-सामान्य' के अंतर्गत दर्ज किया।</p> <p>विभाग ने कहा (नवंबर 2022) कि राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषदों को सहायता अनुदान इन राज्य संस्थाओं के जनशक्ति के पारिश्रमिक, यात्रा और कार्यालय व्यय के लिए जारी किया गया था। उत्तर इस तथ्य की स्वीकृति में है कि इन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषदों के वेतन घटक के लिए जारी करने के लिए मंजूरी जारी की गई थी।</p>		
9.	90- वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	475.00
<p>विभाग ने छात्रवृत्ति/वजीफा और पुरस्कारों के लिए ₹475.00 करोड़ का व्यय वस्तु शीर्ष 34 - 'छात्रवृत्ति/वजीफा' और वस्तु शीर्ष 50- 'अन्य शुल्क (पुरस्कार और पुरस्कार आदि)' के तहत दर्ज करने के बजाय वस्तु शीर्ष 31- 'सहायता-अनुदान-सामान्य' के तहत दर्ज किया।</p> <p>विभाग ने कहा (सितंबर 2022) कि अनुसंधान योजनाओं, छात्रवृत्तियों और फेलोशिप में बजट प्रावधान के लिए प्रासंगिक शीर्ष खोलने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए मामला बजट प्रभाग के साथ उठाया जा रहा था।</p>		
10.	90- वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	37.39
<p>पेटेंट दाखिल करने और रख रखाव पर ₹37.39 करोड़ के व्यय को वस्तु शीर्ष 35- 'पूँजीगत परिसंपत्ति के निर्माण के लिए अनुदान' के बजाय वस्तु शीर्ष 31- 'सहायता-अनुदान-सामान्य' के तहत दर्ज किया गया था।</p> <p>विभाग ने उत्तर दिया (सितम्बर 2022) कि वस्तु शीर्ष 35-'पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए अनुदान' में पेटेंट व्यय को शामिल करने के लिए अलग से प्रस्ताव लेकर अगले वित्तीय वर्ष में गलत वर्गीकरण को सुधारा जाएगा।</p>		
11.	94-अंतरिक्ष विभाग	1.03
<p>उपकरण एल-आर्म असेम्बली के निर्माण पर हुए व्यय ₹1.03 करोड़ को वस्तु शीर्ष '52-मशीनरी और उपकरण' के तहत दर्ज करने के बजाय वस्तु शीर्ष 60-'अन्य पूँजीगत व्यय' के तहत दर्ज किया गया था।</p> <p>विभाग ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2022) कि वर्गीकरण अंतरिक्ष विभाग (डीओएस) द्वारा जारी व्यय के वर्गीकरण पर संग्रह के अनुसार किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि संग्रह '60-अन्य पूँजीगत व्यय' के तहत अंतरिक्ष उपभोग्य सामग्रियों के निर्माण को दर्ज करने के लिए निर्धारित है न कि 'उपकरण' के निर्माण के लिए।</p>		
12.	94-अंतरिक्ष विभाग	3.00
<p>भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के मुख्यालय द्वारा जारी सहायता अनुदान वस्तु शीर्ष '31-सहायता-अनुदान-सामान्य' के बजाय वस्तु शीर्ष '50-अन्य प्रभार' के अंतर्गत दर्ज किया गया था।</p> <p>उत्तर में (अक्टूबर 2022) विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और भविष्य के अनुपालन के लिए नोट कर लिया।</p>		

संघ सरकार के वित्त वर्ष 2021-22 के लेखों पर
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

क्र.सं.	अनुदान	राशि (₹ करोड़ में)
13.	94-अंतरिक्ष विभाग	1.67
<p>पूर्वोत्तर अंतरिक्ष उपयोग केंद्र (एनई-एसएसी), शिलांग को जारी सहायता अनुदान वस्तु शीर्ष '31-सहायता-अनुदान-सामान्य' के तहत बुकिंग के बजाय वस्तु शीर्ष '50-अन्य प्रभार' के तहत दर्ज किया गया था।</p> <p>उत्तर में (अक्टूबर 2022) विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और भविष्य के अनुपालन के लिए नोट कर लिया।</p>		
14.	94-अंतरिक्ष विभाग	8.47
<p>भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (पीआरएल), अहमदाबाद, अंतरिक्ष विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक केंद्रीय स्वायत्त निकाय को जारी सहायता अनुदान वस्तु शीर्ष '31-अनुदान-सहायता-सामान्य' के तहत बुकिंग के बजाय वस्तु शीर्ष '50-अन्य शुल्क' के तहत गलत तरीके से दर्ज किया गया था।</p> <p>उत्तर में (अक्टूबर 2022) विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और भविष्य के अनुपालन के लिए नोट कर लिया।</p>		
15.	94-अंतरिक्ष विभाग	1.53
<p>भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, डीओएस की एक इकाई के मुख्यालय द्वारा दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में प्रदर्शनी स्टॉल स्थापित करने के लिए किए गए व्यय को वस्तु शीर्ष '26-विज्ञापन और प्रचार' के बजाय वस्तु शीर्ष '21-आपूर्ति और सामग्री' के तहत गलत तरीके से दर्ज किया गया था।</p> <p>उत्तर में (अक्टूबर 2022) विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और भविष्य के अनुपालन के लिए नोट कर लिया।</p>		
16.	94-अंतरिक्ष विभाग	1.06
<p>यू आर राव उपग्रह केंद्र के वेतन और लेखा अधिकारी-केंद्र और डीओएस के भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वेतन और लेखा अधिकारी-मुख्यालय ने व्यावसायिक सेवाओं (हाउस कीपिंग सेवाएं, रिप्रोग्राफिक सेवाएं आदि प्रदान करने के लिए कर्मचारियों की भर्ती) के लिए किए गए व्यय को वस्तु शीर्ष '28-व्यावसायिक सेवाएं' के बजाय वस्तु शीर्ष '30-अन्य संविदात्मक सेवाएं' के तहत गलत तरीके से दर्ज किया गया था।</p> <p>विभाग ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2022) कि मर्दों को व्यय के वर्गीकरण पर डीओएस संग्रह में दिए गए निर्देशों के आधार पर दर्ज किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि व्यावसायिक सेवाएं होने के कारण हाउसकीपिंग सेवाएं, रिप्रोग्राफिक सेवाएं आदि प्रदान करने के लिए कर्मचारियों की भर्ती पर होने वाले व्यय को वस्तु शीर्ष '28-व्यावसायिक सेवाएं' के अंतर्गत दर्ज किया जाएगा।</p>		

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
<https://cag.gov.in>